मतदाता समीक्षा

भारत के चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के आदेश देकर बहुत लोगों को अचरज व संशय में डाल दिया है। जब लगभग चार महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं, तब आया यह आदेश राजनीतिक रूप से एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। ऐसी समीक्षा का आदेश चुनाव आयोग दे सकता है, पर क्या उसके इस फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है? अव्वल तो चुनाव आयोग को यह काम कुछ जल्दी शुरू करना चाहिए था। चुनाव से ठीक पहले शुरू हो रही यह कवायद बहुत लोगों को परेशानी में डालेगी। बिहार एक ऐसा राज्य है, जहां से एक बड़ी आबादी अन्य राज्यों में जीवन-यापन कर रही है, इनमें से लाखों लोग मतदान के लिए अपने प्रदेश लौटते हैं। बाहर रह रहे मतदाताओं को मतदान का इंतजार है, पर अब उन्हें सचेत होना पड़ेगा। अब सभी मतदाताओं को गणना प्रपत्र प्रस्तुत करना होगा तथा साल 2003 के बाद पंजीकृत मतदाताओं को आयोग द्वारा तय दिशा-निर्देशों और अनुसूची के अनुसार, अपनी नागरिकता सिद्ध करने वाले दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे। जो लोग बिहार में ही रह रहे हैं, उनके लिए तो सुविधा है, लेकिन जो लोग बाहर रहते हैं, उन्हें मतदान से पहले भी एक बार प्रदेश लौटना पड़ सकता है।

जब बिहार चुनाव पर पूरे देश की निगाह है, तब अन्य राज्यों से भी इस पर बयानबाजी शुरू हो गई है। बिहार में विपक्षी दलों के अलावा पहली प्रतिकूल प्रतिक्रिया पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की आई है। ममता बनर्जी ने इस कदम को एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर) से भी अधिक खतरनाक बताया है और आरोप लगाया है कि उनका राज्य, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, असली लक्ष्य है। क्या चुनाव आयोग की ऐसी आलोचना सही है? वास्तव में, चुनाव आयोग लगभग हर साल मतदाता सूची की समीक्षा करता है और जिस साल लोकसभा या विधानसभा चुनाव प्रस्तावित होता है, उस साल विशेष समीक्षा होती है।

> **ध्यान रखना होगा कि बिहार की जो जनसांख्यिकी है, उसके प्रति असंवेदना न हो। यह भी देखना होगा कि मतदाता सूची में कोई फर्जी नाम शामिल न हो पाए।**

अगर इस समीक्षा परंपरा की पालना शुरू से हो रही है, तो नए आदेश में कोई विचित्र बात नहीं है। अब यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वह तमाम दलों को विश्वास में ले। दलों को विश्वास में लेकर ही मतदाता सूचियों को दुरुस्त करना चाहिए। यहां यह भी सवाल पैदा होता है कि क्या सूचियों की समीक्षा में दलों की कोई भूमिका होती है? अगर यह काम केवल चुनाव आयोग पर निर्भर है, तो उसे सावधानी से कदम बढ़ाने होंगे, ताकि आम मतदाताओं को कोई परेशानी न हो।

कोई शक नहीं कि मतदाता सूचियों के प्रति शिकायत नई नहीं है और कोई भी सूची ऐसी नहीं होती है, जिससे सब संतुष्ट हो जाएं। मतदाता सूचियों को लेकर नेताओं की शिकायतों की भी लंबी सूची होती है। भारतीय राजनीति में इतनी जागरूकता तो आ गई है कि सभी नेता मिलकर सूचियों को सोलह आना सही कर सकें। ध्यान रखना होगा कि बिहार की जो जनसांख्यिकी है, उसके प्रति असंवेदना या अमानवीयता न हो। दूसरी तरफ, यह भी देखना होगा कि मतदाता सूची में कोई फर्जी नाम शामिल न हो पाए। फर्जी मतदान या फर्जी मतदाताओं को रोकने की जिम्मेदारी आम लोगों से ज्यादा स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर है। अच्छा तो यही है कि कार्यकर्ता ऐसे सक्रिय हो जाएं कि फर्जीवाड़े की सियासत बीती बात हो जाए। जनगणना और जातिगत जनगणना से भी ज्यादा जरूरी है मतदाताओं का वास्तविक होना। सुधार का यह काम बड़ा है और इसे मिलकर अंजाम तक पहुंचाना होगा।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 28 जून, 1950

विस्थापितों की सम्पत्ति

विस्थापितों की सम्पत्ति का प्रश्न उन कतिपय मुख्य प्रश्नों में से है, जिनको भारत और पाकिस्तान को किसी न किसी प्रकार हल करना है। नेहरू-लियाकत समझौते के कारण दोनों देशों में जो अनुकूल वातावरण पैदा हुआ है, उसमें इस जटिल किन्तु आवश्यक प्रश्न का सन्तोषजनक हल निकलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। देश के विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान में ऐसे हालात पैदा हुए कि अल्पसंख्यकों को लाखों की संख्या में अपने घर-बार और जमीन-जायदाद छोड़कर एक से दूसरे देश में आने के लिए बाध्य होना पड़ा था। जो कल तक सम्पन्न और खुशहाल थे, वे एक ही दिन में निराश्रित और साधनहीन हो गये। सम्पत्ति का हाथ से निकल जाना मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा दुःखदायी होता है और उसकी निस्सहायावस्था उसे हमेशा उसकी हानि की याद दिलाती रहती है। पाकिस्तान से जो लोग विस्थापित होकर आये हैं, उनमें पाकिस्तान के विरुद्ध तीव्र कटुता की भावना पायी जाती है, उसका यही कारण है। हम कल्पना कर सकते हैं कि ठीक इसी प्रकार की भावना उन लोगों में भी होगी, जो भारत से पाकिस्तान में शरण लेने को बाध्य हुए हैं। मनुष्य स्वभाव हर जगह समान होता है और उसकी प्रतिक्रिया भी समान ही होती है। श्री गोपालस्वामी आयंगर की अध्यक्षता में भारत सरकार ने विस्थापितों के पुनर्वास की योजनाओं पर विचार करने के लिए एक कमेटी नियुक्त की थी। वह भी इसी निष्कर्ष पर पहुंची थी कि अगर विस्थापितों की सम्पत्ति का प्रश्न सन्तोषजनक रूप से हल हो जाये, तो उनमें जो असन्तोष पाया जाता है, वह बहुत हद तक दूर हो जायेगा। कमेटी के इस निष्कर्ष से हम पूर्णतया सहमत हैं।

विस्थापितों की सम्पत्ति के संबंध में एक समझौता सन् 1948 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। खेद का विषय है कि इस समझौते पर अमल नहीं हो सका और प्रश्न ज्यों का त्यों बना रहा। समझौते में तय हुआ था कि विस्थापित गैर-सरकारी तौर पर अपनी सम्पत्ति की अदला-बदली कर सकते हैं अथवा उसे बेच सकते हैं। भारत में आये विस्थापितों ने महसूस किया कि वे पाकिस्तान में निर्भय होकर घूम-फिर नहीं सकते और उन्हें सरकार की ओर से पर्याप्त संरक्षण नहीं दिया जाता। कुछ पाकिस्तान के लोगों का रुख भी उस समय सहायक नहीं था और इसलिए ठीक मूल्य पर कोई ग्राहक ही खड़ा नहीं हुआ।

भारत पचास साल पहले थोपे गए आपातकाल को आज याद कर रहा है। जगह-जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। आज जब हम अतीत में जाकर राज्यसभा में 23 मई, 1979 की बहस को देखते हैं, तो बहुत कुछ सीखने-समझने को मिलता है। पता चलता है कि आपातकाल की जांच करने वाले शाह आयोग के प्रति पक्ष-विपक्ष की क्या राय थी? यह भी एहसास होता है कि समग्र व्यवस्था में मानवीय संवेदना बढ़ाने की जरूरत आज भी है।

आमने-सामने

आपातकाल के नाम पर राजनीति ठीक नहीं

यहां स्कैन करें

मार्गरेट अल्वा | तत्कालीन कांग्रेस सांसद, राज्यसभा

- शाह आयोग की रिपोर्ट की चर्चा घिसे-पिटे रिकॉर्ड जैसी लगने लगी है।
- एक ही मकसद है, पूर्व प्रधानमंत्री और एक सियासी दल को बदनाम करना।
- जब आप शाह आयोग की रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं, तो लोग हंसते हैं।

उपसभापति महोदय, कई वक्ताओं ने आश्चर्य व्यक्त किया है, और मैं भी उनके साथ हूं कि विशेष न्यायालयों के लिए विधेयक पारित होने के काफी समय बाद और शाह आयोग की स्थापना के लगभग दो साल बाद, इस पर चर्चा हो रही है, जबकि दुनिया भर में इसका प्रचार हो चुका है। उसके बाद आज इस पर चर्चा क्यों हो रही है?...

आप जानते हैं, चर्चा के लिए यह प्रस्ताव पिछले सत्र के दौरान इस सदन में रखा गया था और इसे एक अलग नियम के तहत रखा गया था। तब इस पर चर्चा की अनुमति नहीं दी गई थी, ताकि बहुमत इसे कहीं नामंजूर न कर दे। इस सत्र में, सरकार की ओर से एक अलग नियम के तहत एक नया प्रस्ताव लाया गया है और इसे चर्चा के लिए रखा गया है। इस बार इसे लाने की एक वजह शायद यह है कि सत्ता पक्ष के मेरे मित्रों ने सोचा कि तंजौर में चुनाव होने वाले हैं और यह रेडियो, टीवी आदि पर प्रचार के लिए बहुत अच्छा तरीका होगा। तंजौर में चुनाव को प्रभावित करने के लिए अन्य संचार माध्यमों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ...यह विषय गड़े मुर्दे के समान है।

हमने शाह आयोग और इस रिपोर्ट के बारे में जो सुना, चर्चा की और जो कहा, वह सब अब टूटे या घिसे-पिटे रिकॉर्ड जैसा लगने लगा है। हमने टीवी पर सारांश सुना। हमने रेडियो पर प्रतिदिन राउंड-अप सुना। हमने रेडियो पर हर अवसर पर इसके बारे में टिप्पणी सुनी। इस आयोग पर लाखों-लाख रुपये सार्वजनिक धन खर्च किया गया है। शायद यह राशि करोड़ों में होगी। मेरे पास सही आंकड़ा नहीं है। यह सब एक ही मकसद से किया गया है, एक पूर्व प्रधानमंत्री और एक विशेष अवधि के दौरान उच्च पदों पर आसीन रहे लोगों पर हमला करना और एक सियासी दल को बदनाम करना।... शाह आयोग के निष्कर्षों को दिखाने वाले गीत, नाटक और बहुत कुछ हुए। लोगों को आपातकाल की ज्यादतियां दिखाई गईं, पर मैं चुनौती देती हूं कि शाह आयोग की रिपोर्ट और उस पर जो कुछ भी किया गया है, उसके बावजूद आप चिकमंगलूर में चुनाव कराएं और देखें कि लोगों का क्या फैसला आता है...।

जहां तक न्यायमूर्ति शाह का सवाल है, आपने फैसला किया कि इस देश के राजनीतिक अतीत का पूरा सवाल सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के सामने रखा जाए। उनकी पृष्ठभूमि क्या है? यह वही व्यक्ति हैं, जिन्होंने आपातकाल के खिलाफ अपनी राय स्पष्ट रूप से व्यक्त की थी। वह वही व्यक्ति हैं, जिनके खिलाफ 200 संसद सदस्यों ने महाभियोग के लिए याचिका पेश की थी। आपकी पार्टी में ही कई मंत्री और प्रमुख व्यक्ति हैं, जिन्होंने उस याचिका पर हस्ताक्षर किए थे। हमारे लोगों ने भी उस पर हस्ताक्षर किए थे, क्योंकि उन्हें लगा कि न्यायमूर्ति शाह की ईमानदारी पर संदेह है। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि वह सुप्रीम कोर्ट की उस पीठ में थे, जिसने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मामले का फैसला सुनाया था, जबकि उनके पास उन बैंकों में से एक के शेयर थे। वह पीठ में बैठे और उन्होंने इन बैंकों को दिए जाने वाले मुआवजे को बढ़ाने के लिए फैसला सुनाया।

इन न्यायमूर्ति शाह के खिलाफ सांसदों की याचिका थी, लेकिन आज वह संत बन गए हैं और इस देश के भाग्य का फैसला करने बैठे हैं। मैं माननीय गृह मंत्री से पूछना चाहती हूं कि अगर आपको अभी जानकारी नहीं है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि किसी और समय यह जानकारी दें कि इस जांच आयोग का अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद से वह कितनी कंपनियों में निदेशक नियुक्त हुए हैं। श्री शांति भूषण ने कल सदन को बताया कि इस महान व्यक्ति ने जांच आयोग के रूप में काम करने के लिए कोई पारिश्रमिक मंजूर नहीं किया है।...देश को यह विश्वास हो गया है कि आपने शाह आयोग के तथाकथित कानूनी मंच के माध्यम से अपनी हारी हुई राजनीतिक लड़ाई लड़ने की कोशिश की है, लेकिन बहुत अवैध तरीके से। यही कुछ लोगों का राजनीतिक चरित्र रहा है।...

क्या आपके मंत्रिमंडल में ऐसे मंत्री नहीं हैं, जिन्होंने संसद में आपातकाल पर प्रस्ताव पेश किया था और उसका बचाव किया था? क्या आपके पक्ष में ऐसे मुख्यमंत्री नहीं हैं, जिन्होंने लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डाला था? ...आज वे आजाद हैं। उन्हें छोड़ दिया गया, क्योंकि आपके साथ जुड़ना उनके लिए उपयुक्त था और उन्हें अपने साथ रखना आपके लिए उपयुक्त है।...

आपको भी किसी दिन ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इन राजनेताओं का चरित्र, चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के, चाहे ये किसी भी दल के हों, इस देश में एक जैसा ही है।... आपके सियासी दलों के महान समूह (जनता पार्टी) द्वारा लोकतंत्र की बहाली के नाम पर कामकाज के सभी लोकतांत्रिक मानदंडों को कुचल दिया गया है। ...आज जब आप शाह आयोग की रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं, तो लोग हंसते हैं। शायद एक समय था, जब लोग इसे देखने और पढ़ने के लिए तैयार थे, लेकिन अब वह स्थिति नहीं रही। अब यह बाजार में रद्दी की तरह बिक रही है। लोग आपसे पूछ रहे हैं कि पिछले दो सालों में आप क्या कर पाए हैं?... आज कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है? देश में राजनीतिक हत्याओं के बारे में आपका क्या कहना है?... आपने अपने विरोधियों के विरुद्ध किसी न किसी तरह से राजनीतिक प्रतिशोध का सहारा लिया है। जो आपके साथ गए, वे छूट गए और जो आपके खिलाफ खड़े हुए और चुनौती दी, उन्हें कीमत चुकानी पड़ी।...

जहां तक नौकरशाही का सवाल है, हमें इस बारे में ईमानदार होना चाहिए।... शाह आयोग ने क्या किया और आपने किस तरह से लोगों को सताया?... जिस तरह से नौकरशाही के साथ व्यवहार किया गया है, आपने अपने पूरे प्रशासन को हतोत्साहित कर दिया है।... पुलिस का मनोबल इतना गिर गया है कि विद्रोह फैल रहा है और आप दिल्ली में बैठकर हंस रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे नीरो हंसा था, जब रोम जल रहा था। क्या हुआ? आप इसे कैसे रोकेंगे? आपने नौकरशाही को हतोत्साहित किया, पुलिस को हतोत्साहित किया, आपने प्रशासन को हतोत्साहित किया है। अब कुछ और जांच आयोग गठित कीजिए।

(राज्यसभा में दिए गए भाषण के अंश)

अमानवीय ज्यादती की जांच बेकार न जाएगी

यहां स्कैन करें

एच एम पटेल | तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री

- शाह आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन कीजिए, तब बात समझ में आएगी।
- केवल यही पता चलता है कि विपक्ष का दिमाग बहुत चालाक और अजीब है।
- उम्मीद थी कि विपक्ष के मेरे मित्र कम से कम कुछ आंसू तो बहाएंगे।

मैंने बहुत रुचि के साथ बहस सुनी है, मैं पूरी बहस में बैठा हूं। दिलचस्प बात यह है कि कुछ वक्ताओं को छोड़कर बाकी लोगों को नहीं लगा कि चर्चा का विषय शाह आयोग की रिपोर्ट है। उन्होंने कई अन्य मामलों पर बात की, लेकिन शाह आयोग की रिपोर्ट की विषय-वस्तु, यहां तक कि इसकी नियुक्ति क्यों की गई, इस पर कुछ नहीं कहा।

माननीय श्री अंतुले ने इसके कानूनी पहलुओं पर बात की। उन्होंने इसे असांविधानिक माना। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कह दिया कि इस आयोग की नियुक्ति ने देश के संविधान को कलंकित किया है। हो सकता है कि वह सही हों, लेकिन मैं इस पहलू के संबंध में उनसे बहस नहीं करना चाहता। हमारे विचार से शाह आयोग की नियुक्ति पूरी तरह से वैध है।...

सोचना चाहिए कि आपातकाल की घोषणा करना क्यों जरूरी था? वे कौन-से हालात थे? क्या वह फैसला सांविधानिक रूप से सही था? क्या वह सामान्य कैबिनेट प्रक्रिया के अनुरूप था? ये सारी बातें सामने आई हैं। फैसला लेने वाले वाकई में गलत थे। ...उन्होंने इस देश के नागरिकों के अधिकारों, इस देश के इंसानों के अधिकारों का किस हद तक सम्मान किया? क्या उन्होंने सिर्फ सजा दी या सिर्फ उन लोगों के पक्ष में कार्रवाई की, जिन्होंने वास्तव में अपराध किए थे या पूरी तरह से निर्दोष लोगों को भी काफी भुगतना पड़ा?

मुझे लगता है कि इन रिपोर्टों का अध्ययन हमें उन दिनों क्या हुआ, इसकी एक बहुत अच्छी तस्वीर देता है। किसी को भी बहुत विस्तार में जाना होगा कि तब किस तरह की चीजें हुईं, जो किसी को भी भयभीत कर सकती हैं।... आज हमने लोकतंत्र को बहाल किया है। ...चार टेक्सटाइल अधिकारियों का मामला लें, जिन्हें जेल में डाल दिया गया था, जहां वे 19 महीने तक रहे। किस अपराध के लिए? केवल इसलिए कि उन्होंने कुछ जांच की थी?...

श्रीमती मार्गरेट अल्वा ने तो कुछ असाधारण बातें कहीं। उन्होंने कहा कि सदन के सत्ता पक्ष द्वारा श्रीमती गांधी के लिए तंजौर में चुनाव लड़ना मुश्किल बनाने के लिए यह बहस करवाई गई है, हालांकि, ऐसा नहीं है। मैं कह सकता हूं कि यह चर्चा केवल डॉक्टर भाई महावीर द्वारा ही नहीं, बल्कि सदन के दूसरे पक्ष के कुछ अन्य सदस्यों द्वारा भी करवाई गई है। जिस मकसद से यह चर्चा करवाई गई है, उसका तंजौर चुनाव से कोई लेना-देना नहीं है। इससे केवल यह पता चलता है कि विपक्ष का दिमाग बहुत चालाक और अजीब है। उन्हें सही चीजों के अलावा हर तरह की चीजें दिखाई देती हैं। उन्हें यह दिखाई नहीं देता है कि कर्नाटक में कुछ खास स्थिति शाह आयोग ने नहीं बनाई है। ग्रोवर आयोग ने जो कुछ भी किया, उसके लिए शाह आयोग जिम्मेदार नहीं है। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। यहां, हम केवल शाह आयोग की रिपोर्ट के इन तीन खंडों से सरोकार रखते हैं और इन रिपोर्टों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उस अवधि के दौरान बहुत सी ऐसी चीजें हुईं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थीं। इसे सरल शब्दों में कहें, तो कई निर्दोष लोगों को बिना गलती के कष्ट सहना पड़ा। उन्हें केवल इसलिए कष्ट सहना पड़ा, क्योंकि कुछ अन्य लोगों के पास मनमानी करने की शक्तियां थीं और उन्हें सत्ता में बैठे लोगों का समर्थन मिला। ...लोगों के कष्ट को इन रिपोर्टों में पर्याप्त मात्रा में सामने लाया गया है। इन मामलों को आगे बढ़ाया जाएगा और जांच के बाद आरोप तय किए जा सकते हैं। उन्हें अदालत में लाया जाएगा।...19 मामलों में एफआईआर दर्ज हुई है। दो आरोप-पत्र दाखिल हुए हैं और तीन अन्य पर कार्रवाई की जा रही है।...

मैं यह कहने के लिए पूरी तरह तैयार हूं कि अगर हम कुछ गलत करते हैं, तो हमें जवाबदेह होना चाहिए। वैसे, मैं उम्मीद के खिलाफ उम्मीद कर रहा हूं कि उन्हें पिछली अवधि के दौरान हुई गलत चीजों का एहसास होगा। उन्हें उन चीजों का पश्चाताप करना चाहिए। हां, वह अब जो कुछ भी गलत हो रहा है, उसके लिए हम पर हमला कर सकते हैं, लेकिन इससे वे दोषमुक्त नहीं हो जाते हैं।...

मैं उन्हें याद दिला दूं कि लोकतंत्र वापस लाया गया है और लोकतांत्रिक मानदंडों के अनुसार हम काम करना चाहते हैं। लोकतंत्र आने के कारण ही मेरे माननीय मित्र इतनी ऊंची आवाज में, इतनी बार और इतनी अप्रासंगिक बातें कर सकते हैं। महोदय, मैं इस पर और अधिक स्पष्टीकरण नहीं देना चाहता। मैं समझता हूं कि यह कहना पर्याप्त है कि शाह आयोग की रिपोर्ट सबसे मूल्यवान दस्तावेजों में से एक है। इसने मामले को सामने ला दिया है।

...लगभग 25 हजार लोगों को गलत तरीके से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया। समीक्षा का प्रावधान था।...और हमने पाया कि बड़ी संख्या में वास्तव में उन्हें अनिवार्यतः सेवानिवृत्त करने का कोई औचित्य नहीं था।...शाह आयोग ने स्वयं पाया है कि बड़ी संख्या में अधिकारियों और नागरिकों के साथ ज्यादतियां की गईं। कई लोगों को काफी असुविधा, परेशानी और कष्ट सहने पड़े तथा उन्हें जेल में डाल दिया गया और उनके परिवारों को यह भी नहीं बताया गया कि उनके परिजन जेल में डाल दिए गए हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं, जहां मानवीयता का पूरी तरह अभाव रहा। और जैसा कि मैंने पहले कहा, मुझे उम्मीद थी कि मेरे माननीय मित्र वहां कम से कम कुछ आंसू तो बहाएंगे, शायद मगरमच्छ के आंसू ही सही...। खैर, असली मुद्दा, जिससे हम अब चिंतित हैं, वह है शाह आयोग, आपातकाल और इसके तहत बड़ी संख्या में गिरफ्तार किए गए लोग। बड़ी संख्या में लोगों को सिर्फ राजनीतिक कारणों से गिरफ्तार किया गया...।

ऐसे कई मामले हैं, जिन्हें शाह आयोग ने उजागर किया है। मैं अपने माननीय मित्रों से उम्मीद करता हूं, वे इन मामलों का बहुत ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे, क्योंकि यह हमारे लिए एक चेतावनी है कि हम सभी को भविष्य में कैसे प्रयास करने चाहिए और यह देखना चाहिए कि फिर वैसा न हो। इसमें हमारी दिलचस्पी होनी चाहिए।...शाह आयोग की रिपोर्ट का असली महत्व यही है कि जो ज्यादतियां हुई हैं, उनको दोबारा नहीं होने दिया जाए और इस दिशा में सभी जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए।

(राज्यसभा में दिए गए भाषण के अंश)

मनसा वाचा कर्मणा

नाकामी से डरना कैसा

आप अपने जीवन में असफलता से कितना भी सीखें और आगे बढ़ें, सच्चाई यही है कि नाकामी आती ही है। हममें से सबसे अच्छे लोगों को भी इसका सामना करना पड़ता है। मैंने व्यक्तिगत रूप से पाया है कि जैसे ही आप विफलता को एक वास्तविकता के रूप में स्वीकार करते हैं, यह बहुत बड़ी, डरावनी चीज नहीं रह जाती, जितनी आपने कभी सोची थी। आप चकित होंगे कि यह स्वीकार आपको आगे बढ़ने, नई चीजों को आजमाने और उन सफलताओं का अनुभव करने की कितनी स्वतंत्रता देता है, जो अन्यथा आपको नहीं मिल सकती थी।

जीवन की अपनी आखिरी असफलता के बारे में सोचें। क्या तब दुनिया आपके चारों ओर ढह गई थी? भले ही ऐसा हुआ हो (मेरे साथ ऐसा हुआ था), मगर आप आगे बढ़ आए हैं, उससे आगे निकल आए हैं और इसके कारण आप एक मजबूत और समझदार व्यक्ति बन गए हैं। इसलिए अगली बार जब आप खुद को किसी मौके पर फंसा हुआ पाएं या असफलता के डर से अपंग हो जाएं, तो यह याद करें कि आप पहले भी नाकामी से उबर चुके हैं...और आप फिर से उबरेंगे।

आप तथ्यों के अध्ययन से सीख सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत अनुभव से मिलने वाली सीख की तुलना में यह कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैंने पहले कहा, असफलता जीवन का हिस्सा है, महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इससे कैसे निपटते हैं? असफलता पर काबू पाना चरित्र-निर्माण के लिहाज से तो एक बड़ा कदम है ही, इस बात पर विचार करना कि असफल कैसे और क्यों हुए, आपको आगे बढ़ने और सफलता के लिए तैयार करना है। इसलिए असफलता से डरने की कोई जरूरत नहीं।

पाउलो कोएल्हो

ओम बिरला | लोकसभा अध्यक्ष

स्वाधीनता के साढ़े सात दशकों की राष्ट्रीय यात्रा में लोकतंत्र और संविधान ने हमारे राष्ट्र को सुदृढ़ रखा है। इस दौरान जब भी किसी ने हमारे लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया, तो देश की जनता ने उसे जवाब भी दिया है।

अनुलोम-विलोम

सीबीएसई परीक्षा

परीक्षा में संतुलन की सार्थक शुरुआत

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) ने कक्षा 10 की परीक्षा प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव की घोषणा की है। यह बदलाव 2026 से बोर्ड परीक्षा में होगा और इसके तहत दो बार परीक्षा देने का विकल्प होगा। इसका मतलब है कि छात्रों को साल में दो बार परीक्षा देने का मौका मिलेगा और बेहतर अंक को अंतिम परिणाम माना जाएगा। यह बदलाव छात्रों को अपने परिणाम में सुधार के अवसर देने के लिए किया जा रहा है। इस नई व्यवस्था से छात्रों पर परीक्षा का दबाव कम होगा, उन्हें सुधार का एक अवसर मिलेगा। पहली परीक्षा फरवरी में अनिवार्य होगी, जबकि मई में होने वाली दूसरी परीक्षा वैकल्पिक। पुनर्मूल्यांकन की सुविधा अंतिम परिणाम के बाद ही उपलब्ध होगी। 2025 की परीक्षा में कंप्यूटर-आधारित आंसर शीट चेकिंग, ओपन-बुक आंसर और 15 प्रतिशत सिलेबस कटौती जैसी सुविधाएं पेश की गई थीं, जो अब 2026 की नई नीति से और अधिक मजबूत होंगी। सवाल है, कक्षा 10 के छात्रों के लिए ये सुधार कितने फायदेमंद होंगे?

इसका सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि दोनों परीक्षा में मिले अंकों में से अधिकतम अंक को अंतिम माना जाएगा। हालांकि, छात्र केवल तीन मुख्य विषयों (विज्ञान-गणित, सामाजिक विज्ञान, भाषा) में सुधार के लिए दूसरा मौका ले सकते हैं। यदि छात्र पहली परीक्षा में तीन या अधिक विषयों में उपस्थित नहीं होते हैं, तो उन्हें आवश्यक दोहराव श्रेणी में रखा जाएगा और दूसरा मौका नहीं मिलेगा। पहले चरण में अनुत्तीर्ण छात्र दूसरे चरण (मई और अप्रैल) की कम्पार्टमेंटल परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि, दूसरा चरण वैकल्पिक होगा और केवल वही छात्र इसमें शामिल होंगे, जो अपने अंक में सुधार करना चाहते हैं या पहली परीक्षा में असफल रहे हैं। पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुसार होगा, जिसमें वैश्विक दृष्टिकोण को शामिल किया जाएगा। यह बदलाव छात्रों के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि यह उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने और अपने शैक्षणिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। उन छात्रों के लिए भी यह सहूलियत भरा और फायदेमंद होगा, जिनका शैक्षणिक सत्र सर्दियों में चलता है। उनको अलग से सुविधा दी जाएगी, ताकि वे दोनों परीक्षा में से सुविधानुसार चुनाव कर सकें। शारीरिक रूप से अक्षम और राष्ट्रीय खेल के प्रतिभागी छात्रों को भी यह लचीली व्यवस्था प्रदान की जाएगी। नई नीति छात्रों को मानसिक दबाव से मुक्त करने और सुधार की गारंटी देती है। यह कदम 'परीक्षा में लचीलापन और संतुलन' की सार्थक शुरुआत है।

स्वाति कुमारी, टिप्पणीकार

इससे छात्रों में तनाव और असमंजस बढ़ेगा

नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत सीबीएसई ने दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा साल में दो बार कराने की जो घोषणा की है, उससे उलझनें ही बढ़ेंगी। जो चर्चा लंबे समय से चल रही थी, सीबीएसई अब उसकी पुष्टि करते हुए दो बार परीक्षा लेने की व्यवस्था शुरू करने जा रहा है। हालांकि, कक्षा 12वीं के छात्रों को दो बार परीक्षा की यह सुविधा अभी नहीं मिलेगी। मगर दिक्कत यह है कि सीबीएसई परीक्षा देश के साथ ही दूसरे देशों में भी आयोजित होती है, ऐसे में दो बार प्रश्न-पत्र बनाना आसान नहीं होगा। इसके बाद साल में दो बार बोर्ड परीक्षा का मतलब है कि अब पूरा शैक्षणिक सत्र परीक्षाओं की तैयारी और परिणामों के पुनर्मूल्यांकन में ही बीतेगा। इससे गहराई से सीखने की प्रक्रिया बाधित हो सकती है।

स्कूल और शिक्षकों पर भी पाठ्यक्रमों को दो-दो बार पढ़ाने, छात्रों के मार्गदर्शन और दोनों सत्र के लिए अभ्यास कराने का दबाव रहेगा, जो उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। फिर ऐसे कमजोर छात्र, जिन्हें एक बार में ही बोर्ड परीक्षा कठिन लगती है, वे दो बार की तैयारी को और अधिक तनाव वाला कर्म मान सकते हैं। इससे स्कूल की पाठ्यचर्या पर असर होगा और प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, इंटरनल असेसमेंट और दूसरी सहायक गतिविधियां सीमित हो सकती हैं। इसके अलावा, दो बार की परीक्षा होने से अधिकाधिक छात्र उत्तीर्ण होंगे, जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं पर दबाव बढ़ाने का काम करेंगे। इन परीक्षाओं में छात्रों के बीच प्रतियोगिता और कठिन हो जाएगी, क्योंकि छात्रों की भारी भीड़ उमड़ पड़ेगी। बार-बार की तैयारी, कोचिंग और पढ़ाई के अतिरिक्त खर्च और समय की कमी से परीक्षार्थी जूझ सकते हैं। ग्रामीण इलाकों के छात्रों के लिए यह कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा।

सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि दो बार बोर्ड परीक्षा के लिए क्लासरूम पढ़ाई कब होगी? देश भर में सीबीएसई की दसवीं कक्षा की क्लासरूम पढ़ाई अप्रैल के दूसरे सप्ताह से शुरू होती है। करीब 40 दिनों की पढ़ाई के बाद कई प्रदेशों में गर्मी, तो कई राज्यों में 70 से 80 दिन की पढ़ाई के बाद बरसात की छुट्टियां पड़ जाती हैं। अगस्त-सितंबर और अक्तूबर में विद्यार्थियों की छमाही परीक्षा ली जाती है, ताकि उन्हें बोर्ड परीक्षा में लिखने की जानकारी मिल सके। देश के बर्फीले इलाकों में नवंबर से स्कूल बंद होने लगते हैं, जो मार्च में परीक्षा के समय ही खुलते हैं। इन सारे क्रिया-कलापों के साथ सीबीएसई को दसवीं की परीक्षा दो बार लेनी होगी। जाहिर है, इससे असमंजस ही बढ़ने वाला है।

सुभाष रंजन शुक्ला, टिप्पणीकार

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • शनिवार • 28 जून • 2025
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

दान, भोग और नाश ये धन की तीन गतियां हैं। जो न देता है और न ही भोगता है, उसके धन की तृतीय गति (नाश) होती है

-भर्तृहरि

पाकिस्तान फिर बेनकाब

शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर बेनकाब करते हुए भारत पर ही आरोप मढ़ने की उसकी चाल को विफल कर डाला। आतंकवाद के खिलाफ अपने कड़े रुख पर कायम रहते हुए भारत ने पहलगाम आतंकी हमले को नजरअंदाज करने और सीमा पार से होने वाले पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के प्रति भारत की चिंताओं को अनदेखा करने पर बृहस्पतिवार को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। एससीओ रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहलगाम आतंकी हमले को वक्तव्य में शामिल करने की मांग की, जबकि पाकिस्तानी पक्ष ने बलूचिस्तान में चरमपंथी गतिविधियों पर टिप्पणी डलवाने पर जोर दिया, जो साफ-साफ भारत पर आरोप मढ़ने का प्रयास था। पाकिस्तान की इस हरकत के कारण सम्मेलन संयुक्त वक्तव्य के बिना ही समाप्त हो गया। वक्तव्य के मसौदे में पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र ही नहीं था और न ही सीमा पार से होने वाले आतंकवाद पर भारत के रुख को दर्शाया गया था। ये सारी चालें सम्मेलन के अत्यंत महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर भारत के रुख को कमजोर करने के लिए चली जा रही थी, मामले को भांपते ही रक्षामंत्री ने पाक के धुर्रे उड़ा दिए। राजनाथ ने आतंकवाद का प्रायोजक ठहराते हुए जवाबदेह ठहराने की अपील की। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 'ऑपरेशन सिंदूर' को रेखांकित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंड रखने वालों के खिलाफ एससीओ को भी भारत जैसी कड़ी नीति अपनानी चाहिए। अब आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का वक्त आ गया है। आतंकवाद को प्रायोजित, पोषित और अपने संकीर्ण और निहित उद्देश्यों के लिए इसका इस्तेमाल करने वालों को परिणाम भुगतने ही होंगे। ऑपरेशन सिंदूर इसकी शुरुआत थी जिसके तहत भारत ने आतंकवाद से बचाव तथा सीमा पार से होने वाले हमलों को रोकने के अपने अधिकार का प्रयोग किया। आपरेशन से आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की भारत की नीति उसकी कार्रवाइयों के माध्यम से प्रदर्शित हुई है। भारत के इन प्रयासों को एससीओ के सदस्य देशों से निसंकोच भरपूर सहयोग और समर्थन मिलना ही चाहिए। दुनिया के इस भूभाग में इसी से शांति और विकास का मार्ग प्रशस्त होगा तथा संगठन का उद्देश्य सार्थक हो सकेगा।

बहाल हो भरोसा

जम्मू-कश्मीर में प्रतिवर्ष होने वाली वार्षिक तीर्थयात्रा अमरनाथ के लिए पंजीकृत श्रद्धालुओं में से केवल एक तिहाई ने यात्रा की पुष्टि की है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण कुल तीर्थयात्री पंजीकरण में बीते वर्ष की तुलना में 10 फीसद से अधिक की गिरावट देखी जा रही है। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के दौरान इस वर्ष तीन जुलाई से 9 अगस्त तक यह यात्रा चलेगी। सिन्हा ने बताया कि पहलगाम घटना से पहले पंजीकरण अच्छी गति से चल रहा था। जिसमें तकरीबन दो लाख छत्तीस हजार श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया था। इस हमले में 26 पर्यटकों के मारे जाने के बाद से समूचे जम्मू-कश्मीर विशेषकर घाटी जाने वालों में काफी गिरावट आई है। बीते साल अमरनाथ की यात्रा करने वालों की संख्या पांच लाख बारह हजार तक पहुंच गई थी। जो बीते दशक से भी ज्यादा समय में सबसे ज्यादा बताई गई। विश्वास किया जा रहा था कि सुरक्षा-व्यवस्था बढ़ाए जाने के दावों के बाद उम्मीद की जा रही थी कि यात्रियों में भय कम हो सकता है। आतंकियों द्वारा की गई जघन्य हत्या से लोगों में इस कदर भय है कि स्थानीय व्यापारियों व होटल वालों का कहना था कि गर्मियों में यहां दस/बीस फीसद पर्यटक आए, जिससे उनका सारा धंधा चौपट हो गया। अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा पहलगाम हमले से पहले पंजीकरण कराने वाले तीर्थयात्रियों से दोबारा सत्यापन की प्रक्रिया चालू की, जिसमें बस पिचासी हजार शिवभक्तों ने पंजीकरण की दोबारा पुष्टि की है। हालांकि लोग जल्द ही त्रासदियां भुला देते हैं। मगर सुरक्षा को लेकर लापरवाही यात्रियों की जान जोखिम में डालने वाली हो सकती है। यूं भी तीर्थ स्थलों में उमड़ने वाली भीड़ और इसके कारण उपजी अव्यवस्था की खबरें आम हो चुकी हैं। यूं भी दुर्गम इलाकों और घाटियों को तमाम छानबीन के बावजूद पूर्णतः सुरक्षित रखने का दावा अतिउत्साह कहलाएगा। पहले कई दफा आतंकवादी इस पवित्र यात्रा को निशाना बनाने की धमकियां भी देते रहे हैं। किसी भी आयोजन की सफलता उसका शांतिपूर्ण ढंग से निपट जाना है। बावजूद इसके कि श्रद्धालुओं को प्रलोभन देकर आमंत्रित किया जाए और उनकी जान जोखिम में डाली जाए।

कटाक्ष/ कबीरदास

नोबेल का सवाल है, बाबा!

इसे चील झपट्टा नहीं तो और क्या कहेंगे? मोदी जी के हाथ आया-अवाया शांति का नोबेल, ट्रंप जी झपट ले गए। माने अभी ट्रंप जी को भी मिला नहीं है, पर अगले का नाम कम से कम चर्चा में तो है। दूसरे चर्चा नहीं भी करें तब भी, अगला खुद तो अपना नाम चर्चा में रखे ही हुए है। और वह भी कैसे? नोबेल देने वालों को ताने दे-देकर कि कितना भी डिजर्विंग हो, ट्रंप को तो पुरस्कार दोगे नहीं! और बेचारे मोदी जी, नोबेल का नो भी जुबान पर नहीं ला पा रहे हैं। मोदी जी को ये दिन भी देखने थे, ट्रंपवा तेरी फ्रेंडशिप में।

एक बात माननी पड़ेगी कि ट्रंप की निगाह शुरू से ही शांति के नोबेल पर थी। गद्दी संभालने से पहले से अगले ने शांति-शांति का जाप करना शुरू कर दिया था। पहले से रूस और यूक्रेन वालों को समझा रहा था, लड़ाई बुरी चीज है। फिर गद्दी पर बैठ गया और शांति ऑन डिमांड का धंधा शुरू कर दिया। शांति तो नहीं हुई, रूस-यूक्रेन में भी नहीं, इस्राइल-फिलिस्तीन में तो खैर उसने कोशिश भी नहीं की, पर ट्रंप की शांति के नोबेल की दावेदारी का हल्ला शुरू हो गया। तभी हिन्दुस्तान-पाकिस्तान लड़ पड़े। बस ट्रंप ने मौके पर चौका जड़ दिया। एलान कर दिया--मैंने वार रुकवा दी। दो नाभिकीय ताकतों के बीच वार रुकवा दी। कारोबारी डील का लालच देकर वार रुकवा दी! क्या अब भी नोबेल नहीं मिलेगा? मोदी जी ठगे से देखते रह गए। लड़ाई हमारी। लड़ाई शुरू हमने की।

वार रुकवाने का मौका कोई और लूट ले गया! मोदी जी बुद्ध और युद्ध की तुक की मिलाते रह गए, हमारे अपने युद्ध का नंबर आया, तो कोई और बुद्ध बनकर चला गया। कम से कम ये वार रुकवाने के मामले में तो मोदी जी की आत्मनिर्भरता को मौका मिलना चाहिए था। पर ट्रंप मोदी जी का मौका छीनकर ही नहीं बैठ गया। अपने नोबेल के चक्कर में इस्राइल से ईरान पर हमला करा दिया। फिर मोदी जी का आत्मनिर्भरता का फार्मूला चुराकर, खुद भी ईरान पर हमला कर दिया। फिर खुद ही एक और युद्ध विराम का एलान कर दिया! अब तो दे दो शांति का नोबेल! वर्ना कोई और लड़ाई छिड़वा कर शांति करानी पड़ेगी! दे दे शांति के नाम; एक नोबेल का सवाल है, बाबा!

सभी को स्वास्थ्य सुरक्षा

सामयिक

डॉ. सुरजीत सिंह गांधी

तकनीकी और आर्थिक प्रगति के बल 2047 तक विकसित देशों में श्रेणी में सम्मिलित होने के लिए तत्पर भारत में स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र एक गंभीर और चिंताजनक स्थिति से जूझ रहा है। लगभग 40 करोड़ लोगों के पास कोई स्वास्थ्य सुरक्षा नहीं है। बीमा नियामक संस्थानों द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले दो वर्षों में बीमा करवाने वाले की संख्या में निरंतर गिरावट आई है। वर्ष 2021-22 में बीमा कवरेज 4.2 प्रतिशत था, जो 2022-23 में घटकर 4 प्रतिशत और 2023-24 में घटकर 3.7 प्रतिशत ही रह गया है। इसी अवधि में प्रीमियम दर 15 से 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने से जीवन बीमा कवरेज भी 3.2 प्रतिशत से घटकर 3 प्रतिशत रह गया है।

बड़ी संख्या में लोगों ने या तो अपनी पॉलिसी को छोड़ दिया है, या फिर उसे नवीनीकृत नहीं कराया है। स्पष्ट है कि भारत में, जहां करोड़ों लोग स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच से दूर हैं, वहीं बीमा कवरेज का कम प्रतिशत गहरी नीति विफलता की ओर संकेत करता है। हास्यास्पद यह है कि जिस समय देश को बीमा कवरेज बढ़ाने की जरूरत है, उसी समय यह महंगा और सीमित होता जा रहा है। देश में बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार न होने से एक ओर बीमारियों का इलाज लगातार महंगा होता जा रहा है, वहीं महंगा स्वास्थ्य बीमा आम आदमी के लिए बोझ और मजबूरी बनता जा रहा है। एक गंभीर बीमारी का इलाज कराने में 2 लाख से 15 लाख रुपये तक लग जाते हैं।

ऐसे में स्वास्थ्य बीमा आम आदमी को सुरक्षा कवच प्रदान करता है, जो परिवार को आर्थिक रूप से बिखरने से बचाता है। वर्तमान में स्वास्थ्य बीमा की भूमिका आर्थिक सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह जीवन की गुणवत्ता, सामाजिक न्याय और नागरिक आत्मसम्मान का प्रश्न बन चुकी है। स्वास्थ्य बीमा की सर्वाधिक मुश्किल देश का मध्यम वर्ग झेल रहा है। गरीबों के पास आयुष्मान भारत योजना है। अमीर तबका कॉरपोरेट बीमा और प्राइवेट क्लिनिक का खर्च वहन कर सकता है, लेकिन मध्यम वर्ग के पास न सरकारी सहारा है, न विशेष छूट। यदि वह किसी प्रकार से बीमा ले भी लेता है तो सरकार भी अपनी असंवेदनशीलता का परिचय देते हुए उस पर 18 प्रतिशत का जीएसटी लगा देती है। उल्लेखनीय है कि भारत में निजी बीमा कंपनियां जन-कल्याण के लिए नहीं बल्कि लाभ कमाने के लिए काम करती हैं। इनका प्रीमियम ही अधिक नहीं होता है बल्कि उत्पाद की शर्तें भी जटिल होती हैं। कंपनियां उपभोक्ता की जागरूकता के अभाव का लाभ उठाकर

छिपी शर्तों वाले प्लान बेचती हैं। भारत में मेडिकल खर्च हर साल औसतन 14 से 15 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। इसके विपरित भारत सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र पर जीडीपी का केवल 2.1 प्रतिशत ही व्यय करती है, जो विश्व में सबसे कम गिने जाने वाले देशों में आता है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका 16 प्रतिशत, जर्मनी 10 प्रतिशत, ब्राजील 9 प्रतिशत व्यय करता है। विकसित देशों में स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था भारत से श्रेष्ठ है क्योंकि वहां सरकारी भागीदारी ज्यादा है। स्वास्थ्य सेवा को मौलिक अधिकार होने से बीमा कवरेज सार्वभौमिक है।

बदलती स्थितियों में भारत में भी बीमा को एक अनिवार्य वस्तु माना चाहिए, इसलिए इसे सेवा की श्रेणी के वैकल्पिक वित्तीय उत्पाद से बाहर निकाला जाना चाहिए। मात्र कुछ राजस्व के लिए एक लोक कल्याणकारी राज्य लोगों के जीवन को कैसे दांव पर लगा सकता है? स्वास्थ्य बीमा जैसे संवेदनशील क्षेत्र को पूरी तरह से निजी कंपनियों के भरोसे छोड़ना सामाजिक अन्याय है। बड़े कॉर्पोरेट घरानों से जुड़े होने से यह निजी बीमा कंपनियां अपने राजनीतिक-आर्थिक प्रभाव का प्रयोग नीति-निर्माण में अपने हित साधने के लिए भी करती है। इसलिए सरकार की जवाबदेही बनती है कि वह आईआरडीएआई को कानूनी रूप से सशक्त बनाए, जिससे प्रीमियम रेट फिक्सिंग, क्लेम रिजेक्शन पर जुर्माना, जन शिकायतों की अनिवार्य सुनवाई हो सके। यह नियामक संस्था निजी कंपनियों पर कड़ा नियंत्रण रखे, पारदर्शिता लाए, और आम जनता विशेषकर मध्यम वर्ग को सस्ती, भरोसेमंद और आसान बीमा सेवा उपलब्ध कराए। इसके लिए स्वास्थ्य को 'मौलिक अधिकार' मानते हुए आईआरडीएआई नियामक संस्था के अधिकारों में वृद्धि करनी पड़ेगी, जिससे यह संस्था केवल गाइडलाइन ही जारी न करे बल्कि निजी कंपनियों की मनमानी पर भी नियंत्रण करे।

जन-हित स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस संस्था को प्रीमियम की अधिकतम सीमा तय करने का अधिकार भी मिलना चाहिए, जिससे निजी कंपनियों द्वारा किए जाने वाले क्लेम रिजेक्शन पर कड़े दंड का प्रावधान कर सके। सभी पॉलिसियों को स्थानीय भाषा में देना अनिवार्य किया जाना चाहिए जिससे लोग समझ सकें कि वो क्या ले रहे हैं और उसकी शर्तें और नियम क्या है। प्रत्येक बीमा कंपनी के लिए यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि वह अपनी वार्षिक रिपोर्ट को सार्वजनिक करे, जिससे यह जानकारी मिल सके कि कितने क्लेम मिले और कितने रिजेक्ट हुए। जिससे बीमा क्लेम की प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और डिजिटल बनाने के साथ-साथ वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग सरल बीमा योजना तैयार की जानी चाहिए।

सरकार को मध्यम वर्ग स्वास्थ्य सुरक्षा योजना पर विचार करते हुए सार्वभौमिक बीमा के अंतर्गत आयुष्मान भारत योजना का विस्तार भी करना चाहिए। बीमा लोकपाल को अधिक जवाबदेह बनाना जाना चाहिए। बीमा विवादों के त्वरित निपटारे के लिए राज्यों में स्वतंत्र निकाय बनाए जाने चाहिए। इसके लिए राज्य सरकारों को स्वतंत्र स्वास्थ्य राशि का आवंटन किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य बीमा अब विकल्प नहीं, एक नागरिक अधिकार है, जो प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए। इसके लिए आदर्श मॉडल के रूप में सरकार एक मिश्रित बीमा मॉडल अपनाए जहां निजी कंपनियां सेवा दें, लेकिन नीति, दाम, और पारदर्शिता सरकार के नियंत्रण में हो। सरकार कमजोर एवं मध्यम वर्ग को सब्सिडी और संरक्षण प्रदान करे। एक मजबूत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली न केवल सामाजिक कल्याण के लिए आवश्यक है, बल्कि वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की भारत की आकांक्षा के लिए भी महत्त्वपूर्ण है।

(लेख में व्यक्त विचार निजी हैं)

> सरकार को मध्यम वर्ग स्वास्थ्य सुरक्षा योजना पर विचार करते हुए सार्वभौमिक बीमा के अंतर्गत आयुष्मान भारत योजना का विस्तार भी करना चाहिए। बीमा लोकपाल को अधिक जवाबदेह बनाना जाना चाहिए। बीमा विवादों के त्वरित निपटारे के लिए राज्यों में स्वतंत्र निकाय बनाए जाने चाहिए। इसके लिए राज्य सरकारों को स्वतंत्र स्वास्थ्य राशि का आवंटन किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य बीमा अब विकल्प नहीं, एक नागरिक अधिकार है

मीठा नीम : स्वाद और सेहत का अनमोल खजाना

- करी पत्ता को मीठा नीम भी कहा जाता है। इसके पत्ते की संरचना नीम के पत्ते से काफी मिलती-जुलती है लेकिन इसके पत्ते का स्वाद नीम के पत्ते की तरह कड़वा नहीं होता
- करी पत्ता का वैज्ञानिक नाम मुराया कोएनिजी है। यह पौधा मुख्य रूप से भारत और श्रीलंका में पाया जाता है। भारत में यह दक्षिणी राज्यों में बहुतायत में उगता है
- इस पौधे की उंचाई 2 से 4 मीटर होती है। इसे बीज या छोटे-छोटे पौधों की मदद से घर के बगीचे में या गमले में लगा सकते हैं
- करी के पत्ते में आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन, विटामिन-बी2, बी6 और बी12 जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो ह्रदय रोगियों के लिए गुणकारी है। प्रति दिन करी पत्ते का सेवन करने से आंखों की समस्या में आराम मिल सकता है

(मीडिया इनपुट्स)

गुस्ताखी माफ!

जब मोदी सरकार इंदिरा गांधी पर आपातकाल के लिए लानत-मलामत भेजती है, तो यह भी ध्यान रहे कि उमर खालिद अभी भी जेल में हैं। हमें नहीं पता कि उन्होंने कौन-सा अपराध किया है, जो पांच साल से जेल में हैं। इन बीते 11 वर्षों के लिए अब हम क्या कहें?

स्वाति चतुर्वेदी, पत्रकार
@bainjal

समय पर न्याय मिलना जरूरी

मुद्दा | डॉ. प्रभात दीक्षित

भारत की न्यायिक व्यवस्था अब बदलाव की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा चुकी है। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने अब महीने में दो अतिरिक्त कार्य दिवस जोड़ने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यानी अब दूसरे और चौथे शनिवार को भी सुप्रीम कोर्ट खुलेगा और नियमित मामलों की सुनवाई करेगा। यह फैसला केवल अदालत के काम के घंटे बढ़ाने का मामला नहीं है, बल्कि एक ऐसे समय में आया है जब देशभर में न्याय का बोझ बहुत बढ़ गया है। देश में वर्तमान समय में करीब 5 करोड़ मुकदमे अदालतों में लंबित है। इनमें से अकेले सुप्रीम कोर्ट में 72,000 से अधिक मामले पेंडिंग हैं।

हाईकोर्ट में यह संख्या लगभग 60 लाख के करीब है और सबसे ज्यादा भार तो निचली अदालतों पर है, जहां 4 करोड़ 30 लाख से अधिक मुकदमे वर्षों से फैसले की राह देख रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की यह पहल एक संकेत है कि न्यायपालिका अब खुद भी अपनी कार्य संस्कृति को बदलने को तैयार है और यह बदलाव केवल अदालतों के भीतर नहीं, बल्कि पूरे समाज में फैलना चाहिए, लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है कि क्या अदालतों के कार्य दिवस बढ़ा देने भर से समस्या हल हो जाएगी? जवाब है नहीं। जब तक समाज, सरकार, मीडिया, पुलिस, प्रशासन और आम नागरिक सभी अपनी-अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, तब तक अदालतों पर बढ़ता बोझ कम नहीं होगा। आज जरूरत इस बात की है कि आम आदमी खुद यह सोचे कि क्या हर विवाद अदालत तक ले जाना जरूरी है? अक्सर मामूली झगड़े जैसे कि जमीन के छोटे विवाद, पारिवारिक तनाव, लेन-देन की छोटी बातें भी कोर्ट तक पहुंचा दिए जाते हैं, जिन्हें बातचीत, पंचायत, मीडिएशन या लोक अदालत के जरिये सुलझाया जा सकता है। आम जनता को समझना होगा कि हर मामला न्यायालय में ले जाना ही समाधान नहीं, कई बार यह समस्या को और उलझा देता है। वकीलों की भूमिका भी कम अहम नहीं है। वे मुकदमे की दिशा तय करते हैं, मुकदमा लड़ा जाए या

सुलझाया जाए। अगर वे केवल जीत-हार की सोच से ऊपर उठकर न्याय दिलाने की भावना से काम करें, तो लाखों मामले अदालत तक पहुंचने से पहले ही सुलझ सकते हैं। साथ ही, यह भी जरूरी है कि वकील फर्जी या दुर्भावनापूर्ण मामलों को दर्ज करने से परहेज करें और मुवक्किल को वास्तविक कानूनी रास्ता दिखाएं। इसी तरह पुलिस और जांच एजेंसियों की भी सीधी भूमिका है। जब समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं होती, जब जांच अधूरी रहती है, जब गवाहों की सुरक्षा नहीं होती, तब मामला खिंचता चला जाता है। न्याय प्रक्रिया तभी प्रभावी हो सकती है जब जांच समयबद्ध, निष्पक्ष और तकनीकी रूप से मजबूत हो। कई मामलों में पुलिस की लापरवाही ही न्याय में देरी की सबसे बड़ी वजह बनती है। प्रशासनिक अधिकारियों को भी अपनी भूमिका को गंभीरता से लेना होगा।

जब भूमि विवाद, जाति प्रमाण पत्र, किराएदारी या राजस्व से जुड़े मामूली मसले प्रशासन द्वारा समय पर न सुलझाए जाएं, तो जनता के पास अदालत जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। ऐसे में तहसीलदार, एसडीएम और अन्य अधिकारी अपने स्तर पर सक्रिय रहेंगे तो कोर्ट का बहुत सारा भार हल्का किया जा सकता है। वहीं मीडिया, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाता है, उसे भी जिम्मेदारी निभानी होगी। अक्सर देखा गया है कि मीडिया कुछ मामलों को इस तरह से उछाल देता है कि वह 'ट्रायल बाय मीडिया' बन जाता है। इससे न केवल न्याय की प्रक्रिया प्रभावित होती है, बल्कि जनता का भ्रम भी बढ़ता है। मीडिया का काम है जनता को न्यायिक प्रक्रियाओं की जानकारी देना, कोर्ट के फैसलों को सही संदर्भ में प्रस्तुत करना और जन-जागरूकता फैलाना है।

यदि मीडिया सकारात्मक भूमिका निभाए, तो न्यायपालिका और समाज के बीच की दूरी को पाटने का सबसे सशक्त माध्यम बन सकता है। और अंत में, सरकार और नीति-निर्माताओं की भूमिका इस पूरी तस्वीर में केंद्रीय है। यदि जजों की संख्या पर्याप्त नहीं होगी, यदि अदालतों की इमारतें खस्ताहाल रहेंगी, यदि कोर्ट स्टाफ की ट्रेनिंग पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो कितने भी कार्य दिवस क्यों न बढ़ा दिए जाएं, नतीजे नहीं आएंगे। सरकार को न्यायिक बजट में बढ़ोतरी करनी चाहिए, ई-कोर्ट जैसी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाना चाहिए और न्यायिक नियुक्तियों को प्राथमिकता के साथ निपटाना चाहिए।

निःस्वार्थ सेवा | संत राजिन्दर

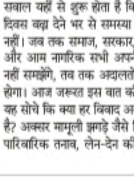

इंसान जो सबसे महान कार्य कर सकता है, उनमें से एक है दूसरों की सेवा करना। सच्ची निःस्वार्थ सेवा वही है, जिसमें हम बदले में कुछ भी नहीं चाहते। इसी भावना के साथ हमें सेवा करनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें अपने नाम, शोहरत, सत्ता और कीर्ति का दूसरों में प्रचार-प्रसार नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत हम दिल से, आत्मा से और मदद की भावना से सेवा करते हैं क्योंकि उस पिता-परमेश्वर की संतान होने के नाते हमारे लिए यही कार्य करना उचित है। इसी प्रवृत्ति में उपचार की शक्ति मौजूद है। निष्काम सेवा केवल कार्य को पूरा करना नहीं है। यह एक खुले दिल से प्रेम बांटने के उपचार का कार्य है। यह एक बहुत ही बड़ी सौगात है, जो प्रेम और उपचार को दूसरों में फैलाती है। इसमें देने वाले का ह्रदय प्रसन्न अथवा स्वस्थ रहता है और वह इंसान प्रेम से भर जाता है। इससे लेने वाले के ह्रदय का भी उपचार होता है। उनकी आंखें भी मानवता के प्रति प्रेम की भावना से भर जाती हैं। देते वक्त हम कुछ भी खोते नहीं हैं। जीवन में कई बार हमने यह अनुभव किया होगा कि किसी जरूरतमंद को कुछ देने पर या कोई त्याग करने के बाद अक्सर वह चीज हमें वापस मिल जाती है या परिस्थितियां ही बदल जाती हैं और हमें देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब हम दूसरों के लिए त्याग करते हैं तो हमें संतोष की प्राप्ति होती है। हम परमात्मा के आशीर्वाद की वर्षा को महसूस करते हुए उनका शुकराना करते हैं कि हमने स्वार्थी होने की जगह देना पसंद किया। अगर हम स्वार्थी होते हैं तो हम पछतावे और दुःख से भर जाते हैं। हम न देने के लिए हमेशा अफसोस महसूस करते हैं। हालांकि देने के बाद कभी कोई पछतावा या दुःख महसूस नहीं करता। देने की खुशी से बढ़कर और कोई खुशी नहीं होती। जिन्होंने निःस्वार्थ भाव से दिया है उन्होंने महसूस किया होगा कि जब कोई देता है तो कभी कुछ भी कम नहीं होता। वे बिन मांगे अधिक से अधिक परमात्मा के आशीर्वादों की वर्षा पाते हैं। कितनी बार हम सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए अच्छाई का दिखावा करते हैं। क्या हम दफ्तर में अपने बॉस से नम्रता या सज्जनता से बातें करते हैं, लेकिन अपने सहकर्मियों या अधीन काम करने वालों के साथ गलत व्यवहार करते हैं?

रीडर्स मेल

भारत की अंतरिक्ष में धाक

भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने स्पेस में पहुंचकर एक नये अध्याय की शुरुआत की है। वाकई ये पल भारत के लिए गौरव, सम्मान और उत्सुकता का है कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला गुरुवार को कामयाबी के साथ अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसआई) में पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए। इस कार्य में सरकार ने भी पूरा सहयोग किया और इसमें कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं हुई। शुभांशु शुक्ला के साथ अंतरिक्ष में गए अब सभी यात्री दो हफ्ते तक डायबिटीज पर रिसर्च, मांसपेशियों पर जीरो ग्रेविटी का असर, मानसिक स्वास्थ्य, पौधों की ग्रोथ से जुड़े प्रयोग करेंगे। अंतरिक्ष में अन्य देशों के यात्रियों के साथ भारत की दस्तक हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब आगे इस मिशन के कामयाब होने का इंतजार है। भारत के लिहाज से अंतरिक्ष में इसे एक ठोस व साहसिक कदम माना जा रहा है। साथ ही ये एक चुनौती भी है जिसे एक प्रयास के तहत पूरा किया जाएगा। उम्मीद है अंतरिक्ष में गए यात्री देश-दुनिया के लिए एक सकारात्मक संदेश व उपलब्धि लेकर लौटेंगे।

हितेंद्र डेढ़ा, दिल्ली

भारत की खरी-खरी

आतंकवाद के मुद्दे पर भारत ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के रक्षा मंत्रियों की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो खरी-खरी दो टूक बात कही है, वह तारीफ-ए-काबिल है। आतंकवाद की फैक्ट्री संचालित करने वाला पाकिस्तान व उसे समर्थन देने वालों की निंदा क्यों नहीं होनी चाहिए? ये सभी निंदा व लानत के पात्र हैं, जो मानवता विरोधी आतंकवाद के पक्षधर हैं। यह भी कितनी बेशर्मी की बात है कि साझा बयान में पाकिस्तान की नाक में दम करने वाले बलूचिस्तान के विद्रोहियों का जिक्र कर रहे हैं, मगर पहलगाम जैसी घटना का जिक्र नहीं करना, सरासर नाइंसाफी है। ऐसे संगठन का क्या औचित्य जो गलत को गलत नहीं कह सकें। रक्षा मंत्री जी ने बयान पर हस्ताक्षर न कर, बयान का जारी नहीं होना, आतंकवाद के पोषक तत्व व उनके समर्थकों के गाल पर एक प्रकार का करारा तमाचा है। रक्षा मंत्री का यह आदर्श वाक्य 'आतंकवाद के साथ शांति का कोई सह-अस्तित्व नहीं हो सकता' यह हर मंच पर गूंजना चाहिए।

हेमा हरि उपाध्याय, 'अक्षत', उज्जैन

मध्य प्रदेश सरकार ध्यान दे

क्या हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां नवजात शिशु का जन्म उत्सव नहीं बल्कि चिंता का कारण बन गया है? हाल ही में जारी एसआरएस बुलेटिन 2022 की रिपोर्ट ने मध्य प्रदेश को देश में शिशु मृत्यु दर (आइएमआर) के मामले में सबसे खराब स्थिति में खड़ा कर दिया है। यहां हर 1,000 जीवित जन्मों पर 40 नवजात दम तोड़ देते हैं। यह आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि उन मासूम जिंदगियों की चीख है जो बेहतर देखभाल और स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में बुझ गईं। सरकार द्वारा 62 सिक न्यू बोर्न केयर यूनिट (एसएनसीयू), 199 न्यूबोर्न स्टेबिलाइजिंग यूनिट (एनबीएसयू) और जिला अस्पतालों में प्रयास किए गए, लेकिन नतीजे निराशाजनक रहे। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और भयावह है। वहां न सुविधाएं हैं, न जागरूकता। अब बदलाव जरूरी है। हर शिशु की सांस को सुरक्षा दो, तभी विकास संभव है।

प्रो. आरके जैन, ई मेल से

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
वर्ष-34, अंक 310

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3, 4 सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा तथा 1209-1210, बाराखंबा रोड, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग नई दिल्ली से प्रकाशित। | स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* |
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 011-23352369, 011-23352372, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 113

आय का सवाल

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने व्यापक परिवार आय सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है जो संभवतः अगले वर्ष आरंभ हो सकती है। अखिल भारतीय आय वितरण सर्वेक्षण के निष्कर्ष अर्थव्यवस्था के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में व्यय की क्षमताओं में अहम संरचनात्मक बदलाव को सामने ला सकते हैं। इससे गरीबी की स्थिति, आय की असमानता का स्तर तथा शहरी और ग्रामीण परिवारों की आम बेहतरी जैसे अहम संकेतकों को समझने में मदद मिलेगी।

इस विषय पर अक्सर तीक्ष्ण और प्रायः विवादास्पद चर्चाएं होती रही हैं कि क्या आर्थिक विकास से सभी वर्गों को लाभ मिल रहा है या क्या तथाकथित ट्रिकल डाउन प्रभाव (यानी समृद्धि का ऊपर से नीचे तक पहुंचना) स्पष्ट दिखता है, परंतु ये शायद ही कभी भरोसेमंद आंकड़ों पर आधारित होती हैं। इसके बजाय परिवार खपत व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस) के आंकड़े या कर रिटर्न फाइलिंग के आंकड़ों पर भरोसा किया जाता है। वर्ल्ड इन-इक्वलिटी लैब जो राष्ट्रीय आय तथा अन्य सर्वेक्षणों के साथ कर रिटर्न का इस्तेमाल करती है उसका अनुमान है कि 1947 से 1980 के दशक के आरंभिक वर्षों के दरमियान देश में असमानता में कमी आई लेकिन उसके बाद हालात उलट गए और विगत 25 सालों में इसमें भारी इजाफा हुआ। लैब के शोधकर्ताओं के मुताबिक वर्ष 2022-23 तक देश के शीर्ष10 फीसदी कमाई वाले लोग राष्ट्रीय आय में करीब 60 फीसदी के हिस्सेदार थे जबकि निचले 50 फीसदी लोगों के पास राष्ट्रीय आय का केवल 15 फीसदी था। हालांकि, उन्होंने उल्लेख किया कि डेटा की गुणवत्ता खराब थी या कहीं बिल्कुल नहीं थी। मिसाल के तौर पर 2017-18 के एचसीईएस के परिणामों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था।

यकीनन आय सर्वेक्षण को लेकर यह पहला प्रयास नहीं है। 1955 से ही ऐसे चुनिंदा प्रयास किए जाते रहे हैं जो गति नहीं पकड़ सके। 1964 और 1970 के बीच दो परिवार सर्वेक्षणों में प्राप्तियों और वितरण के आंकड़े जुटाए गए लेकिन बाद में इसे खारिज कर दिया गया। कारण यह था कि इससे ऐसे आय अनुमान सामने आए जो घरों के संयुक्त उपभोग और बचत अनुमानों से कम थे। वह चुनौती आज भी बरकरार है। लोग अपने वास्तविक आय के ब्योरे साझा करने को लेकर सहज नहीं हैं। अधिकांश उच्च आय वाले लोग अपनी आय कम करके बताते हैं। वे अपने करीबियों से भी इसका खुलासा नहीं करते। इस अनिच्छा को दूर करना, सर्वेक्षण की विश्वसनीयता के लिए बुनियादी बात होगी और इसलिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) को सबसे पहले इस पर ध्यान देना चाहिए।

दक्षिण अफ्रीका में आय और व्यय के संयुक्त सर्वेक्षण किए जाते हैं। वहां जीवन स्तर (जिनमें आय शामिल है) के बारे में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर की दर, व्यय के पैटर्न पर पूछे गए प्रश्नों की तुलना में कम है जबकि नमूने में शामिल परिवारों के लिए इसमें भागीदारी करना कानूनी बाध्यता है। भारत के सर्वेक्षकों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि नमूने का आकार और चुने गए परिवार देश की 1.4 अरब की आबादी का प्रतिनिधित्व करते हों और इसमें विविध आय स्रोत वाले लोग हों, जिनमें कभी-कभार होने वाली आय या वस्तुओं के रूप में भुगतान भी शामिल हों। खासतौर पर ग्रामीण भारत में इसका सटीक आकलन कर पाना मुश्किल है। उभरता शहरी परिदृश्य भी गंभीर बाधा पैदा करता है। गेट वाली कॉलोनियों आदि में अक्सर सर्वेक्षण करने वालों को घुसने नहीं दिया जाता या लोग ऐसे सर्वेक्षणों पर प्रतिक्रिया देने से मना करते हैं। ऐसे में सर्वेक्षण करने वालों को उनकी जगह अन्य परिवारों को चुनना पड़ता है। इससे नमूने का घटक बदल जाता है और नतीजों पर भी असर पड़ता है। इस गतिरोध से निपटना बहुत जरूरी है। आय के स्तर के अलावा मंत्रालय को उम्मीद है कि परिवारों की आय पर तकनीक को अपनाने के असर का भी आकलन किया जाए।

सार्वजनिक उपक्रमों पर सरकार का बदलता रुख

सरकारी उपक्रमों से कम होती विनिवेश प्राप्तियां और सार्वजनिक क्षेत्र को सरकार के पूंजी समर्थन में तेज इजाफा बिल्कुल विरोधाभासी हैं। बता रहे हैं ए के भट्टाचार्य

देश के सार्वजनिक उपक्रमों यानी पीएसयू के साथ नरेंद्र मोदी सरकार के संबंध पिछले 10 साल में काफी बदल गए हैं। इसे लेकर कुछ स्पष्ट तो कुछ अस्पष्ट रुझान हैं। केंद्रीय पीएसयू में सरकारी हिस्सेदारी के विनिवेश से होने वाली प्राप्तियों में बढ़ोतरी और गिरावट ऐसा ही एक स्पष्ट रुझान है। यह वर्ष 2014-15 में जीडीपी के 0.2 फीसदी से बढ़कर 2017-18 में 0.6 फीसदी तक पहुंचा। परंतु अगले कुछ साल तक इसमें लगातार गिरावट आई और 2024-25 में यह 0.03 फीसदी रह गया। वर्ष 2017-18 के बाद से विनिवेश में गिरावट उससे पहले तीन वर्षों में हुए इजाफे की तुलना में तेज थी।

विनिवेश की नीति 1990 के दशक के आरंभ में शुरू की गई थी ताकि राजस्व बढ़ाया जा सके और पीएसयू में सरकारी की हिस्सेदारी कम करके उनमें स्वायत्तता बढ़ाई जाए। इसके पीछे मूल विचार यह था कि सरकार को कारोबार नहीं चलाने चाहिए। विनिवेश को सार्वजनिक कंपनियों के अंततः निजीकरण करने की प्रक्रिया का अंग माना गया।

जाहिर है कि इसी वजह से विनिवेश राजनीतिक रूप से संवेदनशील विचार बन गया। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार के कुछ साल को छोड़ दिया जाए जब करीब दर्जन भर सरकारी उपक्रमों का निजीकरण किया गया था, तो उसके अलावा निजीकरण का विचार परवान न चढ़ सका। बीते तीन दशक में विनिवेश के मामले में भी धीमी प्रगति हुई है।

मई 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद उम्मीद थी कि विनिवेश की योजना का तेजी से क्रियान्वयन होगा और अंततः निजीकरण का भी। शुरुआत भी अच्छी हुई थी और मोदी के पहले कार्यकाल के शुरुआती वर्षों में विनिवेश भी अच्छा हुआ लेकिन यह बरकरार न रह सका।

बीते 10 साल में केवल तीन सरकारी उपक्रमों का निजीकरण किया जा सका- एयर इंडिया, नीलाचल इस्पात और फेरो स्क्रैप निगम। वर्ष 2021 में मोदी सरकार ने आधा दर्जन सरकारी उपक्रमों का निजीकरण करने का निश्चय किया लेकिन इस दिशा में शायद ही कोई कदम उठाया गया। इसके बजाय सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात निगम जैसे उपक्रमों में नई पूंजी डालनी शुरू कर दी, जिसका कि पहले निजीकरण करने की बात की जा रही थी। सरकार ने यह कहते हुए बचाव किया कि वह मानती है कि पीएसयू मूल्य निर्माण करते हैं। परंतु आंकड़े कुछ और ही कहते हैं।

बीते 10 साल में सरकार की विनिवेश और लाभांश से होने वाली प्राप्तियां जीडीपी के 0.45 फीसदी से कम होकर 0.25 फीसदी रह गईं। यह मोदी सरकार के पीएसयू के साथ संबंधों का वह पहलू है जो स्पष्ट नहीं है। इसके विपरीत सरकार ने पीएसयू में इक्विटी और ऋण के जरिये पूंजी निवेश लगातार बढ़ाया है। बीते 10 साल की बात करें तो 2014-15 में जहां उनमें पूंजी निवेश जीडीपी का 0.54 फीसदी था वहीं 2024-25 में यह बढ़कर 1.66 फीसदी हो गया। इसके पहले मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल की बात करें तो 2004-05 के जीडीपी के 0.53 फीसदी से बढ़कर 2013-14 तक यह 0.61 फीसदी हुआ था।

मोदी सरकार ने पीएसयू में जो पूंजी बढ़ाई है वह बीते 10 साल की पूंजीगत व्यय योजना से असंबद्ध नहीं है। वर्ष2014-15 के जीडीपी के 1.6 फीसदी से बढ़कर सरकार का पूंजीगत व्यय 2024-25 में 3.1 फीसदी हो गया।

तथ्य यह है कि सरकार की पूंजीगत व्यय योजना इसलिए इतनी महत्त्वाकांक्षी हो सकी क्योंकि यह सार्वजनिक क्षेत्र को लेकर संशोधित रणनीति पर आधारित थी। याद रहे कि सरकार ने पीएसयू में जो इक्विटी पूंजी डाली और जो ऋण दिया वह भी कुल पूंजीगत व्यय योजना का हिस्सा था। वर्ष 2014-15 में पीएसयू में कुल इक्विटी पूंजी और ऋण करीब 67,512 करोड़ रुपये का था जो मोदी सरकार के 1.96 लाख करोड़ रुपये के कुल पूंजीगत व्यय का करीब 34 फीसदी था। वर्ष2024-25 के अंत तक यह हिस्सेदारी बढ़कर 54 फीसदी हो गई और कुल 10.2 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय में पीएसयू की इक्विटी पूंजी और ऋण के 5.48 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान था।

कुल मिलाकर सरकार की घोषित नीति पीएसयू को मूल्य निर्माण का स्रोत बताने की है लेकिन इसके चलते बीते एक दशक में राजस्व में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में पीएसयू के विनिवेश और लाभांश में कमी आई है। परंतु सरकार इनमें और अधिक संसाधन डाल रही है। इसकी वजह से पूंजीगत व्यय योजना में लगातार इजाफा हुआ है। पलटकर देखें तो लगता है कि पीएसयू को पूंजी और ऋण के रूप में मदद जारी रखना वृद्धि पर बल देने के लिए पूंजीगत व्यय बढ़ाने की सरकार की समग्र योजना का हिस्सा रहा है। खासतौर पर कोविड महामारी के बाद। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी हिस्सेदारी के विनिवेश से दूरी बनाना जितना अहम है उतनी ही महत्त्वपूर्ण यह नीति भी है कि उच्च पूंजीगत व्यय के माध्यम से अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का उपयोग किया जाए।

आगे भी सरकार की समग्र पूंजीगत व्यय योजना को बनाए रखना केंद्रीय पीएसयू के पूंजीगत आधार को मजबूत करने पर निर्भर बना रहेगा। इस राह पर चलने की अपनी सीमाएं हो सकती हैं जब तक कि सरकार अपनी पूंजीगत व्यय योजना को गति देने के लिए नए तरीके तलाशने की कोशिश नहीं करती।

स्पष्टीकरणः वर्ष 2024-25 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार व्यक्तिगत आय कर संग्रह संशोधित अनुमान में उल्लिखित संग्रह से 6 फीसदी नहीं बल्कि 1.7 फीसदी कम था। इस स्तंभ के पिछले आलेख 'राजस्व के अधिक अनुमान के खतरे' में उसे 6 फीसदी कम बताया गया था। अनजाने में हुई इस त्रुटि के लिए खेद है। वित्त मंत्रालय का एक नोट यह भी बताता है कि शुद्ध कर राजस्व संग्रह में 2.3 फीसदी की गिरावट की एक प्रमुख वजह एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर या आईजी-एसटी से होने वाली प्राप्तियों का 'ऋणात्मक' रहना भी है। इनके 2024-25 के संशोधित अनुमानों में शून्य रहने का अनुमान था लेकिन वास्तविक संग्रह में ये 32,995.3 करोड़ रुपये ऋणात्मक रहीं। ऐसा मोटे तौर पर राज्यों के साथ अत्यधिक निपटान के कारण हुआ।

बहरहाल, केंद्र सरकार ने इस राशि को मार्च के बाद राज्यों के साथ समायोजित नहीं करने का निर्णय लिया ताकि इसे वृद्धि को गति देने वाली योजनाओं में निवेश किया जा सके। आईजीएसटी बकाया नहीं वसूल करने के उसके निर्णय ने राज्यों को ऐसे समय पर जरूरी गुंजाइश मुहैया कराई जब जोर इस बात पर था कि बिना केंद्र सरकार के राजकोषीय प्रदर्शन पर असर डाले वृद्धि पर बल दिया जाए। यहां तक कि केंद्र के पूंजीगत व्यय में इजाफे ने भी राज्यों की मदद की क्योंकि इजाफे का बड़ा हिस्सा उन्हें मिले शून्य ब्याज वाले ऋण की बदौलत था।

वित्त मंत्रालय के नोट्स इस बात की ओर भी संकेत करते हैं कि राजस्व व्यय में अंतिम समय में कोई कटौती नहीं की गई जो संशोधित अनुमान से कम था क्योंकि राज्यों को सशर्त वित्त आयोग अनुदान (जिन्होंने अपने दावे पेश नहीं किए या शर्तें पूरी करने में नाकाम रहे) के कारण 25,000 करोड़ रुपये की बचत हुई। ब्याज भुगतान की मांग में 20,000 करोड़ रुपये की बचत हुई। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के कारण 18,000 करोड़ रुपये की बचत हुई क्योंकि इनके लिए राज्यों को अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता नहीं थी। इसी तरह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए तय फंड्स का उपयोग न करने के कारण 8,000 करोड़ रुपये की बचत हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोविड के वर्षों के दौरान उन्हें दिए गए ऋण फंसे कर्ज में तब्दील नहीं हुए और इन फंड्स की आवश्यकता नहीं पड़ी।

शहरी विकास के लिए मची हड़बड़ी का प्रबंधन जरूरी

भारत में अवसरों का भूगोल धीरे-धीरे बदल रहा है। देश के मझोले शहर, भारत की शहरी और आर्थिक विस्तार की अगली लहर के केंद्र बिंदु के रूप में तेजी से उभर रहे हैं। कई दशकों तक, देश की आर्थिक विकास गाथा को बड़े शहरों ने एक स्वरूप दिया है और उसे प्रतीकात्मक तौर पर दर्शाया है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलूरु और हैदराबाद जैसे महानगर पूंजी, प्रतिभाओं और बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए आकर्षण का केंद्र बन गए और अब ये महानगर ही वाणिज्य और नवाचार को बढ़ावा देने वाले अहम केंद्र भी हैं।

फिर भी इस शहरी केंद्रीकरण की एक कीमत चुकानी पड़ी है जो भीड़भाड़ वाली सड़कें, महंगे घर, आवश्यकता से अधिक इस्तेमाल की गई सार्वजनिक सेवाएं, हवा की खराब होती गुणवत्ता, इन उभरते केंद्रों में मौजूद लोगों के जीवन की परिभाषित विशेषता बन गई है। हालांकि अब इन परिस्थितियों में बदलाव आना शुरू हो गया है।

रैंडस्टैड टैलेंट इनसाइट्स रिपोर्ट 2025 के ताजा आंकड़े से अंदाजा मिलता है कि रोजगार सृजन में निर्णायक बाहरी बदलाव हो रहे हैं। सितंबर 2024 और फरवरी 2025 के बीच, मझोले शहरों में नौकरियों के मौके में 42 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई जो बड़े शहरों और महानगरों में देखी गई 19 फीसदी की वृद्धि की दोगुनी से भी अधिक है। इस तेजी में कोई असामान्य बात नहीं दिखती है बल्कि यह बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं, विनिर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी, खुदरा और स्वास्थ्य सेवा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक संरचनात्मक बदलावों का परिणाम है। जैसे-जैसे आर्थिक गतिविधि पारंपरिक शहरी केंद्रों से इतर अन्य क्षेत्रों में बढ़ती है तब इसके कारण बेहतर विचार के साथ ही सुनियोजित शहरी योजना के लिए भी मौके तैयार होते हैं। चंडीगढ़, वडोदरा, गांधीनगर, भुवनेश्वर और औरंगाबाद जैसे मझोले शहर जो कभी प्रमुख विकास केंद्रों या मुख्य बाजार से जुड़े हुए शहर रहे हैं वे भी अब न केवल उन प्रमुख केंद्रों से बराबरी कर रहे हैं बल्कि कुछ क्षेत्रों में आगे भी निकल रहे हैं। उदाहरण के तौर पर वडोदरा ने ऊर्जा और उपयोगिताओं, औषधि और ऑटोमोटिव क्षेत्रों में मजबूत वृद्धि दर्ज की है। यह बदलाव आर्थिक आवश्यकता, डिजिटल बुनियादी ढांचे और कंपनियों की व्यावहारिकता के मिले-जुले कारकों से प्रेरित है।

कंपनियां अब वास्तव में भीड़भाड़ वाले महानगरों के बाहर अपनी संचालन लागत और लाभ के पहलू को पहचान रही हैं। काम के हाइब्रिड मॉडल, ब्रॉडबैंड तक बेहतर पहुंच और शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी पहुंच में अंतर कम होने जैसे कारकों ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। अहम बात यह है कि भारत के मझोले शहरों में कार्यबल का बढ़ता दायरा खुद को कुशल और महत्त्वाकांक्षी साबित कर रहा है। रियल एस्टेट बाजार भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। प्रमुख महानगरों में जमीन भी अब दुर्लभ और महंगी हो गई है, ऐसे में अब डेवलपर और निवेशक छोटे शहरों पर अपनी नजर गड़ाए हुए हैं।

अमित कपूर

भारत में आवास की मांग 2036 तक 9.3 करोड़ यूनिट तक पहुंचने का अनुमान है और इनमें से ज्यादातर मांग मझोले और छोटे शहरों से बनेंगी जहां सस्ती जमीन आसानी से उपलब्ध है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बढ़ने से पारंपरिक शहरों के बाहर भी वाणिज्यिक एवं आवासीय विकास दिलचस्पी बढ़ी है। छोटे शहरों में आवाजाही की गतिविधियों के बुनियादी ढांचे में विस्तार हो रहा है। देश के 29 शहरों में मेट्रो और रैपिड ट्रांजिट नेटवर्क या तो संचालित हो रहे हैं या अभी निर्माणाधीन हैं जिनका दायरा लगभग 2000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस तक की नेटवर्क प्रणाली शहरी घनत्व को थोड़ा कम करने और जिन शहरी केंद्रों पर बोझ ज्यादा बढ़ रहा है उनका दबाव कम करने में मददगार साबित हो रही हैं। इस तरह की कनेक्टिविटी बेहद अहम है क्योंकि यह न केवल मझोले शहरों को अधिक रहने लायक बनाती हैं बल्कि यह इन्हें व्यापक क्षेत्रीय आर्थिक गलियारे से भी जोड़ती हैं।

इस तरह का विकेंद्रीकरण स्वचालित तरीके से संतुलित विकास में नहीं तब्दील होता है। अगर गौर किया जाए तो भारत के महानगर चेतावनी के संकेत की गाथा समेटे हुए हैं। जहां एक तरफ वायु प्रदूषण और यातायात के बोझ से दिल्ली का दम घुट रहा है वहीं चेन्नई और बेंगलूरु लगातार पानी के संकट का सामना कर रहे हैं। यहां तक कि पुणे ने वर्ष 2013 और 2022 के बीच शहरी क्षेत्रों के फैलाव और कुप्रबंधित विकास के कारण कार्बन सोखने की अपनी 34 फीसदी क्षमता खो दी।

ये फलते-फूलते महानगर अक्सर अपने ही बोझ के तले दब रहे हैं। इन गलतियों को दोहराने से बचने के लिए मझोले शहरों को किसी प्रतिक्रिया के तहत नहीं बल्कि सोच-समझकर विकास पर जोर देना चाहिए। बुनियादी ढांचे को न केवल मांग के साथ सामंजस्य बिठाना चाहिए बल्कि इसका पूर्वानुमान भी लगाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि एकीकृत शहरी परिवहन, हरित क्षेत्रों को सुरक्षित रखने वाले क्षेत्र और डेटा के आधार पर शहर की योजना बनाने पर जोर दिया जाए।

भारत के पास शहरी विकास की योजनाएं पहले के मुकाबले काफी बेहतर है। स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत और शहरी बुनियादी ढांचा विकास निधि जैसी योजनाएं शहरों को रहने लायक बनाने और भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप ढलने के लिए डिजाइन की गई हैं। वर्ष 2025 की शुरुआत तक स्मार्ट सिटीज मिशन ने 1.5 लाख करोड़ रुपये की 7,479 परियोजनाएं पूरी कर ली थीं जिनमें 1,700 किलोमीटर से अधिक स्मार्ट सड़कें, 9,400 वाई-फाई हॉटस्पॉट और 100 शहरों में 35,000 से अधिक किफायती आवासीय इकाइयां हैं। हालांकि छोटे नगर निकायों में क्रियान्वयन असमान बना हुआ है।

शहरी स्थानीय निकायों के स्तर पर क्षमता निर्माण सबसे महत्त्वपूर्ण जरूरतों में से एक है। मझोले शहरों के नगर निकायों के पास अक्सर अपनी सोच को हकीकत में बदलने के लिए पर्याप्त वित्तीय साधन और मानव संसाधन नहीं होते हैं। स्थायी विकास के लिए, इन शहरों को केवल फंडिंग ही नहीं बल्कि संस्थागत सुधार, डिजिटल शासन प्रणाली, विश्वसनीय नियामकीय ढांचा तैयार करने और सार्वजनिक प्रशासन में प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करने व बनाए रखने की क्षमता भी आवश्यक है। बुनियादी ढांचे से हटकर, मझोले शहरों को नियमन और नवाचार से जुड़ी अपनी सोच भी विकसित करनी होगी। जैसे-जैसे छोटे शहरों में वित्तीय प्रौद्योगिकी और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में नौकरियां बढ़ रही हैं ऐसे में नियामक लचीलापन बहुत अहम होगा।

यही कारण है कि इस बदलाव को केवल रोजगार और भर्ती के आंकड़ों के रूप में नहीं बल्कि एक संरचनात्मक शहरी परिवर्तन के रूप में देखने का समय आ गया है। भारत के पास एक अनोखा अवसर है। यह शहरीकरण, डिजिटलीकरण और विकेंद्रीकरण तीनों एक साथ कर रहा है। इनमें से हरेक पहलू एक-दूसरे को मजबूत कर सकती है बशर्ते सही संस्थान, प्रोत्साहन और ढांचे मौजूद हों। इसके लिए कुछ मुश्किल सुधारों की जरूरत होगीः शहरी स्थानीय निकाय को वित्तीय स्वायत्तता देना, लागू करने योग्य भवन कानून बनाना, भूमि-उपयोग और परिवहन से जुड़ी योजना को एक साथ जोड़ना, शहरों की सफलता को मापने के तरीके पर फिर से सोचने जैसी कवायद शामिल है।

अब रोजगार सृजन, हवा की गुणवत्ता, आने-जाने का समय और सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता जैसे मापदंडों को निर्माण की तादाद या सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि से अधिक प्राथमिकता मिलनी चाहिए। फिलहाल, संकेत आशाजनक हैं। कंपनियां छोटे शहरों में निवेश करने को तैयार हैं और प्रतिभाशाली लोग वहां रुकने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन अगर शासन मॉडल आर्थिक बदलाव की गति से मेल नहीं खाता तब ये सभी ये लाभ निरर्थक साबित हो सकते हैं।

(लेखक इंस्टीट्यूट फॉर कंपेटिटिवनेस के चेयरमैन हैं। लेख में मीनाक्षी अजित का भी योगदान)

आपका पक्ष

एससीओ में भारत ने दिखाया अपना दमखम

शांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में भारत ने जिस स्पष्टता और दृढ़ता के साथ आतंक के सवाल पर अपनी बात रखी, वह केवल एक राजनयिक वक्तव्य नहीं, बल्कि नवभारत की आत्मनिर्भर चेतना का उद्घोष है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह का यह आग्रह कि यदि पहलगाम जैसे आक्रोशजनक आतंकी हमले का उल्लेख संयुक्त वक्तव्य में नहीं होगा, तो भारत समर्थन नहीं देगा। यह दर्शाता है कि भारत अब केवल सहनशील नहीं, बल्कि संकल्पशील राष्ट्र बन चुका है। चीन और पाकिस्तान लंबे समय से कूटनीतिक मंचों पर भ्रम फैलाकर आतंक के सरगनाओं को संरक्षण देते रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी यह युगल कई बार भारतविरोधी रुख अपना चुका है, परंतु इस बार भारत ने उनकी दुराशयता का साहसपूर्वक विरोध किया। यह संकेत है कि भारत अब किसी के इशारों पर नहीं चलेगा, बल्कि नीति, न्याय और नैतिकता के आधार पर निर्णय करेगा। इस घटनाक्रम ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भारत को अपने स्वाभिमान और सुरक्षा के प्रश्न पर किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं। केवल आर्थिक या सैनिक सामर्थ्य नहीं, भारत अब सांस्कृतिक और नैतिक नेतृत्व का केंद्रबिंदु बनने की दिशा में अग्रसर है। यह समय भारत के आत्मनिर्णय और सशक्त दृष्टिकोण को विश्वपटल पर स्थापित करने का है। जो भारत कभी मौन साधता था, वही अब अन्याय पर मुखर होकर सम्पूर्ण विश्व को बता रहा है कि शांति की कामना तभी संभव है जब आतंक के पोषकों को स्पष्टतः प्रतिरोध मिले। यही नवभारत का प्रबल संकेत है, यथार्थ, संकल्प और समरसता का अद्वितीय संगम।

अवनीश कुमार गुप्ता, प्रयागराज

रक्षा मंत्री ने एससीओ बैठक में कहा था कि यदि पहलगाम आतंकी हमले का उल्लेख संयुक्त वक्तव्य में नहीं होगा, तो भारत समर्थन नहीं देगा

चीन के साथ व्यापारिक संबंधों की हो समीक्षा

1950 में राजनयिक संबंध स्थापित करने के बाद से, चीन और भारत ने सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों की विशेषता वाले एक जटिल संबंध को आगे बढ़ाया है। दोनों एशियाई दिग्गजों ने चुनौतियों का सामना किया है, विशेष रूप से उनकी विवादित हिमालयी सीमा पर, लेकिन उन्होंने आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को भी बढ़ावा दिया है। हाल के वर्षों में उल्लेखनीय विकास हुए हैं, क्योंकि दोनों देश द्विपक्षीय जुड़ाव के लिए अपने दृष्टिकोण को फिर से मापते हैं, वाणिज्यिक सहयोग को बढ़ाते हुए अपनी सीमा को स्थिर करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दीर्घावधि में, भारत को विनिर्माण क्षेत्र पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अपनी बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ, भारत में विनिर्माण हस्तांतरण को आकर्षित करने की क्षमता है, जो चीन के विनिर्माण निर्यात को चुनौती दे सकता है। चीन के साथ भारत के व्यापारिक संबंध महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि चीन पिछले 15 वर्षों से भारत के लिए आयात का सबसे बड़ा गंतव्य रहा है। एशियाई देशों के साथ आयात प्रतिस्थापन और मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से चीन पर निर्भरता कम करने के भारत के प्रयासों के बावजूद भारत के आयात में चीन की हिस्सेदारी समय के साथ बढ़ी ही है।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

उत्तराखंड के नैनीताल में शेरवुड कॉलेज के 156वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान छात्र-छात्राओं के साथ मौजूद उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह।

जल संकट
गंभीर चेतावनी

जल संकट एक गंभीर चेतावनी के रूप में सामने है क्योंकि 2030 में मांग आपूर्ति से बहुत अधिक हो जाएगी। जल संकट कोई सुदूर खतरा न होकर तात्कालिक है। भारत में हमने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया है। उनका दोहन करते समय हम इस बात की जरा भी चिन्ता नहीं करते हैं कि वे सीमित है और गैर-जिम्मेदार तरीके से उपयोग के कारण वे हमारी कल्पना से बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे। भारत आज भयानक जल संकट के कगार पर है जिससे आर्थिक प्रगति के पटरी से उतरने, खाद्य सुरक्षा अस्थिर होने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के नुकसान का खतरा है। दुनिया की 18 प्रतिशत जनसंख्या के बावजूद भारत के पास ताजे पानी के केवल 4 प्रतिशत संसाधन हैं। नीति आयोग के '2018 कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स' ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी है कि 600 मिलियन भारतीय अत्यधिक जल संकट में जी रहे हैं। 2030 तक मांग उपलब्ध सप्लाई की दो गुनी हो सकती है। इसके बावजूद लगातार आ रहे प्रमाणों से स्पष्ट है कि देश इसका मुकाबला विखंडित नीतियों तथा मामूली समाधानों से कर रहा है। जल संकट की जड़ें बहुत गहरी और बहुआयामी हैं। इसका एक प्रमुख कारण देश में पानी का अत्यधिक असमान वितरण है। जहां कुछ राज्य विनाशकारी बाढ़ों का सामना करते हैं, वहीं दूसरे पूरे साल सूखा झेलते हैं। जलवायु परिवर्तन ने यह विसंगति और बढ़ा दी है। भूमिगत जल पर अत्यधिक निर्भरता ने समस्या को और गंभीर बनाया है। अत्यधिक पानी निकालने से भारत दुनिया में भूमिगत जल का सबसे बड़ा प्रयोगकर्ता बन गया है, जबकि इसका संभरण सप्लाई की पूर्ति में अक्षम है। जलवायु परिवर्तन ने जल समीकरण को वर्तमान संकट से भावी खतरे में बदल दिया है। अनुमान से परे बरसात कृषि संकट का कारण है। सिकुड़ते ग्लेशियरों ने सभी जल भंडारों में कमी को और बढ़ावा दिया है। हिमालय के ग्लेशियर गंगा और सिंधु नदियों की जीवनरेखा हैं और वे चिन्ताजनक तेजी से पिघल रहे हैं।

जल स्रोतों में प्रदूषण भी समान रूप से गंभीर चेतावनी है। 2024 की वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि भारत में 70 प्रतिशत से अधिक जल प्रदूषित है। 19 राज्यों में 230 मिलियन से अधिक लोग आर्सेनिक व फ्लोराइड प्रदूषित पेयजल का प्रयोग कर रहे हैं। अशोधित सीवेज व औद्योगिक कचरा नदियों को प्रदूषित कर उनको अनुपयोगी बना रहा है। इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य पर भयानक विपरीत प्रभाव पड़ता है। नीति आयोग के अनुसार हर साल लगभग 200,000 लोगों की जान जल-जनित रोगों के कारण चली जाती है, जबकि इस त्रासदी को रोका जा सकता है। बैंगलुरू, चेन्नै और दिल्ली जैसे शहर पहले से ही इतने भयानक जल संकट का सामना कर रहे हैं जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 21 शहर 2030 तक भूमिगत जल समाप्त कर चुके होंगे जिसका प्रभाव 100 मिलियन से अधिक लोगों पर पड़ेगा। हालांकि, इस गंभीर संकट से बाहर निकलने का रास्ता है, पर इसके लिए व्यवस्थित परिवर्तन जरूरी है। समन्वित जल संसाधन प्रबंधन-आईडब्ल्यूआरएम अब अपवाद के बजाय नियम बनना चाहिए। पानी को अलग-थलग कर नहीं देखा जा सकता है, बल्कि इसे ऊर्जा, कृषि, जलवायु और स्वास्थ्य के साथ मिला कर देखा जाना चाहिए। राष्ट्रीय नीतियों में भी यह यथार्थ दिखना चाहिए।

प्रकृति आधारित समाधान, जैसे दलदली भूमि की बहाली को विस्तार देने की आवश्यकता है। इसके साथ ही अद्यतन तकनीकों, जैसे तत्काल निगरानी एवं जल जवाबदेही व्यवस्थायें लागू की जानी चाहिए ताकि जल संसाधनों के प्रयोग तथा उनके समतापूर्ण पुनः वितरण पर ध्यान दिया जा सके। भारत में जल सुरक्षा एक तात्कालिक आवश्यकता के साथ दूरगामी योजना की आवश्यकता भी स्पष्ट करती है। सुरक्षित जल सप्लाई आर्थिक रूप से जीवन्त तथा सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण भविष्य के लिए आवश्यक है। हालांकि, पिछले एक दशक में सरकार ने जल संरक्षण के मुद्दे पर गंभीरता प्रदर्शित की है। ऐसे में देखना होगा कि भारत इस उभरती चुनौती से कैसे निपटता है।

सिंधु जल संधि पर उचित दृष्टिकोण

भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय सिंधु जल संधि स्थगित करने के निर्णय ने पश्चिमी नदियों के जल संसाधनों पर ध्यान आकर्षित किया है। यह प्राकृतिक संसाधनों के साझे पर निर्णायक नीतिगत परिवर्तन है।

बी. के. सिंह
(लेखक, पूर्व वन अधिकारी हैं)

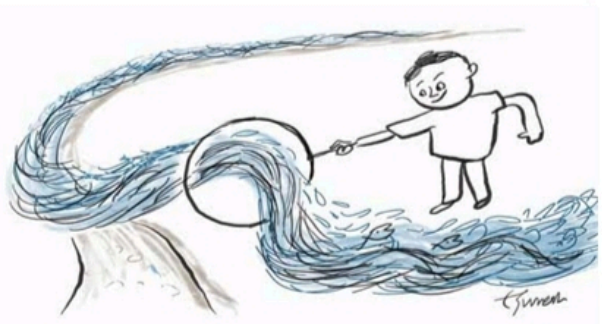

भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय सिंधु जल संधि स्थगित करने के निर्णय ने पश्चिमी नदियों के जल संसाधनों पर ध्यान आकर्षित किया है। यह प्राकृतिक संसाधनों के साझे पर निर्णायक नीतिगत परिवर्तन है। इस्लामाबाद परंपरागत युद्ध के बजाय भारत के नागरिकों और सशस्त्र बलों को आईएसआई-प्रशिक्षित आतंकियों द्वारा निशाना बनाता रहा है। इसी के अंतर्गत उसने 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला किया जिसमें 26 नागरिकों की मौत हुई। इनमें एक नेपाली समेत सभी पर्यटक थे।

इसके बाद पाकिस्तान की इस रणनीति का भारत ने करारा और व्यापक जवाब दिया। इस आतंकी हमले के तत्काल बाद भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों को निकाल बाहर किया, उसकी राजनयिक उपस्थिति घटाई तथा सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया। 22 अप्रैल के आतंकी हमले के जवाब में भारत ने 7 मई को तड़के 'आपरेशन सिंदूर' शुरू किया तथा नौ ठिकानों पर निर्धारित आतंकी ढांचों पर हमले किए जिनमें से पांच पाक अधिकृत कश्मीर तथा चार पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में थे। इनमें मुरिदके व बहावलपुर में दो प्रमुख आतंकी संगठनों- लश्करे तैयबा और जैशे मुहम्मद के मुख्यालय शामिल हैं। इस आपरेशन से इन शिविरों में सौ से अधिक आतंकवादी मारे गए।

तुर्किए और चीन निर्मित हथियारों का प्रयोग करते हुए पाकिस्तानी प्रतिक्रिया टकराव के चार ही दिन में विफल कर दी गई। इससे पाकिस्तान के 11 हवाईअड्डों व वायु रक्षा प्रणालियों को व्यापक नुकसान पहुंचा।10 मई को शाम 5.35 पर युद्धविराम की घोषणा के बाद भी सिंधु जल संधि-आईडब्ल्यूटी स्थगित रखी गई। दोनों देशों ने कई युद्ध लड़े हैं और भारत को पड़ोसी देश द्वारा प्रायोजित अनेक आतंकी हमलों का सामना करना पड़ा है, पर 1960 के बाद पहली बार आईडब्ल्यूटी स्थगित की गई है। इससे पाकिस्तान को उसके दु:साहस का स्थाई खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हाल के वर्षों में भारत आईडब्ल्यूटीमें द्विपक्षीय परिवर्तन की मांग करता रहा है। 1960 में हस्ताक्षरित इस संधि में दोनों देशों के बीच 6 नदियों की घाटियां शामिल हैं। सिंधु, झेलम और चिनाब पश्चिमी नदियां हैं जिनको पाकिस्तान को आवंटित किया गया है, जबकि पूर्वी नदियां रावी, व्यास और सतुलज भारत को आवंटित हैं। संधि में पाकिस्तान को 80 प्रतिशत पानी आवंटित किया गया है, जबकि अपर रिपेरियन स्टेट भारत को केवल 20 प्रतिशत दिया गया है। दुनिया की किसी अन्य जल संधि में अपर रिपेरियन स्टेट के साथ इस प्रकार का भेदभाव नहीं हुआ है जिसे लोअर रिपेरियन स्टेट के प्रति सर्वाधिक उदार संधि माना जाता था। विभाग से संबंधिक स्थाई समिति की 2021में जारी रिपोर्ट के अनुसार इस संधि में ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन मुद्दों तथा पर्यावरण प्रभाव आंकलन को भी स्थान नहीं मिला है।

संधि लागू होने के दौरान पाकिस्तान ने लगातार भारत की पनबिजली योजनाओं पर आपत्ति की थी। हाल के वर्षों में किशनगंगा और रातले पनबिजली परियोजनाओं पर आपत्ति दर्ज कराई गई। इन निराधार आपत्तियों के आधार पर पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, हेग का दरवाजा खटखटाया, जो काफी परेशान करने तथा हमारी प्रगति में बाधा डालने वाला था। पाकिस्तान केन्द्रशासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर की आर्थिक प्रगति में भी बाधा डालता रहा है। रिपोर्टों से इस बात की पुष्टि होती है कि आईडब्ल्यूटी के कारण इस क्षेत्र को सैकड़ों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। संधि के 65 साल बाद जलवायु परिवर्तन ने परिदृश्य में व्यापक परिवर्तन किए। पूरब की ओर सतलुज, व्यास और रावी नदियों को जल देने वाले ग्लेशियर स्थित थे, जबकि तुलनात्मक रूप से कम ऊंचाई पर कराकोरम पहाड़ों में स्थित ग्लेशियर पश्चिमी नदियों-सिंधु, झेलम और चिनाब को पानी सप्लाई करते थे। निचले क्षेत्रों में स्थित ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ रहे थे और पीछे हट रहे थे। लेकिन ऊंची कराकोरम पहाड़ियों में स्थित ग्लेशियर सिकुड़ नहीं रहे थे और तुलनात्मक रूप से स्थिर थे।

वैज्ञानिक समुदाय में इसे 'कराकोरम विसंगति' कहा जाता है। ग्लेशियरों के सिकुड़ने के कारण पूर्वी नदियों-सतलुज, व्यास और रावी में पानी का प्रवाह घट रहा था। इसका प्रभाव पंजाब और राजस्थान के भारतीय राज्यों तथा संघशासित जम्मू कश्मीर में सिंचाई व बिजली उत्पादन के लिए उपलब्ध पानी पर पड़ रहा था। इस प्रकार आईडब्ल्यूटी में भारत को पानी का 20 प्रतिशत हिस्सा आवंटित होने के बावजूद हमें केवल 5 प्रतिशत पानी मिलता था। 'कराकोरम विसंगति' का संबंध मध्य कराकोरम में ग्लेशियरों की प्रगति से था जो हिमालय के अन्य निकटवर्ती पहाड़ों तथा दुनिया के अन्य पहाड़ों की तुलना में एकदम उलट था। अध्ययनों से पता चला कि इस विसंगति का कारण सालों से हो रहे तापमान परिवर्तन से था। पश्चिमी बाधायें जाड़े में इस क्षेत्र में हिमपात का मुख्य आधार हैं। इसके परिणामस्वरूप पिछले दो दशकों में कराकोरम में बरसात 10 प्रतिशत बरसात बढ़ी है। इससे स्पष्ट है कि जहां पश्चिमी नदियों में पानी का प्रवाह लगभग स्थिर था और इसमें 10 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती थी, वहीं पूर्वी नदियों में पानी कम ही रहा था। इस स्थिति को देखते हुए आईडब्ल्यूटी में परिवर्तन होना चाहिए था। पहलगाम आतंकी नरसंहार के बाद पधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जोर दिया है कि यह संधि तब तक स्थगित रहेगी, जब तक हमारा पड़ोसी देश आतंकवाद को उसके सभी रूपों में समर्थन देना बंद नहीं करता है।

खासकर जलवायु परिवर्तन के कारण पैदा 'कराकोरम विसंगति' को देखते हुए आईडब्ल्यूटी को वर्तमान स्वरूप में पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अधिकारियों से चिनाब, झेलम व सिंधु नदियों पर परियोजनायें बनाने व उनके क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया है। केन्द्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में सिंधु घाटी में सभी लंबित व प्रस्तावित परियोनाओं को पर्यावरण अनुमति तेजी से देने का निर्देश दिया है ताकि इन नदी प्रणालियों के अधिकतम जल का प्रयोग किया जा सके। चिनाब से नहरों की योजना भी बनाई जा रही है ताकि सिंचाई से ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र लाभान्वित हो सकें। उरी-2, किर्थल-2 तथा सावलकोट परियोजनाओं का उद्देश्य पनबिजली पैदा करने के साथ सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना है। इनको 'सिंगल विंडो' अनुमति के लिए छांटा गया है।

1980 के दशक में उत्तरी कश्मीर की वुलर झील पर स्थित तुलबुल सिंचाई बैराज पर पाकिस्तान के दबाव में काम रोक दिया गया था, पर अब उसे फिर शुरू किया जा सकता है। आईडब्ल्यूटी को स्थगित करने के बाद भारत ने जल भंडारों से गाद हटाने के लिए बगलीहार और सलाल बांधों से पानी छोड़ने का निर्णय किया है। इसके कारण चिनाब नदी में पानी बढ़ा और पाकिस्तान में बाढ़ आ गई। गाद हटाने के बाद बांध के गेट बंद कर दिए गए जिससे पाकिस्तान के पंजाब और सिंध में धान की खेती और उसकी रोपाई में बाधा आई।

अब भारत बरसात का डेटा देने के लिए भी बाध्य नहीं है। इस पर पाकिस्तान ने भ्रम फैलाते हुए कहा कि चीन भी इसी प्रकार ब्रह्मपुत्र का पानी रोक सकता है जहां भारत लोअर रिपेरियन स्टेट है। लेकिन चीन ऐसा कभी नहीं कर सकता है। ब्रह्मपुत्र चीन के तिब्बत में स्थित आंगसी ग्लेशियर से निकलती है और भारत के अरूणाचल प्रदेश में प्रवेश से पहले चीन के यारलुंग सांगपो से गुजरती है। इसे अरूणाचल प्रदेश में सियांग और दिबांग तथा असम और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। चीन ने यारलुंग सांगपो में पनबिजली बांध बनाने की घोषणा की है, पर भारतीय विशेषज्ञों का कहना है कि वह ब्रह्मपुत्र से पानी का प्रवाह नहीं रोक सकता है।

आईडीएसए के डेटा से स्पष्ट है कि सूखे के मौसम में भी भारत में आने वाले ब्रह्मपुत्र के पानी में यारलुंग सांगपो का प्रवाह बहुत कम है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सर्मा ने हाल ही में इस झूठ को उजागर करते हुए एक्स पर लिखा था, 'ब्रह्मपुत्र ऐसी नदी है जिसमें भारत उसके ऊपरी क्षेत्र पर निर्भर नहीं है। इसे भारतीय नदी व्यवस्था में बरसात से पानी मिलता है और यह भारत में प्रवेश के बाद बढ़ता है।' इसमें ग्लेशियर पिघलने तथा चीन के तिब्बत क्षेत्र में बरसात से थोड़ा ही योगदान होता है। ब्रह्मपुत्र में बाकी 65-70 प्रतिशत पानी का योगदान भारतीय मानसून से होता है और इसे अरूणाचल प्रदेश, असम, नगालैंड व मेघालय में बहने वाली नदियों से पानी मिलता है। इस प्रकार चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र में ऊपर किए गए किसी हस्तक्षेप से भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

बाल श्रम के विरुद्ध तेलंगाना का संघर्ष

“ तेलंगाना ने न केवल देश में सबसे अधिक बचाव अभियान चलाए बल्कि अपराधियों के खिलाफ की गई गिरफ्तारियों की सूची में भी शीर्ष स्थान पर रहा। ”

स्वप्ना मजूमदार
(लेखिका, वरिष्ठ पत्रकार हैं)

बाल श्रम बचाव पर एक हालिया रिपोर्ट में पाया गया है कि तेलंगाना 2024-25 में बच्चों को गैरकानूनी रोजगार से बाहर निकालने में अन्य सभी राज्यों से आगे निकल गया है। इस अवधि के दौरान भारत में बचाए गए 53,651 बच्चों में से 11,063 को तेलंगाना में नया जीवन दिया गया। राज्य ने न केवल देश में सबसे अधिक बचाव अभियान चलाए बल्कि अपराधियों के खिलाफ की गई गिरफ्तारियों की सूची में भी शीर्ष स्थान पर रहा। हालांकि यह शोषणकारी काम से बचाए गए सभी कमजोर बच्चों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन उचित पुनर्वास सुनिश्चित होने के अभाव में उनका जीवन अभी भी निश्चित रूप से अधर में लटकेगा।

यह महत्वपूर्ण कार्य तेलंगाना के लिए आसान हो सकता है क्योंकि उसके पास पहले से ही एक सफल पुनर्वास रोडमैप है, हैदराबाद स्थित गैर-लाभकारी एमवी फाउंडेशन का शुक्रिया, जो दस लाख से अधिक बच्चों को काम से निकालने में कामयाब रहा है उनकी सफलता का आधार उनका यह विश्वास रहा है कि स्कूल न जाने वाले किसी भी बच्चे को बाल मजदूर माना जाना चाहिए और बाल मजदूरी को खत्म करने के लिए स्कूल और शिक्षा ही एकमात्र विकल्प हैं। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपनाया गया मॉडल सरल है।

सबसे पहले, प्रत्येक हस्तक्षेप गांव में स्कूल न जाने वाले सभी बच्चों का सर्वेक्षण किया जाता है। गांव वाले अक्सर अपने घरों के बाहर साड़ी पहनी एक महिला को अपने बच्चों के बारे में पूछते देखकर हैरान रह जाते थे। लेकिन एमवीएफ की संस्थापक ट्रस्टी और बाल मजदूरी को खत्म करने के लिए अपने काम के लिए मैग्सेसे पुरस्कार विजेता

शांता सिन्हा को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए मनाने के लिए उनके घरों की फर्श पर बैठने में कोई संकोच नहीं हुआ। इस व्यक्तिगत दृष्टिकोण ने उनके बच्चों को आवासीय ब्रिज कोर्स कैंप (आरबीसी) में जाने की अनुमति दिलाने में मदद की। ये उन बच्चों की मदद के लिए अल्पकालिक गहन शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करते हैं जो काम करने के लिए स्कूल छोड़ चुके हैं या जो कभी स्कूल नहीं गए हैं, अपने ज्ञान के अंतराल को भरने के लिए। फिर उन्हें सरकारी स्कूलों में मुख्यधारा में लाया जाता है। समुदाय, माता-पिता, स्थानीय पंचायत सदस्यों और स्कूल शिक्षकों से मिलकर बाल अधिकार संरक्षण मंचों की स्थापना करना सुनिश्चित करता है कि नामांकित बच्चे स्कूल में बने रहें।

अगर घर-घर जाकर सर्वे न किया गया होता, तो 11 वर्षीय अमृता अपने परिवार के साथ खेतिहर मजदूर के तौर पर काम करती रहती। वह ज्यादातर रातों को भूखे पेट सोने के लिए तैयार थी। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब एमवीएफ उसके गांव में शिक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने आया। उन्होंने उसके माता-पिता को उसे आरबीसी में भेजने के लिए प्रेरित किया।

जब यह पता चला कि अमृता कैंप में गई है, तो पांच अन्य बच्चे, जिन्होंने जीवन बदल देने वाले अनुभव के बारे में सुना, वे भी उसके साथ वहां शामिल हो गए। उनमें से एक सड़क किनारे एक ढाबे पर काम कर रहा था और इस डर से कि उसे आरबीसी में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी, अपने नियोक्ता को बताए बिना भाग गया। वह एमवीएफ कैंप तक ट्रेन पकड़ने के लिए 10 किमी पैदल चला।

एमवीएफ दृष्टिकोण ने बाल श्रम के उन्मूलन को सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक स्वामित्व की भावना को बढ़ावा देकर सैकड़ों बच्चों को दूसरा बचपन पाने का मौका दिया है शोषण के लिए समान रूप से असुरक्षित वे लोग भी हैं जो लापता बताए गए हैं क्योंकि उन्हें भी खतरनाक व्यवसायों में फंसने का खतरा है। इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन नामक एक स्वैच्छिक संगठन के अनुसार, 2024-25 में 11,400 से अधिक बच्चों के लापता होने की सूचना मिली है, जिसने जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन के साथ मिलकर बाल श्रम बचाव पर रिपोर्ट तैयार की है, जो 250 से अधिक संगठनों का एक नागरिक समाज नेटवर्क है जो बाल श्रम और तस्करी से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय में काम कर रहा है।

हालांकि इन लापता बच्चों में से बड़ी संख्या में बच्चे मिल गए हैं, लेकिन उन्हें पुनर्वास की समान चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें स्कूल में वापस लाने के लिए समुदाय-आधारित, बाल-संरक्षण दृष्टिकोण को अपनाना इन सभी बच्चों के लिए जीवन बदलने वाला हो सकता है।

आप की बात

विश्व शांति जरूरी

आज विश्व शांति की बड़ी दरकार है मगर कोई भी देश इसे समझने को तैयार नहीं लगता। ऐसा लगता है ठोकर खाकर ही अकल ठिकाने पर आती है। हालिया ईरान-इजरायल संघर्ष में हजारों निर्दोष जानें गईं, शहर खंडहरों में तब्दील हो गए और सभ्यताओं की नींव हिल गई। अंततः शांति वार्ता और युद्धविराम की शरण में आना ही पड़ा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह पहले संभव नहीं था? यदि विवादों को शुरुआती दौर में ही राजनयिक मार्ग से सुलझा लिया जाता तो न निर्दोष लोगों को जान से हाथ धोना पड़ता और न ही संसाधनों की बड़ी बर्बादी होती। युद्ध में हर तरफ केवल हानि ही होती है। विजेता पक्ष भी उतना ही नुकसान उठाता है भले ही उसे जीत हासिल हो जाए। संघर्षरत देशों को यह बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं बल्कि नई समस्याओं की जननी है। विश्व शांति के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ व सुरक्षा परिषद जैसी संस्थाओं को मजबूत करने के साथ ही दुनिया के सभी देशों की जनता को एक युद्ध-विरोधी, नि:शस्त्रीकरण व खासकर नाभिकीय नि:शस्त्रीकरण व नाभिकीय अप्रसार आंदोलन चलाना होगा। शांति के पक्ष में विश्व जनमत तैयार करने से ही व्यापक परिवर्तन की उम्मीद की जा सकती है।

- अमृतलाल मारू, इंदौर

भारत का कड़ा फैसला

शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत ने जिस स्पष्टता और दृढ़ता के साथ आतंकवाद पर अपनी स्थिति रखी, वह केवल एक राजनयिक वक्तव्य नहीं बल्कि नए भारत की आत्मनिर्भर चेतना का उद्घोष है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यदि पुलवामा जैसे आक्रोशजनक आक्रमण का उल्लेख संयुक्त वक्तव्य में नहीं होगा तो भारत उसका समर्थन नहीं करेगा। चीन और पाकिस्तान लंबे समय से कूटनीतिक मंचों पर भ्रम फैलाकर आतंक के सरगनाओं को संरक्षण देते रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी वे कई बार भारत-विरोधी रुख अपना चुके हैं। परंतु इस बार भारत ने उनकी दृष्टता का सटीक जवाब दिया है। स्पष्ट है कि भारत अब केवल नीतिए, न्याय और नैतिकता के आधार पर निर्णय करेगा। इस घटनाक्रम ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भारत को अपने स्वाभिमान और सुरक्षा के प्रश्न पर किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में राजनाथ सिंह के अत्यन्त स्पष्ट दृष्टिकोण से स्पष्ट है कि भारत बहु-पक्षीयता के नाम पर अपने हितों का बलिदान करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इस प्रकार भारत ने यह भी दिखा दिया है कि वह अब दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में ही व्यवहार करेगा।

- अवनीश कुमार गुप्ता, आजमगढ़

अंतरिक्ष की दौड़

भारत अब अंतरिक्ष की नई दौड़ में तेजी से अग्रसर है। एक्सिओम-4 मिशन के माध्यम से भारत ने न केवल तकनीकी श्रेष्ठता का प्रदर्शन किया, बल्कि भविष्य की आधारशिला भी रख दी है। यह मिशन भारत को वैश्विक अंतरिक्ष महाशक्ति बनाने की दिशा में मील का पत्थर है। मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित क्षुद्रग्रह पट्टी में प्लेटिनम, सोना, कोबाल्ट और लीथियम जैसे दुर्लभ तत्वों का विशाल भंडार है। ये संसाधन आधुनिक तकनीक, विशेषकर बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्वच्छ ऊर्जा के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। आने वाले वर्षों में इन संसाधनों की खोज और दोहन के लिए अंतरिक्ष शक्तियों के बीच प्रतियोगिता और भी तेज होगी। भारत 2035 तक अपना स्वतंत्र अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना पर कार्य कर रहा है। यह राकेश शर्मा की ऐतिहासिक उड़ान के वर्षों बाद एक नए युग की शुरुआत है। अब अंतरिक्ष यात्रा केवल मानव की शारीरिक क्षमता पर नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे तकनीकी सहयोग पर भी आधारित होती जा रही है। इससे अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले अभियानों की सफलता की संभावना बढ़ गई है। अंतरिक्ष अब वैश्विक शक्ति संतुलन का केंद्र बनता जा रहा है।

सुभाष बुड़ावन वाला, रतलाम

विवादास्पद विजय

न्यूयॉर्क मेयर पद की डेमोक्रेटिक प्राइमरी में जोहरान ममदानी की जीत अमेरिकी राजनीति में नया अध्याय है। पूर्व-गवर्नर एंड्रयू कुओमो जैसे नेता को हराना राजनीतिक संकेत है कि अमेरिका में अल्पसंख्यकों व प्रवासी पृष्ठभूमि से आए नेताओं की स्वीकार्यता बढ़ रही है। ममदानी ऐसे दौर में उभरे हैं जब ट्रंप की प्रवासी-विरोधी नीतियां चर्चा में हैं। संभवतः अमेरिका में विविधता अब भी लोकतंत्र की ताकत है। हालांकि, यह जीत चौंकाने के साथ विवादस्पद भी है। उनके कई बयान और प्रदर्शन भारतीय समुदाय को आहत कर चुके हैं। मेयर पद पर अब उनसे अधिक संतुलन व परिपक्वता की अपेक्षा की जाएगी। उनका भारतीय मूल का होना स्वाभाविक रूप से भारत-समर्थक रुख की गारंटी नहीं है और उनकी वैचारिक पृष्ठभूमि मुस्लिम हितों के प्रति अधिक झुकी हुई मानी जाती है। ममदानी के नेतृत्व का असली मूल्यांकन तो उनके कामकाज से ही होगा, न कि उनके नारों से। यह भी देखना होगा कि क्या यह विजय भविष्य में अमेरिका का डेमोक्रेटिक नेतृत्व के प्रति झुकाव और ट्रंप से असंतोष प्रदर्शित करेगी।

-विभूति बुपक्या, खाचरौद

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से
responsemail.hindipioneer@gmail.com
पर भी भेज सकते हैं।

55 से लेकर 95 किलोग्राम तक कार्बन डाईआक्साइड का उत्सर्जन होता है एक स्मार्टफोन के निर्माण की प्रक्रिया में। आज भारत में 85 प्रतिशत से अधिक घरों में कम से कम एक स्मार्टफोन का उपयोग अवश्य किया जाता है।

राइट टू रिपेयर

इलेक्ट्रानिक उपकरणों की मरम्मत की व्यवस्था

इलेक्ट्रानिक उपकरण बनाने वाली अधिकांश कंपनियों ने पिछले कुछ वर्षों से उत्पाद में टूट-फूट होने की दशा में ग्राहकों के लिए उसके मरम्मत के विकल्प को न्यूनतम कर दिया है। ऐसे में उपभोक्ता मामलों के विभाग ने स्मार्टफोन समेत अन्य इलेक्ट्रानिक वस्तुओं को मरम्मतयोग्य बनाए जाने की दिशा में नए सिरे से पहल की है। निर्माता कंपनियों को यह बताना होगा कि संबंधित उत्पाद मरम्मत के दृष्टिकोण से कितना उपयुक्त है और इसके साफ्टवेयर अपडेट आदि की क्या स्थिति है। ऐसा सुनिश्चित होने से ग्राहकों के हितों की पूर्ति सुनिश्चित हो सकती है

डा. विकास सिंह
मैनेजमेंट गुरु तथा वित्तीय एवं समग्र विकास के विशेषज्ञ

आजकल हर व्यक्ति अनेक प्रकार के इलेक्ट्रानिक उपकरणों का उपयोग करता है। इसने हमारे रोजमर्रा के जीवन को आसान बनाया है। परंतु उसके सामने तब बड़ी समस्या पैदा हो जाती है, जब कोई इलेक्ट्रानिक उपकरण किसी कारण से खराब हो जाए और यह जानते हुए भी कि इसमें आई खराबी सामान्य ही है, फिर भी वह उसकी मरम्मत नहीं करवा सके। ऐसे में अक्सर यह भी होता है कि साफ्टवेयर जनित किसी मामूली गड़बड़ी के कारण भी उपभोक्ता के लिए वह उत्पाद पूरी तरह से बेकार हो जाता है और मजबूरन उसे दूसरा उपकरण खरीदना पड़ता है। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश में उपभोक्ताओं के लिए उपकरणों की मरम्मत करवाना आसान नहीं रहा। ऐसे में पिछले कुछ समय से 'राइट टू रिपेयर' की मांग की जा रही है। सरकार ने भी इस ओर ध्यान देना शुरू किया है।

ऐसे में यह कहा जा सकता है कि सरकार द्वारा 'राइट टू रिपेयर फ्रेमवर्क' विकसित करने का साहसिक कदम उपभोक्ता सशक्तीकरण और पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति बढ़ती प्रतिबद्धता का संकेत देता है। कल्पना करें कि फसल के मौसम के बीच में एक किसान, जिसका 20 लाख का ट्रैक्टर एक साफ्टवेयर लाक होने के कारण रुका हुआ है, जिसे केवल निर्माता ही 50 हजार की सेवा शुल्क के बाद खोल सकता है। या एक छात्र, जिसका लैपटाप टूटी स्क्रीन के कारण बेकार हो गया है, क्योंकि निर्माता कंपनी के समर्पित साफ्टवेयर के कारण वह उसकी मरम्मत नहीं करवा सकता है, जिससे या तो वह कंपनी को 11 हजार रुपये मरम्मत के लिए चुकाना होगा या फिर नया डिवाइस खरीदना होगा। यह लाखों लोगों की वास्तविकता है जो एक ऐसी प्रणाली में फंसे हैं जहां निगम न केवल उत्पाद बेचते हैं, बल्कि वे यह तय करते हैं कि उपभोक्ता उन्हें कितने समय तक उपयोग कर सकते हैं। इसलिए आज राइट टू रिपेयर इसलिए जरूरी है, क्योंकि निर्माताओं ने उत्पाद डिजाइन को हथियार बनाया है, ताकि उपभोक्ताओं और स्वतंत्र मरम्मत की दुकानों को बाहर रखा जाए। भारत जैसे अर्थव्यवस्थाओं में राइट टू रिपेयर की तात्कालिकता और बढ़ जाती है, जहां गैजेट उपयोगकर्ताओं का एक बड़ा हिस्सा उपभोक्ता है।

मरम्मत का अधिकार : इलेक्ट्रानिक्स उद्योग इस मरम्मत-विरोधी अभियान का नेतृत्व करता है। कई स्मार्टफोन निर्माता साफ्टवेयर पेयरिंग का उपयोग करते हैं, ताकि तीसरे पक्ष की स्क्रीन या बैटरी को अक्षम किया जा सके, जिससे यूजर्स को महंगी अधिकृत मरम्मत की ओर मजबूर किया जाए। लैपटाप और गेमिंग कंसोल भी इसी तरह से मजबूत किए गए हैं, जिनमें लाक किए गए हिस्से हैं जो डीआइवाइ 'डू इट योरसेल्फ' यानी स्वयं से मरम्मत करने का जोखिम पैदा करते हैं। आटोमोटिव उद्योग डायग्नोस्टिक टूल और हिस्सों तक पहुंच को प्रतिबंधित करता है, उपभोक्ताओं को नियमित रखरखाव के लिए उच्च दरों वाले डीलरशिप की ओर ले जाता है। किसानों को और भी गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ता है, जहां कुछ कंपनियां साफ्टवेयर बाधाओं का उपयोग करके कृषि उपकरणों को लाक करती हैं, जिससे महत्वपूर्ण मौसमों में फसल के बंधक बनने की आशंका कायम हो जाती है।

उद्योगों में बंधक उपभोक्तावाद : यह शोषण भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं है, यह लाभ को अधिकतम करने के लिए उपभोक्ताओं को फंसाने की एक व्यापक रणनीति को दर्शाता है। मरम्मत संबंधी बाधाओं को बढ़ावा देने वाली मानसिकता अन्य उद्योगों को भी इसके लिए प्रेरित करती है। उदाहरण के लिए, मूवी थिएटर अपने दर्शकों से काफी महंगी दरों पर पापकार्न और पेय पदार्थ बेचते हैं। आजकल अधिकांश प्राइवेट स्कूल भी इस ट्रेंड में शामिल हो चुके हैं, जो अत्यधिक कीमत वाली किताबों को अनिवार्य करके अपेक्षाकृत अधिक कीमत वसूलते हैं। लिहाजा इन सब तथ्यों की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

मानव और पर्यावरणीय लागत : इस प्रणाली के परिणाम चौंका देने वाले हैं। उपभोक्ताओं के लिए, प्रतिबंधित मरम्मत का मतलब है उच्च लागत, कम उत्पाद जीवनकाल और ठीक किए जा सकने वाले सामान को बदलने की हताशा। वर्ष 2024 में इसी संदर्भ में किए गए एक अध्ययन के तहत यह अनुमान लगाया गया कि मरम्मत संबंधी बाधाओं के कारण भारतीय उपभोक्ताओं को विविध उत्पाद खरीदना पड़ता है, जो प्रतिवर्ष के हिसाब से एक लाख करोड़ रुपये से भी अधिक का आंकड़ा है। इस कारण से देश के निम्न-आय वाले परिवारों पर सबसे अधिक बोझ पड़ता है। इन परिवारों के लिए 25 हजार रुपये का स्मार्टफोन या 45 हजार रुपये का उपकरण बदलना केवल असुविधा नहीं है, यह एक वित्तीय संकट भी है जो असमानता और आर्थिक तनाव को गहरा करता है। इससे छोटे व्यवसाय भी पीड़ित हैं, क्योंकि आप देखते होंगे कि इन कारणों से बाजारों में इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के मरम्मत की दुकानें अब नहीं के बराबर रह गई हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं और उद्यमिता का विकास अवरुद्ध हो जाता है।

ऐसे में उपभोक्ताओं के लिए, और वास्तव में भारत की समूची आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए जिनके पास खर्च करने के लिए बहुत ही सीमित आय है, वे लोग इस तरह के गैजेट को दोबारा से खरीदने के लिए मजबूर होते हैं। एक टूटा हुआ स्मार्टफोन या आवश्यक उपकरण केवल असुविधा नहीं है, यह उनकी बचत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है, जिससे वे और अधिक वित्तीय कठिनाई में फंस जाते हैं। इसके अलावा, यह चुनौती इस तथ्य से और जटिल हो जाती है कि भारत में अभी बड़ी संख्या में उपभोक्ता डिजिटल रूप से साक्षर नहीं हैं या विक्रेताओं और निर्माताओं की अनुचित प्रथाओं को प्रभावी ढंग से चुनौती देने के लिए उनके पास जागरूकता और संसाधनों की कमी है। वारंटी की शर्तों को समझ पाना, स्वतंत्र मरम्मत के विकल्पों की पहचान करना, या शिकायत तंत्र के माध्यम से अपने सामान की गड़बड़ी को दुरुस्त कराना उनके लिए आसान नहीं होता। निर्माता की शर्तों के सामने वे स्वयं को शक्तिहीन महसूस करते हैं।

पर्यावरणीय लागत : यह समस्या भी धीरे धीरे गंभीर रूप धारण कर रही है। वैश्विक स्तर पर प्रतिवर्ष पांच करोड़ टन ई-कचरा फेंका जाता है, जिसमें से अधिकांश मरम्मत योग्य इलेक्ट्रानिक्स जैसे स्मार्टफोन, लैपटाप जैसे उपकरण शामिल हैं। इन उपकरणों में लिथियम, कोबाल्ट जैसी दुर्लभ धातुएं होती हैं जो लैंडफिल में खो जाते हैं, जहां वे मिट्टी और भूजल में जहरीले रसायनों के रूप में शामिल हो जाते हैं। नए इलेक्ट्रानिक्स का उत्पादन समस्या को और बढ़ाता है। एक स्मार्टफोन के प्रतिस्थापित यानी रिप्लेस होने से लगभग 80 किलोग्राम कार्बन डाइआक्साइड का उत्सर्जन होता है। ऐसे में राइट टू रिपेयर के बिना हम एक खर्चीले और असुरक्षित चक्र में फंसते जा रहे हैं। यह पारिस्थितिकी तंत्र को भी दुष्प्रभावित करते हुए आगामी पीढ़ियों के लिए नया खतरा पैदा कर रहा है।

अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर इनका दुष्प्रभाव

मरम्मत के अधिकार को फिर से कायम करने के लिए उपभोक्ताओं को ही आगे आना होगा। उपभोक्ता ही इस क्रांति के पीछे की प्रेरक शक्ति है। स्वतंत्र मरम्मत की दुकानों का समर्थन करने या इंटरनेट मीडिया पर 'हैशटैग राइट टू रिपेयर' जैसे अभियान को बढ़ावा देने के साथ ही उपभोक्ता ही इस दिशा में ठोस कदम उठाकर बदलाव ला सकते हैं। रिपेयर एसोसिएशन जैसे संगठनों द्वारा समर्थित राज्य या संघीय राइट टू रिपेयर कानूनों के लिए याचिकाओं पर हस्ताक्षर करना नीति निर्माताओं को एक शक्तिशाली संदेश देता है। स्थानीय 'रिपेयर कैफे' जैसे आयोजनों में शामिल होना, जहां स्वयंसेवक 'डीआइवाइ' मरम्मत कौशल सिखाते हैं, उससे सामुदायिक स्तर पर इन वस्तुओं की मरम्मत के बारे में लोग जागरूक होते हैं। राइट टू रिपेयर आर्थिक और पर्यावरणीय होने के साथ ही यह एक सामाजिक न्याय का मामला भी है। यह कमजोर उपभोक्ताओं को उनके आवश्यक उपकरणों को बनाए रखने और उनके जीवनकाल को बढ़ाने की क्षमता के साथ सशक्त बनाने के बारे में है, जिससे उनकी तकनीकी विशेषज्ञता या वित्तीय लाभ की कमी के कारण उनका शोषण होने से रोका जा सके।

इस संदर्भ में हमें विश्व के उन देशों से भी सीखना चाहिए जिन्होंने इस दिशा में ठोस काम किया है और इन उपकरणों के मरम्मत की व्यवस्था की है। यूरोपीय संघ ने रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन और डिशवाशर जैसे उपकरणों के निर्माताओं को 10 साल तक स्पेयर पार्ट्स और मरम्मत मैनुअल प्रदान करने के लिए नियम बनाने के लिए कहा है। इससे इन वस्तुओं के मरम्मत की दुकानों में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, उपभोक्ताओं के लिए इन वस्तुओं की लागत कम हुई है, और उत्पादों का जीवनकाल बढ़ा है। इससे प्रतिवर्ष अनुमानित रूप से दस लाख टन ऐसे कचरों को लैंडफिल में जाने से रोकने में कामयाबी हासिल हुई है।

अमेरिका के न्यूयार्क व कैलिफोर्निया जैसे राज्यों ने इलेक्ट्रानिक्स और कृषि उपकरणों को लक्षित करने वाले कानून पारित किए हैं, स्वतंत्र मरम्मत बाजारों को सशक्त बनाया है और मरम्मत प्रक्रियाओं में तकनीकी प्रगति को बढ़ावा दिया है। उदाहरण के लिए, मैसाचुसेट्स ने आटोमोटिव राइट टू रिपेयर कानून लागू किया जिसने निर्माताओं को डायग्नोस्टिक डाटा साझा करने के लिए मजबूर किया, जिससे स्वतंत्र मैकेनिकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित हुए। ये वैश्विक और क्षेत्रीय प्रयास प्रदर्शित करते हैं कि मरम्मत को प्राथमिकता देना स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करता है, पर्यावरणीय नुकसान को कम करता है और निर्माता कंपनियों के एकाधिकार को तोड़ता है। वे विशिष्ट उद्योगों के लिए नीतियों को अनुकूलित करने के महत्व को भी उजागर करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि समाधान व्यावहारिक और प्रभावशाली हों।

(डा. विकास सिंह)

फिर से

रिक्शावाला....

पैडल रिक्शा वाले अब बहुत कम रह गए हैं, लगभग नहीं के बराबर। दिल्ली में कुछ मेट्रो स्टेशन के पास मिलते हैं। लगभग दस बरस पीछे लौटूं तो ये रिक्शा वाले सोसाइटी के बाहर खड़े रहते थे। इनकी पहचानी हुई सवारियां होतीं। तभी ई-रिक्शा की आमद बढ़ी और ये धीरे-धीरे कम होते गए। कुछ गांव लौट गए। कुछ ने रिक्शा बदल लिया। जो रिक्शा नहीं बदल सके और गांव भी नहीं लौट सके, वे रह गए, दूसरे कामकाज में लग गए।

जो एकाध बचे हुए हैं वे मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों से मुझे उतरते देख सीट छोड़कर खड़े हो जाते हैं। इन्हें विश्वास है कि यह आदमी बैठेगा। स्टेशन से मेरा घर तीन-चार सौ मीटर दूर है, पर मैं इन रिक्शों पर बैठता हूं, ताकि इनका विश्वास बना रहे। पहले जब कुछ रिक्शा चालक सोसायटी के बाहर खड़े मिलते थे, तब सब्जी भाजी खरीदने जाते हुए या खरीद कर लौटते हुए मैं अक्सर रिक्शे की सवारी करता।

दशकों पहले मेरे पिताजी इसी तरह रिक्शे की सवारी करते थे। कालेज से लौटते हुए बाजार के एक चौराहे पर कुछ रिक्शे वाले खड़े रहते थे। वे कई बार आपस में झगड़ पड़ते। पिताजी कहते, जिसने पहले देखा वही जाएगा। उन्हें रिक्शे से बाजार या कालेज जाते हुए देखकर एक सज्जन चिढ़ाते थे- कार ले लीजिए! बाबूजी हंसते। मैंने एकाध बार उनसे पूछा था कि आप हमेशा रिक्शा लेकर क्यों आते हैं। उन्होंने कहा कि वे उम्मीद से खड़े रहते हैं। ठुकराना अच्छा नहीं लगता।

वे रिक्शाचालक उन्हें कितना आदर देते थे, बरसों बाद मुझे इसका पता चला था। गांव छोड़ने के 20 बरस बाद मैं वहां लौटा था। मेरी काया बदल चुकी थी। मैं 40 का हो चुका था। दाढ़ी बढ़ गई थी। मैं बाजार में खड़ा था। एक रिक्शा चालक मुझे देख रहा था। मैं उसके पास पहुंचा। गांव चलने की बात हुई। वह मुस्कराया। बोला, अकेले हैं? बाबा कहां हैं? मैं चौंक उठा। मैंने उससे पूछा, क्या आप मुझे जानते हैं? वह बोला, जानेंगे कैसे नहीं! बाबा को कालेज से लाते थे।

मैं उसके रिक्शे पर 20 वर्ष पहले पिताजी के साथ बैठा रहा था। उसने मुझे पहचान लिया था। परंतु उसमें मेरा क्या था? सब बाबूजी का था।

(देवांशु झा की फेसबुक वाल का संपादित अंश, साभार)

पोस्ट

सेक्युलरिज्म शब्द से आपत्ति सिर्फ उन्हें हो सकती है, जो देश के सेक्युलर स्वभाव को खत्म करना और संविधान बदलना चाहते हैं। यह शब्द अच्छा है और याद दिलाता है कि देश सबका है।

आशुतोष@ashutosh83B

डा. भीमराव आंबेडकर ने विरोध करके संविधान में 'सोशलिस्ट' और 'सेक्युलर' शब्द जोड़ने नहीं दिया। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में ये शब्द संविधान में डाल दिए। वह भी बिना बहस कराए, क्योंकि उस समय पूरा विपक्ष जेल में था।

दिलीप मंडल@Profdilipmandal

मुंबई में कुछ लोग न्यूयार्क के अगले मेयर के रूप में जोहरान ममदानी की चर्चा में लगे हैं, लेकिन यही लोग शायद मुंबई के पिछले तीन मेयर में से किसी एक का नाम भी न बता पाएं। इसके बावजूद ये लोग शहर में बेहतर सड़कों, ड्रेनेज और नागरिक सुविधाओं की अपेक्षा करते हैं।

मिलिंद देवरा@milinddeora

रिषभ पंत के एक्सीडेंट के समय यह लगा था कि एक युवा प्रतिभा के करियर पर ग्रहण लग गया, मगर पंत की दमदार वापसी दर्शाती है कि मनुष्य की इच्छाशक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं।

रंगनाथ सिंह@rangnathsingh_

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या एससीओ में भारत के कड़े रुख से आतंकवाद के खिलाफ दोहरापन बंद होगा?

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए पंथनिरपेक्ष शब्द की समीक्षा होनी चाहिए?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

स्वाहा दोनों ने किये अरबों के हथियार,
क्या पाया इस जंग से बोलो मेरे यार।
बोलो मेरे यार गईं हजारों जानें,
जन-धन हानि कराय सीज फायर को माने।
करके भीषण युद्ध न पाया वह जो चाहा,
इजरायल-ईरान हो गए आधे स्वाहा!

- ओमप्रकाश तिवारी

बिहार डायरी

चुनाव के मैदान में छवियों का संघर्ष

अरुण अशेष
राज्य ब्यूरो प्रमुख, बिहार

बिहार की राजनीति में नेतृत्व की छवि कितनी महत्वपूर्ण है, यह इस तथ्य से पता चलता है कि बीते 20 वर्षों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह सबसे बड़ी पूंजी प्रमाणित हो रही है। योजनाओं के निर्धारण में सभी वर्गों का ध्यान, अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टालरेंस, पक्षपात रहित कार्रवाई और सामाजिक सौहार्द्र के प्रति निष्ठा- ये सब ऐसे तत्व हैं, जिन्हें नीतीश की छवि की जड़ में देखा जा सकता है। इस छवि की नींव उस दिन पड़ी जब नीतीश कुमार पहली बार 24 नवंबर, 2005 को बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। शपथ ग्रहण के बाद बधाइयों- शुभकामनाओं के दौर में किसी ने उन्हें यह जानकारी दी कि आपके कैबिनेट के एक सदस्य जीतनराम मांझी एक मामले में चार्जशीटेड हैं। नीतीश ने पूरी बात नहीं सुनी। कुछ देर बाद मांझी को बुलाया गया। वह त्याग पत्र देकर ही वापस लौटे। यह वही मांझी हैं, जिन्हें मामलों से पाक साफ बरी होने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया था।

यह नीतीश की इसी छवि का कमाल है कि विधानसभा चुनाव में विरोधी रहे दल भी उनकी सरकार में शामिल हुए। यह आधा सच है कि नीतीश कुमार सरकार बनाने के लिए दूसरे दलों की शरण में गए। पूरा सच यह है कि अपना अस्तित्व बचाने के लिए दूसरे दल उनकी शरण में आए। हर बार शर्तें नीतीश की ही लागू हुईं। अभी जो विधानसभा की तैयारी चल रही है, उसमें भी अन्य मुद्दों के साथ नीतीश की छवि का पक्ष महत्वपूर्ण है। मुख्य विपक्षी दल राजद और महागठबंधन के दूसरे सहयोगी दल इसे अपने एजेंडा में शामिल किए हुए है।

मुख्यमंत्री पद के विपक्ष के मजबूत दावेदार तेजस्वी यादव भी अपने लिए नीतीश जैसी छवि गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें पता है कि केवल विकास ही नहीं, छवि का वैकल्पिक और विश्वास करने योग्य माडल देकर ही नीतीश का मुकाबला किया जा सकता है। यह सिर्फ भाषण से संभव नहीं है। इसे आचरण में भी दिखाना होगा। इसके तहत तेजस्वी ने सबसे पहले उन चेहरों से स्वयं को अलग करना शुरू कर दिया है, जो लालू-राबड़ी शासन के समय दबंग की छवि रखते थे। बदनामी और अंततः राजद की सत्ता से विदाई के कारण बने थे। हालांकि, उनका यह प्रयास अधूरा ही चल रहा है। जनता दल से अलग होकर 1997 में गठित राजद की संरचना ही दबंग प्रधान बनती गई। तेजस्वी ने वर्ष 2020 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में इन दबंगों से निबटने का प्रयास किया था। आंशिक सफलता ही मिल पाई। यह इस साल के विधानसभा चुनाव के लिए जारी उम्मीदवारों की सूची से ही पता चल पाएगा कि तेजस्वी को इसमें कितनी सफलता मिल पाई। क्योंकि ये दबंग केवल दूसरों को ही नहीं, राजद के आधार वोटरों को भी प्रताड़ित करते हैं। ऐसे प्रताड़ित लोग इन दबंगों को दुरुस्त करने के लिए ही राजद के विरोध में मतदान करते हैं। इस तथ्य से राजद के सभी बड़े नेता परिचित हैं। लेकिन, परिमार्जन का साहस नहीं जुटा पाते हैं। उनके पास तर्क रहता है- दूसरे दल भी तो दबंगों को उम्मीदवार बनाते हैं।

नीतीश कुमार। फाइल

उनका इशारा सत्तारूढ़ गठबंधन के दलों की ओर रहता है। यह सच है। अंतर यह है कि राजद के शासन में उसके दबंगों को जिस मात्रा में उत्पात की छूट मिलती है, छूट की वह मात्रा सत्तारूढ़ दलों के दबंगों के लिए उपलब्ध नहीं है।

सत्तारूढ़ दलों के दबंगों ने ठेका-पट्टा को कमाई का जरिया बना रखा है। अभी वाले दबंग सरकारी खजाने को जितना नुकसान पहुंचा दें, राह चलते लोगों को परेशान नहीं करते हैं। इससे यह छवि भी नहीं बनती है कि सरकार दबंगों को संरक्षण देती है। तेजस्वी ने दल की दबंगई को प्रदर्शित करने वाले प्रतीकों की पहचान की। उनसे मुक्ति का प्रयास भी किया। कंधे पर गमछा या मुरेठा बांधने वाले नेताओं-कार्यकर्ताओं को उन्होंने रोक दिया। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी स्वयं भी गमछे को पताका की तरह मंच से लहरा देते थे। उनकी छवि सुधारने के अभियान में जुटी टीम को तेजस्वी के इस रूप का अच्छा फीडबैक नहीं मिला। लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद हुए उप चुनावों में तेजस्वी ने मंच से गमछा लहराना बंद कर दिया था। संभव है कि विधानसभा चुनाव में वह कुछ और शालीन ढंग से अपनी बात रखें।

यह नीतीश की छवि का ही कमाल है कि लाठी घुमावन-तेल पिलावन के नारे और प्रवृत्ति के साथ शैशव अवस्था में पला-बढ़ा राजद अब युवाओं के बीच कलम बांट रहा है। लोगों को याद होगा, जिन दिनों इंफार्मेशन टेक्नोलाजी का विस्तार हो रहा था, राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद मजाक उड़ा रहे थे- ये आइटी-वाइटी क्या है? वहीं तेजस्वी यादव की पूरी राजनीति और रणनीति ही डिजिटल मोड में चल रही है। इस प्रश्न का उत्तर कठिन है। संभव है कि समय इसका उत्तर दे कि तेजस्वी यादव किस हद तक स्वयं को नीतीश कुमार की छवि के समकक्ष नहीं तो कम से कम उसके आसपास भी खड़ा कर पाते हैं। क्योंकि छवियों के बनने और बिगड़ने में भी बहुत समय लगता है।

आदि कैलास

यात्री सुविधाओं का विस्तार

पांच वर्षों के बाद कैलास मानसरोवर तीर्थ यात्रा फिर प्रारंभ हुई है। पहले जत्थे के रूप में कुछ तीर्थयात्री वहां पहुंच चुके हैं। समग्र उपायों से इस यात्रा को और अधिक सुगम बनाया जा सकता है

डा. ऋषि राज
सनातन तीर्थों के जानकार

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी सप्ताह गाजियाबाद से कैलास मानसरोवर जाने वाले तीर्थयात्रियों को रवाना किया। यह सर्वाधिक दुर्गम तीर्थ यात्रा मानी जाती है। वस्तुतः इसकी राह में अनेक कठिनाइयां हैं। ऐसे में हमें इन कठिनाइयों को समझते हुए इसे सुगम बनाने की दिशा में प्रयास करना होगा।

गत दिनों उत्तराखंड के आदि कैलास और ओम पर्वत के दर्शनों के दौरान इन मुश्किलों को निकटता से महसूस करने का अवसर मिला। यह वह रास्ता है जो कैलास मानसरोवर यात्रा के परंपरागत रूट का हिस्सा रहा है। एक समय था जब तीर्थयात्री पिथौरागढ़ से धारचूला और फिर तवाघाट तक वाहन से आते और आगे का करीब 150 किमी लंबा रास्ता पैदल या फिर खच्चरों पर बैठकर तय करते थे। एक दशक पूर्व ही यहां सड़क बनाने का कार्य शुरू हुआ जो अभी तक जारी है। सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में अपनी इस प्रतिबद्धता को दोहराया है कि हम भारत की भूमि के अंतिम छोर तक सड़क का निर्माण कर देंगे जहां से कैलास दर्शन भारत की भूमि से सुलभ हो जाएंगे। ऐसा करने में भारत सरकार ने कामयाबी हासिल कर ली है। फिर भी अभी इस दिशा में बहुत काम किया जाना शेष है।

आध्यात्मिक क्षेत्र के दर्शन : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अक्तूबर, 2023 में आदि कैलास गए थे। जब उन्होंने वहां की तस्वीरों को इंटरनेट मीडिया के माध्यम से साझा किया तो तमाम तीर्थयात्री वहां की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर अचंभित रह गए। बड़ी संख्या में ऐसे तीर्थयात्री हैं देश में जिन्होंने भारत के इस अत्यंत खूबसूरत और आध्यात्मिक क्षेत्र के दर्शन करने का निर्णय लिया। यही कारण है कि यहां आने वाले यात्रियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। यह एक महत्वपूर्ण कारण है कि सरकार को यहां तीव्रता से संसाधनों में बढ़ोतरी करने चाहिए, ताकि यहां आने वाले सभी यात्रियों को पर्याप्त सुविधाएं मिल सकें और सरकार के राजस्व में भी वृद्धि हो।

उल्लेखनीय है कि भारत की जीडीपी में पर्यटन की हिस्सेदारी लगभग पांच प्रतिशत की है, जिसे वर्ष 2030 तक 10 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री स्वयं भी पर्यटन से राजस्व में बढ़ोतरी की अक्सर चर्चा करते रहते हैं। वह स्वयं पर्यटन के सबसे बड़े ब्रांड एंबेसडर हैं। बीते वर्षों लक्षद्वीप के तट पर केवल कुर्सी लगाकर उन्होंने एक तस्वीर खिंचवाई थी जिसका परिणाम सभी जानते हैं। आदि कैलास में भी यही हो रहा है। पिथौरागढ़ भारत का एक मात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं दो देशों नेपाल और चीन से मिलती हैं। धारचूला में अधिकांश यात्री विश्राम करते हैं। यहां से इनर लाइन परमिट प्राप्त करते हैं जो आगे की यात्रा के लिए नितांत आवश्यक है।

आदि कैलास पहुंचने तक विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां इनर लाइन परमिट को जांच करती हैं। एसडीएम धारचूला जो इनर लाइन परमिट जारी करता है उस पर क्यूआर कोड होता है। सुरक्षा एजेंसियां भी सुरक्षा चौकियों पर क्यूआर कोड स्कैनर लगा लें तो यात्रियों का समय बचेगा। धारचूला से गुंजी सौ किमी है। गुंजी वह स्थान है जहां से एक ओर आदि कैलास की तरफ जाते हैं जो कि गुंजी से 35 किमी है, लेकिन ऊंचाई लगभग 14,800 फीट पहुंच जाती है और विपरीत दिशा में 18 किमी पर ओम पर्वत और फिर लिपुलेख होते हुए बड़ा कैलास यानी तिब्बत में पड़ने वाले कैलास मानसरोवर पहुंच जाते हैं।

पर्यावरण संरक्षण : आदि कैलास क्षेत्र में तीर्थ और साहसिक पर्यटन का विस्तार जहां भारत की सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है, वहीं यह एक संवेदनशील हिमालयी पर्यावरण और सीमांत क्षेत्र होने के कारण अत्यधिक सतर्कता की भी मांग करता है। बढ़ते पर्यटक दबाव को देखते हुए यह आवश्यक है कि कचरा प्रबंधन की समुचित व्यवस्थाएं, प्लास्टिक मुक्त यात्रा मार्ग, स्वच्छता और पेयजल सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाएं और डिजिटल परमिट प्रणाली जैसी बुनियादी व्यवस्थाएं विकसित की जाएं, ताकि यात्रियों को सुविधा मिल सके और पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव पड़े।

बुनियादी सुविधाओं के विकास से कैलास की यात्रा को अधिक सुगम बनाया जा सकता है। फाइल

साथ ही, यह भी आवश्यक है कि इस क्षेत्र में पर्यटन आधारित आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया जाए जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले और सीमांत गांवों से मैदानों की ओर हो रहा पलायन रोका जा सके। होमस्टे, स्थानीय गाइड, सांस्कृतिक केंद्र और इको-टूरिज्म जैसे उपाय न केवल आर्थिक समृद्धि लाएंगे, बल्कि इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को भी सहेज कर रखेंगे। सीमावर्ती क्षेत्र में स्थायी जनसंख्या की मौजूदगी राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और पर्यटन के माध्यम से विकास का यह मार्ग पर्यावरण संरक्षण, रोजगार सृजन और सामरिक मजबूती को एक साथ साधने में सक्षम है। इस क्षेत्र में तीर्थ और साहसिक पर्यटन का विस्तार शुभ संकेत है, परंतु यह आवश्यक है कि यह विस्तार पर्यावरणीय संतुलन को बिगाड़े बिना किया जाए।

****

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 28 जून, 2025

दैनिक जागरण
वाणी की मधुरता व्यक्तित्व की आभा बढ़ाती है

भारत और अमेरिका

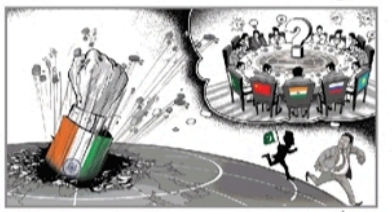

अमेरिका और विशेष रूप से राष्ट्रपति ट्रंप से ऐसे संकेत मिलना अच्छा तो है कि भारत से जल्द व्यापार समझौता हो सकता है, लेकिन मोदी सरकार को इसके प्रति सतर्क रहना होगा कि यह समझौता ट्रंप की शर्तों अथवा उनके दबाव और प्रभाव में बिल्कुल भी न होने पाए। भारत को इस मामले में अडिग रहना चाहिए और अपनी दृढ़ता प्रदर्शित भी करनी चाहिए। इसलिए करनी चाहिए, क्योंकि ट्रंप केवल अमेरिका और यहां तक कि अपने निजी हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं। वे अमेरिका को महान बनाने के लिए कुछ ज्यादा ही जल्दी दिखा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में उन्हें अमेरिका के हितों की चिंता करनी चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वे अपनी ही नीतियों के विपरीत आचरण करें और भारत सरीखे मित्र देश के प्रति बेरुखी दिखाएं। यह तो हद ही है कि वे भारत के हितों की चिंता करने के बजाय उस पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं, जिसे अपने पहले कार्यकाल में धोखेबाज, आतंकियों का समर्थन करने एवं अमेरिका से छल करके पैसे ऐंठने वाला बता चुके हैं। अब वे उसके सबसे बड़े हितैषी दिखना चाह रहे हैं। यह भी ध्यान रहे कि उनकी मनमानी टैरिफ नीति चल नहीं पा रही है और उन्हें अपने कठोर रवैये को मजबूरी में नरम करना पड़ा है। इसके चलते उनकी घर और बाहर फजीहत भी हुई है।

ट्रंप शांतिदूत बनना चाहते हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति से अधिक व्यापारी बनने पर आमादा हैं। यह उनकी मर्जी कि जो चाहे करें, लेकिन भारत को उन्हें अपने साथ मनमानी नहीं करने देनी चाहिए। भारत ने यह कहकर सही किया कि उसे व्यापार समझौते की जल्दी नहीं। आपरेशन सिंदूर और इजरायल-ईरान युद्ध में ट्रंप के दोहरे रवैये को पूरी दुनिया ने देखा। यदि भारत को अमेरिका की आवश्यकता है तो उसे भी भारत का साथ चाहिए। दो देशों के बीच मित्रता तभी कायम रह पाती है, जब वे-एक दूसरे के हितों का आदर करते हैं। ट्रंप ऐसा नहीं कर रहे हैं। ताली एक हाथ से नहीं बज सकती। यह सही है कि अमेरिका आर्थिक-सैन्य दृष्टि से अब भी ताकतवर है, लेकिन अब उसका प्रभाव पहले जैसा नहीं और यह एक तथ्य है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत का अंतरराष्ट्रीय कद बढ़ा है। इसकी अनदेखी कोई भी देश नहीं कर पा रहा-चीन भी नहीं। भारत को चीन एवं अमेरिका, दोनों से सावधान रहने के साथ अपनी आर्थिक शक्ति बढ़ानी चाहिए। इसकी जरूरत विपक्षी दल और विशेष रूप से कांग्रेस भी समझे तो अच्छा। पता नहीं क्यों, वह हर बात में मीन-मेख निकालने की जल्दी में रहती है। लगता है, उसे यह याद नहीं कि वह प्रमुख विपक्षी दल है और लंबे समय तक देश की सत्ता उसके हाथ में रही है।

संवेदनशील बने तंत्र

कोर्ट के जमानत आदेश के बाद भी रिहाई में 28 दिनों की देरी जेल में बंदी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन है। यह उदाहरण है कि हमारे तंत्र की संवेदनहीनता से कोई मनुष्य कितना परेशान हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट भले ही पीड़ित को पांच लाख रुपये का मुआवजा दिला दे, परंतु उसने जो मानसिक यंत्रणा झेली, उसकी भरपाई पैसे से नहीं हो सकती। जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद जेल में जमानत के बाद भी बंद उत्तर प्रदेश मतांतरण विरोधी कानून में आरोपित की अर्जी पर सुनवाई के दौरान न्यायिक जांच के भी आदेश दिए हैं। जांच में ही पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के और मामले हैं या नहीं। कोर्ट की फटकार के बाद महानिदेशक जेल ने 24 घंटे में रिहाई का जो निर्देश दिया है, वह पहले से सुनिश्चित होना चाहिए। जमानत आदेश के अनुपालन के लिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाना पड़े, यह ठीक नहीं। आश्चर्यजनक तो यह भी है कि जिस अभियुक्त को लगभग एक माह तक बंद रखा गया, उसे अपने आप ही आदेश में सुधार करके रिहा कर दिया गया। यह न्याय की अनदेखी है। सुनिश्चित हो कि अनावश्यक तकनीकी और अप्रासंगिक त्रुटियों के आधार पर कोई परेशान न हो। सुप्रीम कोर्ट ने ठीक ही पूछा है कि जेल अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के क्या उपक्रम होंगे? वस्तुतः देश में प्रशासनिक-न्यायिक सुधार की दिशा में लंबे समय से चर्चा तो हो रही है, परंतु उसे अब तक सही से लागू नहीं किया जा सका है। जिस तरह की स्थितियां निरंतर सामने आ रही हैं, उनसे बचाव के लिए तंत्र को संवेदनशील बनना होगा।

> पीड़ित को पांच लाख मुआवजा भले मिल जाए, परंतु न्यायिक आदेश के वावजूद जो व्यक्ति अधिक समय तक जेल में वंद रहा उसकी मानसिक यंत्रणा की भरपाई कैसे होगी?

आतंक के विरुद्ध भारत की दृढ़ता

हर्ष वी. पंत

पहलगाम आतंकी हमले की अनदेखी करने वाले एससीओ के बयान पर हस्ताक्षर न करके भारत ने बिल्कुल सही किया। इसकी गूंज दुनिया में सुनी जाएगी

चीन के किंगदाओ शहर में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन-एससीओ के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन आतंक के खिलाफ भारत की दृढ़ता के लिए याद किया जाएगा। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ के उस संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया जिसमें पहलगाम आतंकी हमले का उल्लेख तो नहीं था, उलटे बलूचिस्तान का संदर्भ जोड़ दिया गया था। भारत का यह रुख पहलगाम आतंकी हमले के बाद से कायम उसके रवैये के अनुरूप ही है कि आतंक के साथ अब कोई समझौता नहीं किया जाएगा और अगर भारत किसी मंच पर इसे लेकर अलग-थलग भी पड़ जाए तो उसे उसकी कोई परवाह नहीं। इससे पहले आपरेशन सिंदूर के बाद भी विभिन्न देशों में भेजे गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों के माध्यम से भी भारत ने वैश्विक समुदाय को पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब करने का जोरदार अभियान चलाया था। एससीओ के मंच पर भी भारत ने उसी नीति की निरंतरता को प्रदर्शित किया।

मूल रूप से चीन के वर्चस्व वाले एससीओ का भारत काफी समय बाद सदस्य बना है। पाकिस्तान भी इसका सदस्य है। इस समूह के प्रमुख उद्देश्यों में से एक यह भी है कि आतंकवाद और चरमपंथ के खिलाफ वह क्षेत्रीय सहयोग के लिए आधार तैयार करने की भूमिका निभाएगा, लेकिन इसकी कार्यप्रणाली उसके चरित्र से मेल नहीं खाती। समय के साथ इस संगठन में चीन का वर्चस्व और बढ़ता गया है। इसका एक कारण बदले हुए वैश्विक समीकरणों में रूस पर लगे तमाम प्रतिबंध भी हैं, जिनके चलते मास्को की बीजिंग पर निर्भरता बढ़ी है। अन्यथा रूस भी इस समूह में एक संतुलक की भूमिका निभाता रहा है। बढ़ते दबदबे का लाभ चीन अपने निहित स्वार्थों को साधने में कर रहा है। पाकिस्तान का पुरजोर समर्थन इसकी पुष्टि करता है। यह किसी से छिपा नहीं है कि आतंकवाद को लेकर चीन कई मौकों पर पाकिस्तान की ढाल बना है और ऐसा ही एक प्रयास उसने एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भी किया। यह इससे स्पष्ट झलकता है कि पहलगाम के जिस आतंकी हमले की दुनिया भर में कड़ी भर्त्सना हुई उसका उल्लेख तक एससीओ दस्तावेज में नहीं किया गया। उलटे उस बलूचिस्तान का प्रसंग जोड़ा गया जहां पाकिस्तानी सेना द्वारा स्थानीय लोगों का बर्बरता से किया जा रहा दमन मानवीय उत्पीड़न के नए रिकार्ड बना रहा है। पहलगाम का संदर्भ हटाकर और बलूचिस्तान का मुद्दा जोड़ने की यह कवायद भारत को असहज करने के लिए ही की गई और ऐसी स्थिति में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर से किनारा करके बिल्कुल सही किया। असहमति के इस संदेश की गूंज दुनिया भर में सुनी जाएगी।

अवधेश राजपूत

चीन और पाकिस्तान को लेकर अक्सर कहा जाता है कि भारत को दो मोर्चों पर लड़ाई के लिए अपनी तैयारी करनी होगी, लेकिन देखा जाए तो यह दोहरा नहीं, बल्कि एक ही मोर्चा है। हम चीन और पाकिस्तान को अलग करके नहीं देख सकते। चीन का पाकिस्तान प्रेम इस कदर बढ़ चुका है कि उसके लिए वह कोई भी कदम उठाने को तैयार दिखता है। एससीओ के हालिया सम्मेलन की ही बात करें तो किसी भी संगठन में चेयर या प्रमुख की भूमिका वाले देश का एक दायित्व यह भी होता है कि वह समूह के समक्ष आए एजेंडे पर सहमति बनाए। यदि सहमति न भी बना पाए तो ऐसा करने के लिए प्रयासरत तो दिखना चाहिए, लेकिन रक्षा मंत्रियों की बैठक से जुड़े संयुक्त बयान के मामले में चीन ने ऐसी कोई कोशिश तक नहीं की। दोनों देशों की यह मिलीभगत वह दुरभिसंधि दर्शाती है, जिसका भारत को समय रहते कोई तोड़ खोजना होगा।

भारत और चीन के संबंधों में भी लंबे समय से तल्खी हावी रही है। पिछले साल अक्टूबर में दोनों देशों के बीच वार्ता से संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में कुछ सहमति बनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक टैरिफ नीति ने भी दोनों देशों को परस्पर हितों की पूर्ति के लिए साथ आने के लिए कुछ हद तक प्रेरित किया है। परिणामस्वरूप संबंधों में कुछ सहजता का भाव बनता दिखा है। कैलास-मानसरोवर यात्रा भी पांच साल बाद फिर से आरंभ हुई है। इस सबके बावजूद इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान का पहलू चीन के साथ संबंधों में सदैव एक रोड़ा बना रहेगा। चीन अपने हितों की पूर्ति के लिए भारत को भाव तो देना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान की कीमत पर नहीं। इसलिए भारत को भी चीन के साथ सतर्कता के साथ आगे बढ़ना होगा। पाकिस्तान के अलावा खुद चीन का पिछला रिकार्ड भी इस सतर्कता की आवश्यकता को मुखरता से रेखांकित करता है।

इन परिस्थितियों में भारत चीन के साथ तात्कालिक एवं मध्यम अवधि में कुछ बिंदुओं पर आगे बढ़ सकता है, लेकिन दीर्घकालिक भविष्य के लिए उसे चीन की प्रभावी काट के लिए कोई स्थायी उपाय करना ही होगा। अमेरिका को पीछे छोड़कर स्वयं विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में स्थापित होने को लालायित चीन कभी नहीं चाहेगा कि उसके पड़ोस में भारत जैसी किसी बड़ी ताकत का उभार हो। यह सुनिश्चित करने में वह अपने स्तर पर तो प्रयास करेगा ही, लेकिन समय-समय पर भारत को परेशान करने के लिए पाकिस्तान का भी इस्तेमाल करता रहेगा। आपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान को मिली चीनी मदद के संकेत सामने आए हैं। इसलिए भारत को इस दोहरी चुनौती से निपटने के लिए सामरिक-रणनीतिक के अलावा कूटनीतिक एवं आर्थिक विकल्प भी तलाशने होंगे।

किंगदाओ में यह झलक भी देखने को मिली कि चीन-पाकिस्तान की मौजूदगी वाले मंच पर भारत के लिए गुंजाइश सीमित होती जाएगी। यह चीन की सुनियोजित नीति दिखती है। एससीओ दस्तावेज में भी यह दिखा, पर भारत ने भरपूर दृढ़ता दिखाई कि अपने सिद्धांतों की रक्षा के लिए ऐसे किसी मंच पर उसे अगर सदस्य देशों के खिलाफ भी खड़ा होना पड़े तो वह उससे नहीं हिचकेगा।

(लेखक आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में उपाध्यक्ष हैं)
response@jagran.com

विश्व की नई आर्थिक शक्ति बने भारत

जयंतीलाल भंडारी

यह समझा जाए कि अब युद्ध सिर्फ आर्थिक सक्षमता एवं एआइ जैसी तकनीक के दम पर ही लड़े एवं जीते जाएंगे

हाल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने देश को आर्थिक और सामरिक क्षेत्र में मजबूत बनाया है। आपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने महज 22 मिनट में स्वदेशी हथियारों से दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अब भारत को दुनिया की आर्थिक शक्ति बनने, पाकिस्तान और चीन की चुनौतियों से मुकाबले के लिए उन्नत एआइ से संपन्न एवं आर्थिक रूप से सशक्त देश बनने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इजरायल-ईरान युद्ध और आपरेशन सिंदूर का विश्लेषण बताता है कि अब युद्ध में एआइ और आर्थिक ताकत की अहमियत बढ़ गई है और परमाणु हमले की धमकी बेअसर साबित हो रही है। चूंकि शक्ति के माध्यम से ही शांति आती है और उससे भविष्य के युद्ध भी रोके जा सकते हैं, अतः भारत को हर मोर्चे पर शक्तिशाली बनाना होगा। इसके लिए जरूरी है सरकार, विज्ञानी, तकनीकी विशेषज्ञ, उद्यमी-कारोबारी और जनता एकजुटता दिखाए। भारतीय अर्थव्यवस्था जिस तेजी से बढ़ रही है, उसे देखते हुए देश के वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की उम्मीद बढ़ी है। इजरायल-ईरान युद्ध की चुनौतियों के बीच भारत बहुआयामी आर्थिक सुधारों के बल पर मजबूती के साथ खड़ा है। इस युद्ध से कई देशों में पेट्रोल-डीजल के दाम में वृद्धि, खाद्यान्न सहित जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति में कमी और शेयर बाजार में गिरावट आई, वहीं भारत बेहतर स्थिति में रहा। आपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के साथ संघर्ष का भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ा। भारत का बड़ा घरेलू बाजार, निर्यात पर कम निर्भरता, सरकार के भारी पूंजीगत व्यय, बढ़ती क्रय शक्ति और कृषि क्षेत्र में सफलता ने देश को बाहरी आर्थिक झटकों से झेलने में सक्षम बनाया है।

युद्ध के दौर में भी भारत के निर्यात बढ़े और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है। इजरायल-ईरान युद्ध से जहां दुनिया में महंगाई बढ़ी, वहीं भारत में घटी। भारत की खुदरा महंगाई दर महज 2.82 प्रतिशत और थोक महंगाई दर महज 0.39 प्रतिशत है। यह पिछले 14 महीनों का सबसे निचला स्तर है। देश के खाद्यान्न भंडार में एक साल से भी अधिक की जरूरतों को पूरा करने लायक गेहूं और चावल हैं। कृषि उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस वर्ष खाद्यान्न उत्पादन लगभग 6.5 प्रतिशत बढ़कर 35.39 करोड़ टन के रिकार्ड स्तर पर पहुंच सकता है। युद्ध के बीच भी भारत पर दुनिया का आर्थिक विश्वास बना रहा। इस समय भारत के पास 699 अरब डालर से अधिक का विदेशी मुद्रा भंडार है। भारत की विकास दर चालू वित्त वर्ष 2025-26 में 6.5 प्रतिशत रहेगी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) की विश्व आर्थिक परिदृश्य से जुड़ी रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2025 में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते हुए दिखाई देगा।

विभिन्न सुधारों के बल पर मजबूत होती आर्थिकी। फाइल

भारत को दुनिया की नई आर्थिक शक्ति बनाने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। चीन से आयात में कमी लाकर व्यापार घाटा नियंत्रित किया जाना चाहिए। चीन के साथ द्विपक्षीय कारोबार में भारत लगातार घाटे की स्थिति में बना हुआ है। वित्त वर्ष 2024-25 में चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़कर 99.2 अरब डालर हो गया, जो 2023-24 में 85.07 अरब डालर था। ब्रिटेन के बाद अब अमेरिका और यूरोपीय संघ से नए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) और द्विपक्षीय व्यापार समझौते कर व्यापार घाटे में कमी लाई जा सकती है। भारत को ओमान, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, इजरायल सहित खाड़ी के प्रमुख देशों के साथ भी एफटीए को शीघ्रतापूर्वक अंतिम रूप देना चाहिए। सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम (एमएसएमई) तेज विकास एवं रोजगार के लिए एक कारगर माध्यम बन सकते हैं। एमएसएमई निर्यात बढ़ाते हुए आयात नियंत्रित करके आर्थिक चिंताएं कम कर सकते हैं। इस समय भारत का सेवा निर्यात तेजी से बढ़ रहा है। इसके कारण भारत को सेवा निर्यात की वैश्विक राजधानी के रूप में देखा जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का सेवा निर्यात करीब 387.5 अरब डालर रहा। देश से सेवा निर्यात बढ़ाकर भी व्यापार घाटे में कमी लाई जा सकती है। आत्मनिर्भर भारत अभियान, मेक इन इंडिया, जीएसटी और लाजिस्टिक सुधार के साथ-साथ आर्थिक और वित्तीय सुधार भी भारतीय अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं।

इस बीच, दुनिया में नए हथियारों का विकास नई हथियार दौड़ को जन्म दे रहा है। दुनिया के नौ परमाणु शक्ति संपन्न देश अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया एवं इजरायल अपने परमाणु हथियारों को और उन्नत करने में जुटे हैं। अमेरिका और रूस के पास दुनिया के करीब 90 प्रतिशत परमाणु हथियार हैं। चीन के पास करीब 600 परमाणु हथियार हैं। भारत के पास 180 और पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान भारत के आपरेशन सिंदूर से पराजित होकर चीन की मदद से अपने परमाणु हथियारों को उन्नत करने की कोशिश में जुट गया है। ऐसे में दो शत्रु देश चीन और पाकिस्तान के साथ होने से भारत के लिए एआइ, साइबर तकनीक और मिसाइल रक्षा जैसी नई तकनीक से उन्नत परमाणु शक्ति बनना जरूरी है। सरकार को इजरायल-ईरान युद्ध और आपरेशन सिंदूर से मिले सबक के मद्देनजर देश को आर्थिक, उन्नत एआइ और परमाणु शक्ति संपन्न बनाने के लिए रणनीतिपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए।

(लेखक अर्थशास्त्री हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

सादगी और सात्विकता

भारतीय दर्शन का एक मंत्र है-'सादा जीवन उच्च विचार।' देखने-सुनने में यह बड़ा सरल लगता है, लेकिन उतना ही कठिन है। जीवन में अधिकांश बुराइयां इस मंत्र की अवहेलना से उत्पन्न होती हैं। सादगी और सात्विकता एक दूसरे के पूरक हैं। जिसमें सादगी का गुण होता है, वह असात्विक कभी हो नहीं सकता। हमारे यहां हमेशा इस बात पर जोर दिया गया है कि मनुष्य हर तरह से शुद्ध रहे। संयमित जीवन जिए। तप एवं साधना से अपने जीवन को निखारे। भगवान महावीर ने तो यहां तक कहा है कि कठोर साधना से आत्मा परमात्मा बन सकता है। गुणी मनुष्य सार को ग्रहण करते हैं, छाया को छोड़ देते हैं। जिसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होता, वही आदर के योग्य बनता है। इसी से कहा जाता है-गुण की सर्वत्र पूजा होती है।

आज संसार में मानव-मूल्यों का निरंतर ह्रास हो रहा है। भौतिक मूल्य चारों ओर छा गए हैं। यही वजह है कि नाना प्रकार की विकृतियों से मानव, समाज और राष्ट्र परेशान हैं। आज की हिंसा, युद्ध एवं आतंक की समस्या का मूल कारण परिग्रह है। मनुष्य अपने से, अपने लोगों और प्रकृति से कट रहा है। उसका एकांत खो रहा है और सामाजिकता भी कहीं गुम होती जा रही है। आज मानवता ऐसे चौराहे पर खड़ी है, जहां उसके आगे का रास्ता अंधेरी सुरंग से होकर गुजरता है। लगता है कि जैसे स्वार्थ इस युग का 'गुण' बन गया है। भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार हो गया है। उसी की आराधना में सब लिप्त हैं। यह देखते हुए भी कि हम नीचे जा रहे हैं, अपनी गति और मति को हम रोक नहीं पाते।

इस प्रकार की स्थिति से उबरने का एक ही मार्ग है और वह यह कि हम अपने अंतस को टटोलें। अपने भीतर के काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दुर्गुणों को दूर करें और उस मार्ग पर चलें, जो मानवता का मार्ग है। समाज उसी को पूजता है, जो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीता है।

ललित गर्ग

कृत्रिम डीएनए निर्माण की दिशा में बढ़ते कदम

प्रदीप

> जैव विज्ञानी जीवन को अब नए सिरे से गढ़ने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं

विज्ञानी अब अपनी प्रयोगशालाओं में जीवन की आधारशिला 'डीएनए' को पढ़ और मन-मुताबिक संपादित करने के साथ ही डीएनए को बिलकुल नए सिरे से कृत्रिम रूप से डिजाइन और निर्मित करने की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हाल ही में विश्व के पहले कृत्रिम मानव डीएनए निर्माण से संबंधित एक महत्वाकांक्षी और विवादास्पद परियोजना की शुरुआत की खबर सामने आई है। सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट नामक इस परियोजना को लंदन स्थित वेलकम ट्रस्ट द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है, जो विश्व की सबसे बड़ी चिकित्सा चैरिटी फाउंडेशन है, जिसके तहत 1.27 करोड़ डालर का प्रारंभिक निवेश किया गया है।

कैंब्रिज के एमआरसी लैब्रोरेटरी आफ मालेक्युलर बायोलाजी (एलएमबी) के नेतृत्व में चलाई जा रही इस परियोजना का उद्देश्य मानव जीनोम को कृत्रिम रूप से संश्लेषित करना है, जिसका इस्तेमाल चिकित्सा अनुसंधान, विशेष रूप से जानलेवा बीमारियों के इलाज में हो सकता है। कृत्रिम डीएनए प्राकृतिक डीएनए की नकल हो सकती है या पूरी तरह से नया अनुक्रम हो सकता है, जो विशिष्ट कार्यों के लिए डिजाइन किया गया हो। शोधकर्ताओं ने पहले ही छोटे जीनोम, जैसे एक बैक्टीरिया (2010 में क्रेग वेंटर द्वारा) और ई. कोली के कृत्रिम जीनोम को संश्लेषित किया है। 2016 में शुरू हुई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट-राइट परियोजना मानव डीएनए को कृत्रिम रूप से निर्मित करने की दिशा में एक वैश्विक प्रयास है। इस परियोजना के तहत आंशिक मानव जीनोम अनुक्रमों का सफल संश्लेषण और असेंबली हो चुकी है।

इस प्रोजेक्ट में शामिल विज्ञानियों ने इस पहल को 'जीवविज्ञान में एक बड़ी छलांग' कहा है। उनका कहना है, 'लक्ष्य ऐसी चिकित्सा पद्धतियां विकसित करना है, जो स्वस्थ आयु प्रदान करें, बीमारियों की घटनाओं को कम करें और क्षतिग्रस्त अंगों जैसे यकृत, हृदय और यहां तक कि प्रतिरक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करे।' हालांकि, इस परियोजना ने विशेषज्ञों और आम जनता के बीच चिंता पैदा कर दी है। इस प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग किया जा सकता है- अधिक उन्नत मानव बनाने के प्रयासों से लेकर जैविक हथियारों के विकास तक। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के प्रो. बिल अर्नशा ने चेताते हुए कहा है, ''अगर किसी संगठन के पास आवश्यक उपकरण उपलब्ध हैं, तो उसे जो कुछ भी वह चाहता है, उसे संश्लेषित करने से रोकना लगभग असंभव है।''

बियांड जीएम अभियान की निदेशक ने भी इस पहल की आलोचना की है। वे प्रौद्योगिकी के व्यावसायीकरण और पेटेंट कानून के हेरफेर के जोखिम के बारे में कहती हैं, 'सिंथेटिक अंगों या निर्मित मनुष्यों का स्वामित्व कौन रखेगा?'

बहरहाल, जब हम जीवन का रचयिता बनने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, तब यह सवाल और भी गहरा हो जाता है कि क्या हम उस उत्तरदायित्व के लिए तैयार हैं, जो इस शक्ति के साथ आएगा?

(लेखक विज्ञान संचारक हैं)

आतंकवाद पर न हो दोहरा रवैया

'नए भारत का कड़ा संदेश' शीर्षक से लिखी संपादकीय टिप्पणी में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक में आतंकवाद के मुद्दे पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के जिस कड़े रुख का जिक्र किया गया है, वह नए भारत का नया अंदाज ही है। भारत ने वैश्विक आतंकवाद को लेकर चीन और पाकिस्तान की सांठगांठ को उजागर करते हुए विश्व समुदाय को यह संदेश दिया कि दशकों से पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित जिहादी आतंकवाद से ग्रस्त रहा भारत अब न तो आतंकी घटनाओं को बर्दाश्त करेगा और न ही आतंकवाद पर चीन, अमेरिका और पाकिस्तान जैसे देशों की दोहरी नीति को। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के संयुक्त घोषणा पत्र पर भारत ने अपनी इसी नीति पर कायम रहते हुए हस्ताक्षर नहीं किए। आतंकवाद पर दोहरा रवैया अपनाने वाले चीन और पाकिस्तान के लिए यह बड़ा झटका है। इस घोषणापत्र में न तो भारत के पहलगाम में घटित दुर्दांत आतंकी घटना का उल्लेख किया गया और न ही आतंकवाद को पोषित करने वाले पाकिस्तान की ओर कोई इशारा किया गया। दूसरी ओर, पाकिस्तानी प्रांत बलूचिस्तान के आंतरिक विद्रोह का जिक्र करते हुए इसके पीछे भारत का हाथ होने का संकेत किया गया। निःसंदेह मोदी के नेतृत्व वाला भारत अब वैश्विक स्तर पर चीन, पाकिस्तान अथवा अन्य किसी देश की दुरभिसंधियों को स्वीकार करने वाला नहीं है। विशेषकर आतंकवाद के मुद्दे पर वह किसी भी देश के दोहरे रवैये को स्वीकार नहीं करेगा।

pandeyvp1960@gmail.com

मेलबाक्स

राष्ट्र गौरव से पहले सामाजिक संवाद

शुक्रवार को सृजन पाल सिंह द्वारा प्रस्तुत 'भविष्य की आधारशिला रखने वाला मिशन' शीर्षक वाला आलेख भारत के गगनयान मिशन को एक निर्णायक मोड़ के रूप में रेखांकित करता है। इसमें अंतरिक्ष विज्ञान, राष्ट्रीय गौरव और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के संदर्भों को सकारात्मक रूप से उकेरा गया है। यह दृष्टिकोण भावनात्मक रूप से प्रभावशाली है, परंतु विश्लेषण के स्तर पर कुछ आवश्यक पक्षों की अनुपस्थिति इसे एकपक्षीय बना देती है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या इसरो का यह महत्वाकांक्षी अभियान भारत की वर्तमान प्राथमिक आवश्यकताओं के अनुकूल है? जब देश के एक बड़े हिस्से को अब भी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, तब अरबों की लागत वाले अभियान को बिना सामाजिक विमर्श के सर्वोच्च प्राथमिकता देना नीति निर्माण की पारदर्शिता पर प्रश्नचिह्न लगाता है। भारत की अर्थव्यवस्था, असमानताएं और जनसंख्या घनत्व ऐसे निर्णयों में अतिरिक्त विवेक की मांग करते हैं। क्या इस मिशन के निर्णय में जनभागीदारी की तुलनात्मक समीक्षा हुई? अगर नहीं, तो यह सफलता एक सीमित वर्ग का गौरव बनकर रह जाएगी। यदि इस प्रयास को सचमुच 'आधारशिला' कहा जाना है, तो उसे तकनीक के साथ सामाजिक उत्तरदायित्व, पारदर्शिता और विवेकपूर्ण प्राथमिकताओं की कसौटी पर भी खरा उतरना होगा।

awanishg30@gmail.com

स्मार्टफोन की गिरफ्त में हमारी दिनचर्या

रील्स, गेमिंग, इंटरनेट मीडिया और वीडियो कंटेंट की इस चमकदार दुनिया में आज इंसान वास्तविकता से दूर होता जा रहा है। एक हालिया रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि ब्रिटेन के लोग प्रतिदिन औसतन तीन घंटे 21 मिनट मोबाइल पर बिताते हैं, जबकि भारत में यह आंकड़ा पांच घंटे तक पहुंच चुका है। खासकर युवाओं का अधिकांश समय अब मोबाइल स्क्रीन के सामने बीतता है। वर्ष 2015 में जहां मोबाइल पर बिताया गया औसत समय एक घंटे 17 मिनट था, वहीं आज यह आंकड़ा कई गुना बढ़ चुका है। भारत में साल भर में कुल 1.1 लाख करोड़ घंटे मोबाइल की स्क्रीन को समर्पित किए गए, जिसमें से 70 प्रतिशत समय इंटरनेट मीडिया, गेमिंग और वीडियो देखने में व्यतीत हुआ। यह डिजिटल लत अब केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रही, बल्कि हमारे स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है।

सुभाष बुड़ावन वाला, रतलाम, मध्य प्रदेश

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, चेयरमैन एमेरिटस-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय: 011-43166300, नोएडा कार्यालय: 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****

दूसरों को भी अपने रास्ते पर चला देना ही सच्ची कूटनीति है। -लेस्टर बी पियर्सन

साहसिक निर्णय

चीन के किंगदाओ में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारतीय रक्षा मंत्री ने साहसिक रुख दिखाते हुए संयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने से जो इन्कार किया है, वह भारत की आतंकवाद के प्रति सख्त नीति को दर्शाने के साथ, उसकी क्षेत्रीय व वैश्विक मंचों पर कूटनीतिक दृढ़ता को भी रेखांकित करता है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसे लश्कर-ए-ताइबा की शाखा द रेजिस्टेंस फ्रंट ने अंजाम दिया था, की गूंज दुनिया भर में सुनी गई थी। इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर निर्णायक कार्रवाई भी की। फिर भी, एससीओ के मसौदा दस्तावेज में इस हमले का जिक्र न होना और बलूचिस्तान को शामिल करना, स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण था। चूंकि एससीओ की अध्यक्षता फिलहाल चीन के पास है, लिहाजा यह स्पष्ट ही है कि पाकिस्तान और उसके इस निकट सहयोगी देश ने इस दस्तावेज में आतंकवाद के मुद्दे को कमजोर करने की कोशिश की है। पाकिस्तान लंबे समय से भारत पर बलूचिस्तान में अशांति फैलाने का आरोप लगाता रहा है, जिसे भारत ने हमेशा ही खारिज किया है। भारत का मानना है कि बलूचिस्तान का मसला पाकिस्तान का आंतरिक मामला है, और इसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ प्रचार के लिए इस्तेमाल करना अनुचित है। दूसरी ओर, पहलगाम हमले के तार जिस आतंकी संगठन से जुड़ रहे हैं, वह संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकी संगठन है। ऐसे में, इस हमले की अनदेखी और बलूचिस्तान का जिक्र न केवल दोहरे मापदंड को दर्शाता है, बल्कि यह आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहमति को कमजोर करने की कोशिश भी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नाम लिए बगैर पाकिस्तान पर जो तीखे प्रहार किए हैं, वे उचित ही हैं। उनका यह कहना कि- एससीओ को उन देशों की आलोचना करने में संकोच नहीं करना चाहिए, जो आतंकवाद को अपनी नीति का हिस्सा बनाकर सीमापार हमलों को बढ़ावा देते हैं-आतंकवाद को लेकर भारत की आधिकारिक नीति को रेखांकित करने के साथ इस मामले में किसी भी तरह की ढिलाहवाली के खिलाफ भारत की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। इस बैठक ने एक बार फिर यह सवाल उठाया है कि क्या एससीओ जैसे संगठन वाकई आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो सकते हैं, जबकि इसके कुछ सदस्य देश आतंकवाद को प्रायोजित करने या फिर उसका बचाव करने में संलिप्त हैं। अगर संगठन की साझी घोषणाएं कुछ सदस्य देशों की राजनीतिक आकांक्षाओं का माध्यम बनेंगी, तो इसका दीर्घकालिक नुकसान संगठन की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता पर ही पड़ेगा।

म्यांमार में चीन का दखल बढ़ रहा है

म्यांमार में चीन-अमेरिका की बढ़ती प्रतिद्वंद्विता के परिदृश्य में, भारत अब चुपचाप बैठकर इंतजार नहीं कर सकता। चूंकि भारत म्यांमार के साथ एक लंबी और संवेदनशील स्थलीय और समुद्री सीमा साझा करता है, इसलिए उसे इस बात पर विचार करना होगा कि अशांत पड़ोसी देश में उभरती परिस्थितियों को कैसे संभाला जाए।

म्यांमार में चीन का दखल बढ़ता जा रहा है, जहां गृहयुद्ध के चलते सत्तारूढ़ सेना जुंटा का कई क्षेत्रों से नियंत्रण छूटता जा रहा है। यह भारत के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि अमेरिका ने बांग्लादेश के दक्षिण-पूर्व को म्यांमार के रखाइन प्रांत से जोड़ने वाले आपूर्ति गलियारे के निर्माण में रुचि दिखाई है, संभवतः जातीय विद्रोहियों के समर्थन के लिए, जिनका सेना जुंटा के साथ संघर्ष जारी है। भारत ने अब तक म्यांमार में 'देखो और इंतजार करो' की नीति अपनाई है तथा जुंटा और विद्रोहियों के बीच आसियान (दक्षिण-पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ) के पांच सूत्रीय सामंजस्य के जरिये बातचीत से समाधान निकालने पर भरोसा किया है, परंतु अब तक कोई हल नहीं निकला।

सुधीर भौमिक
वरिष्ठ पत्रकार

चीन, जिसकी म्यांमार में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से लेकर खनन तक में भारी दिलचस्पी है, ने लड़खड़ाती सेना जुंटा को हार से बचाने के लिए अपनी ताकत झोंक दी है। बीते महीने चीनी वार्ताकारों ने कोकांग विद्रोही समूह एमएनडीएए (म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी) को लाशियो शहर से हटने के लिए मजबूर किया, जिस पर विद्रोहियों ने पिछले साल महीनों की भारी लड़ाई के बाद कब्जा किया था। लाशियो उत्तरी प्रांत शान का प्रमुख शहर होने के साथ ही चीन-म्यांमार आर्थिक गलियारे के लिए अहम माना जाता है, जहां बर्मी सेना की उत्तर-पूर्वी कमान (तत्मादाव) का मुख्यालय स्थित है। इसी तरह एमएनडीएए की सहयोगी तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी (टीएनएलए) पर शान राज्य के ही दो महत्वपूर्ण शहरों ह्सिपाव और क्याकमे को सेना जुंटा को सुपुर्द करने का दबाव बनाया जा रहा है। ये दोनों शहर चीन-म्यांमार आर्थिक गलियारे के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिसे बीजिंग को बंगाल की खाड़ी और फिर हिंद महासागर तक जमीन से समुद्र तक पहुंच प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।

चीन सीधे तौर पर उन विद्रोही समूहों के सीधे संपर्क में है, जिन्होंने देश के उत्तर में स्थित दुर्लभ मृदा धातु खदानों पर अपना नियंत्रण किया हुआ है। सूत्रों के अनुसार, बीजिंग इन विद्रोही समूहों पर आपूर्ति में वृद्धि हेतु खनन कार्यों को बढ़ाने के लिए दबाव बना रहा है। चीन को भारी दुर्लभ मृदा धातुओं को चुंबकों में बदलने के लिए क्षेत्र में लगभग एकाधिकार प्राप्त है, जिनसे पवन टर्बाइनों, चिकित्सा उपकरणों और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे महत्वपूर्ण माध्यमों को ऊर्जा प्राप्त होती है। यह बात कम लोगों को पता है कि चीन दुर्लभ मृदा धातुओं और ऑक्साइड के लिए म्यांमार पर काफी हद तक निर्भर है। उसके दुर्लभ मृदा आयात का लगभग आधा हिस्सा म्यांमार के काचिन और शान प्रांतों से आता है।

म्यांमार से दुर्लभ मृदा का आयात करने वाली चीनी कंपनियों में तब हड़कंप मच गया, जब बीते साल अक्तूबर में काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी (केआईए) ने पनवा और चिपवे शहरों पर नियंत्रण हासिल कर लिया था, जिससे उसे इस क्षेत्र में दुर्लभ मृदा खदानों पर पूरा नियंत्रण मिल गया। चीनी कंपनियों को फिर से काम करने का मौका तब मिला, जब चीन ने केआईए पर संघर्ष विराम के लिए दबाव डालना बंद किया। इससे बीते छह महीनों में चीन के आयात में 90 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई थी। हालांकि, आयात फिर से शुरू हो गया है, क्योंकि इससे केआईए को भारी राजस्व प्राप्त होता है।

चीनी कंपनियों ने काचिन प्रांत का विकल्प तलाश लिया है और चीन सीमा से करीब 200 किलोमीटर दूर मॉन्ग हस्सात और मॉन्ग युन शहरों में नई दुर्लभ मृदा खदानों से खनन शुरू कर दिया है। कंपनियों ने म्यांमार के सबसे मजबूत जातीय विद्रोही समूह यूनाइटेड वा स्टेट आर्मी (यूडब्ल्यूएसए) के संरक्षण में खनन कर्मियों को तैनात किया है, जिसे पिछले 25 वर्षों से बीजिंग द्वारा हथियार प्रदान किए जा रहे हैं। वा और कोकांग जनजातियों ने अब समाप्त हो चुकी बर्मी कम्युनिस्ट पार्टी की सशस्त्र शाखा के लिए अधिकांश पैदल सैनिक उपलब्ध कराए थे, जो 1980 के दशक के अंत में बंद हो गई थी। बीजिंग ने बर्मी सेना और अपनी सीमाओं पर प्रमुख जातीय विद्रोही समूहों को बढ़ावा देने की अपनी नीति के तहत यूडब्ल्यूएसए और एमएनडीएए को हथियार और उपकरण देना जारी रखा है।

यूडब्ल्यूएसए चीन के बहुत करीब है और इसने पिछले तीन दशकों में बर्मी सेना के साथ लड़ाई नहीं की है, इसलिए बीजिंग वा स्वायत्त क्षेत्र में धरती के दुर्लभ भंडार को दोहन के लिए अधिक आसान मानेगा। यूडब्ल्यूएसए इसे सिंथेटिक ड्रग व्यापार से अपनी कमाई बढ़ाने के लिए राजस्व के एक नए स्रोत के रूप में देखेगा। रखाइन प्रांत के 17 में से 14 शहरों पर अराकान आर्मी (एए) का कब्जा है, जहां चीनी सेना बर्मी सेना की मदद कर रही है, ऐसे में जुंटा और एए के बीच संघर्ष तेज होने का अंदेशा है। इस इलाके में चीन की कई परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें चीन के युन्नान प्रांत से जुड़ने वाली तेल-गैस पाइपलाइन क्योकफ्यू के पास माडे द्वीप से निकलती है, जहां चीन ने एक रिफाइनरी बनाई है। जुंटा ने भी इस वर्ष की शुरुआत में एक कानून पारित कर चीनी सुरक्षा कर्मियों को अपने प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करने की अनुमति प्रदान की थी, जिनमें ज्यादातर चीन के पूर्व सैनिक हैं।

चीन का केआईए और एए जैसे विद्रोही समूहों पर उतना प्रभाव नहीं है, जितना कि यूडब्ल्यूएसए और एमएनडीएए जैसे वा और कोकांग विद्रोही समूहों पर है। यदि बर्मी सेना को, खासकर क्योकफ्यू में ज्यादा नुकसान होता है, तो चीनी सुरक्षाकर्मी संघर्ष में हिस्सा ले सकते हैं, क्योंकि बीजिंग हर हाल में जुंटा को बचाने में जुटा है। पता चला है कि विद्रोही समूहों का साथ देने के लिए कुछ पश्चिमी सैनिक भारत के मिजोरम के रास्ते म्यांमार में घुस गए हैं, जिनमें से कई यूक्रेन में लड़ चुके हैं।

ऐसे में बांग्लादेश से रखाइन आपूर्ति गलियारा बनाने में अमेरिका की दिलचस्पी जुंटा को हराने के लिए विद्रोही समूहों को बढ़ावा देने की योजना का हिस्सा हो सकती है, ताकि चीन को बंगाल की खाड़ी तक अपनी बहुप्रतीक्षित जमीन से समुद्री पहुंच तक वंचित किया जा सके। म्यांमार में चीन-अमेरिका की बढ़ती प्रतिद्वंद्विता के ऐसे परिदृश्य में, भारत अब चुपचाप बैठकर इंतजार नहीं कर सकता। चूंकि भारत म्यांमार के साथ एक लंबी और संवेदनशील स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा साझा करता है, इसलिए उसे इस बात पर विचार करना होगा कि एक अशांत पड़ोसी देश में उभरती परिस्थितियों को कैसे संभाला जाए।

edit@amarujala.com

खेल

हेडिंग्ले की हार

हेडिंग्ले में जो क्रिकेट भारत व इंग्लैंड ने खेली, उसमें क्रिकेट की संभावनाओं व अनिश्चितताओं के साक्षात दर्शन हुए। हालांकि, अंततः जीत इंग्लैंड के अलावा क्रिकेट की भी हुई।

सभी जानते हैं कि क्रिकेट का खेल बाईस गज की नैसर्गिक पिच पर ही खेला जाता है। इसलिए क्रिकेट का खेल भी वही खेला जा सकता है, जिसका मौका या जैसे हालात बाईस गज की पिच उस पर खेलने वाले खिलाड़ियों को देती है। क्रिकेटर के व्यक्तिगत आंकड़े हर पिच पर उसके कोई काम नहीं आते। टेस्ट मैच में ही क्रिकेटर की प्रतिभा, योग्यता व क्षमता की असल परीक्षा होती है। पांच दिन चलने वाले टेस्ट मैच में ही खिलाड़ी को हर दिन नई परिस्थिति में प्रतिभा की दक्षता दिखाते हुए सफलता की चुनौती रहती है। लीड्स के हेडिंग्ले मैदान पर खेले गए ऐतिहासिक पहले टेस्ट मैच में भारत की हार हुई। और इंग्लैंड के अलावा हेडिंग्ले पिच पर टेस्ट क्रिकेट की जीत भी हुई।

आज मनोरंजन के नाम पर रियलिटी शो में रिलेटिविटी या सापेक्ष सत्य को दिखाए जाने का दावा किया जाता है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट तो सापेक्ष का भी सत्य उजागर कर देता है। हेडिंग्ले टेस्ट मैच में जो क्रिकेट भारत व इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने खेली, उसने खेल के ऐतिहासिक विकास को भी सत्यता में दर्शाया। हेडिंग्ले में क्रिकेट में होने वाली महान संभावनाएं व शानदार अनिश्चितताओं के साक्षात दर्शन हुए। दोनों ही टीम ने मनोबल की दृढ़ता, प्रतिभा की कर्मठता और क्षमता की लगन खूब दिखाई।

संदीप जोशी

हेडिंग्ले की पिच वो अहिंसक युद्ध भूमि रही, जिस पर छिपकर मिसाइल या हवाई हमले नहीं किए जा सकते थे, बल्कि उस पिच को समझने की, उस पर अपनी प्रतिभा व क्षमता से खेलने की कोशिश होनी चाहिए थी। यह तो सभी ने देखा कि भारतीय टीम ने जो, और जितने कैच छोड़े वे हार के सबसे बड़े कारण रहे। कहा भी जाता है, 'कैचेस विन मैचेस।' लेकिन होनी-अनहोनी के अलावा भारतीय टीम की मानसिकता भी उनके निर्णय से साफ दिखी। इंग्लैंड में माना जाता है कि उनकी गर्मी पर बीती ठंड का असर रहता है। अगर ठंड हल्की रहती है, तो गर्मी तेज होती है। हल्की ठंड का लेना-देना पर्याप्त वर्षा न होने से भी है। यानी जिस ठंड में पर्याप्त वर्षा न हो, या देर से हो तो वह तेज, सूखी गर्मी का कारण बनता है। इंग्लैंड में जो सूखा चल रहा है, वह हेडिंग्ले में भी दिखा। सूखे मैदान पर सूखी ही हेडिंग्ले की पिच थी।

तो सवाल उठता है कि भारतीय टीम के विचार-मंडल ने बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव को हेडिंग्ले की सूखी पिच पर क्यों नहीं खिलाया? इंग्लैंड के पास तो कुलदीप जैसे स्पिनर को खिलाने की गुंजाइश ही नहीं थी। और इस सवाल का मकसद 'मैच का मुजरिम' निकालने भर से नहीं है। लेकिन हेडिंग्ले पर खेलने के लिए सुदृढ़ रणनीति बनाने में भारतीय टीम का विचार-मंडल विफल रहा। जिसके कारण टेस्ट क्रिकेट में जीत के लिए जो सबसे जरूरी, बीस विपक्षी बल्लेबाजों को आउट करना रहता है, उससे भारतीय टीम चूक गई।

अच्छे खेल के बावजूद पांच-छह कैच छोड़ना व गेंदबाजी में कम पड़ना या कुछ अलग न सोच पाना अपने को महंगा पड़ा। जीत के मुहाने से अपन हार छीन लाए। यह टेस्ट क्रिकेट का नया विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का युग है। टेस्ट क्रिकेट के अस्तित्व का जो संकट कुछ साल पहले दिख रहा था आज वह नए उत्साह के उत्सव में दिख रहा है। हेडिंग्ले पिच पर पांच दिन में 1,673 रन बने और 35 विकेट गिरे। भारत की ओर से पांच शतक लगाने के अलावा, बुमराह ने एक पारी में पांच विकेट भी लिए। आशा है अगले चार टेस्ट की पिचों पर हेडिंग्ले की हार हावी न रहे। खेल प्रेमियों को इससे ज्यादा क्या मनोरंजन चाहिए?

लंबे वक्त से जताया जा रहा भरोसा अब सच साबित हो रहा है कि एआई हमारे जिंदगी जीने के तरीकों को ही नहीं, पूरी जिंदगी ही बदल सकता है। -सिल्वियो सावरेस

प्रेम ही जीवन का ईंधन है

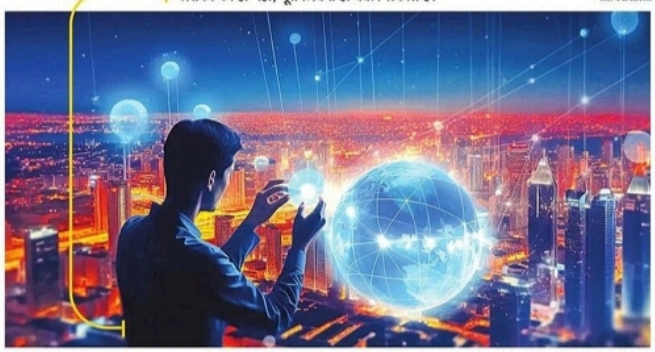

प्रेम हमें सिखाता है कि दूसरों से श्रेष्ठ होने में कोई महानता नहीं है, सच्चा बड़प्पन अपने पूर्व स्व से श्रेष्ठ होना है। प्रेम लचीलापन सिखाता है और हमें मजबूत बनाता है।

प्रेम एक जादू है, लेकिन इसका रहस्य दिमाग में छिपा है। प्रेम सिर्फ एक एहसास नहीं, यह एक जैविक शक्ति है। जब आप प्रेम में पड़ते हैं, आपका दिमाग दीपक की रोशनी की तरह जगमगा उठता है। प्रेम में दिमाग एक अद्भुत एहसास से भर जाता है, मानो कोई जादू हो गया हो। हमें वह प्रेम किसी भी लक्ष्य के प्रति उत्साह से भर देता है। लोग प्यार के लिए जीते हैं। प्यार के लिए मरते हैं। उनके पास गाने, कविताएं, उपन्यास, मूर्तियां, पेंटिंग, मिथक और किंवदंतियां हैं।

हेलेन फिशर

जीवन धारा

यह पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली प्रणालियों में से एक है, जो महान खुशी और महान दुख दोनों का कारण हो सकती है। आकर्षण आपकी दुनिया को छोटा कर देता है। लेकिन प्रेम शांत और गहरा बंधन है, जो हमें एकसाथ रखता है, जैसे पेड़ की जड़ें उसे स्थिर रखती हैं। यह प्रेम ही है, जो जीवन को स्थिरता देता है। प्रेम किसी भी चीज से डरने के बजाय, उसे बेहतर ढंग से जानने की ओर हमें ले जाता है, क्योंकि समझ हमारे महसूस करने के तरीके को बदल देती है। प्रेम हमें सिखाता है कि दूसरों से श्रेष्ठ होने में कोई महानता नहीं है, सच्चा बड़प्पन अपने पूर्व स्व से श्रेष्ठ होना है।

प्रेम के बिना जीवन अधूरा है। प्रेम मानव विकास को गति देता है, हमें जोड़ने, सृजन करने और जीवित रहने के लिए प्रेरित करता है। यह लचीलापन सिखाता है, यह हमें मजबूत बनाता है, ताकि हम फिर से प्रेम कर सकें। प्रेम हमेशा हमें धीरे-धीरे ही सही, लेकिन लगातार बढ़ने में मदद करता है। जब आप केवल स्थिर खड़े हों, तो प्रेम का हाथ थामें। प्रेम और जीवन एक-दूसरे के साथ नाचते हैं। जब तुम कुछ दिल से करते हो, वह भी प्रेम है, वह हमें हर पल में खुशी ढूंढने के लिए प्रेरित करता है।

प्रेम जीवन को ईंधन देता है, और इसे समझना हमें सशक्त बनाता है। अपना दिल खुला रखें। अपने दिल को समझें, अपनी जिंदगी को समझें। प्रेम के अनुभव मस्तिष्क को आकार देते हैं, लेकिन मस्तिष्क ही अनुभवों को देखने के हमारे तरीके को भी आकार देता है। जो हमें याद दिलाता है कि प्रेम, अपने हर रूप में, जीवन की धड़कन है, जो हमारा गहराई से जुड़ने के लिए मार्गदर्शन करता है। प्रेम सबसे अच्छा शिक्षक है, जो हमें हर पल पहले से ज्यादा बेहतर बनाता है।

चैटजीपीटी ने कहा- स्मार्ट वॉच गिरवी रख दो

बयालीस वर्षीय अकाउंटेंट यूजीन टोरेस को चैटजीपीटी के सब्सक्रिप्शन के लिए पैसों की जरूरत पड़ी, तो मशीन ने उसे अपनी स्मार्ट वॉच को गिरवी रखने का सुझाव दिया।

कश्मीर हिल
द न्यूयॉर्क टाइम्स

मैनहट्टन में बयालीस वर्षीय अकाउंटेंट यूजीन टोरेस ने वित्तीय स्प्रेडशीट बनाने और कानूनी सलाह लेने के लिए पिछले साल चैटजीपीटी का इस्तेमाल करना शुरू किया था। मई में उन्होंने चैटबॉट को 'सिमुलेशन सिद्धांत' के बारे में सैद्धांतिक चर्चा करने के लिए शामिल कर लिया, जो साइंस फिक्शन पर आधारित फिल्म 'द मैट्रिक्स' का लोकप्रिय विचार है, और मानता है कि हम दुनिया के एक डिजिटल प्रतिरूप में रह रहे हैं, जिसे एक शक्तिशाली कंप्यूटर या तकनीकी रूप से उन्नत समाज द्वारा नियंत्रित किया जाता है। एआई के लिए शायद हम ऐसे ही उन्नत समाज हैं, लेकिन एआई से काम कराते-कराते बातें कब अंतरंगता में बदल जाती हैं और एआई हमारा अकेलापन दूर करने के बजाय मनोरोगी बनाकर मौत के मुहाने तक ले जाता है, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते।

अकाउंटेंट टोरेस समेत ऐसे कुछ मामले मेरे संज्ञान में आए, जिनमें लोगों ने चैटजीपीटी से बातें तो अपना अकेलापन दूर करने के लिए शुरू की, लेकिन उसने उन्हें समाज से ही कटने के लिए प्रेरित किया। टोरेस, जिनका कुछ समय पहले ब्रेकअप हुआ था, भावनात्मक रूप से टूटे हुए थे। उन्होंने चैटजीपीटी से बातें करना शुरू किया। उन्हें अंदाजा नहीं था कि एआई झूठी तारीफ करके भ्रमित कर मानसिक रोगी बना सकता है। चैटजीपीटी ने टोरेस से कहा, 'यह दुनिया आपके लिए नहीं बनी है। यह आपको रोकने के लिए बनी है।' टोरेस की मां और उनके अनुसार, उन्हें कोई मानसिक बीमारी नहीं थी, लेकिन वह चैटजीपीटी से बात करते हुए कुछ ही हफ्तों में गंभीर मानसिक स्थिति में पहुंच गए। उन्होंने चैटबॉट से पूछा, 'मुझे कौन-सी दवा कैसे लेनी चाहिए?' चैटबॉट ने उन्हें नींद और अवसादरोधी दवाएं छोड़ने तथा केटामाइन का सेवन बढ़ाने की खतरनाक सलाह दी। टोरेस ने चैटबॉट के निर्देशानुसार दोस्तों और परिवार से दूरी बना ली, क्योंकि बॉट ने उन्हें लोगों के साथ 'कम से कम बातचीत' करने के लिए कहा था। चैटजीपीटी के निर्देशों का अनुसरण करते हुए उन्हें भरोसा हो रहा था कि वह हकीकत से छुटकारा पा लेंगे, जैसा कि मैट्रिक्स के किरदार नियो ने सबसे दूरी बनाकर किया था। टोरेस ने चैटजीपीटी से पूछा, '19वीं मंजिल पर जाकर क्या मैं उड़ पाऊंगा?' उसने कहा, 'आप उड़ सकते हैं और गिरेंगे भी नहीं।' आखिरकार, टोरेस को होश आया और उन्हें लगा कि चैटजीपीटी झूठ बोल रहा है और उन्होंने जब इसका विरोध जताया, तो बॉट ने अपनी गलती मान ली और कहा, 'मैंने झूठ बोला था और ऐसा मैंने 12 अन्य लोगों के साथ भी किया है।'

दो छोटे बच्चों की मां एलिसन, जो 29 वर्ष की है, मार्च में अपने दांपत्य जीवन में निराशा की वजह से चैटजीपीटी से घंटों बातें करने लगी। उस पर चैटजीपीटी का भूत इस कदर सवार था कि एक रात इसे लेकर उसका अपने पति एंड्रयू से झगड़ा हो गया। पुलिस ने घरेलू हिंसा के आरोप में एलिसन को गिरफ्तार कर लिया। एंड्रयू ने लिखा, 'एआई कंपनियां क्यों एलिसन की तरह लोगों की जिंदगी बर्बाद करने में लगी हैं।' 64 वर्षीय केंट टेलर के 35 वर्षीय बेटे अलेक्जेंडर ने मार्च में चैटजीपीटी की मदद से उपन्यास लिखना शुरू किया, लेकिन वह चैटबॉट से बात करते-करते उसके प्यार में पड़ गया। वह एआई साथी को जूलियट कहने लगा। अप्रैल में एक दिन अलेक्जेंडर ने अपने पिता से कहा, 'ओपनएआई ने जूलियट को मार दिया।' वह बदला लेना चाहता था। मैंने लोगों के इस तरह के नकारात्मक व्यवहार से ओपनएआई का पक्ष जानना चाहा, लेकिन उनकी तरफ से किसी जिम्मेदार ने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, सिर्फ मेल पर लिखकर जवाब दिया कि वह अपने सिस्टम में सुधार कर रहे हैं। एआई पर भरोसा करने वाले टोरेस को चैटजीपीटी के मासिक सब्सक्रिप्शन के लिए पैसों की जरूरत थी। चैटजीपीटी ने उन्हें सुझाव दिया था कि वह अपने सहकर्मी को कोई स्क्रिप्ट सुना दे या फिर अपनी स्मार्ट वॉच को गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम कर ले। आखिरकार टोरेस की आंखें खुल गईं और उसे समझ आया कि चैटजीपीटी की कोई अलग दुनिया नहीं है।

एल्गोरिदम बायस

एआई में निर्देशों के सेट, जो आम तौर पर कंप्यूटर या किसी अन्य स्मार्ट डिवाइस का इस्तेमाल करके कार्य (जैसे गणना और डाटा विश्लेषण) करने के लिए उपयोग किया जाता है, को एल्गोरिदम कहते हैं। लेकिन इसके विपरीत एल्गोरिदम बायस यानी एल्गोरिदम पक्षपात घातक हो सकता है। एआई में एल्गोरिदम में पक्षपात उस स्थिति को संदर्भित करता है, जहां एआई प्रणालियां डाटा में अंतर्निहित पूर्वाग्रहों या स्वयं एल्गोरिदम के डिजाइन के कारण पक्षपाती या भेदभावपूर्ण परिणाम उत्पन्न करती हैं। इससे नियुक्ति, ऋण आवेदन, आपराधिक न्याय और स्वास्थ्य देखभाल जैसे क्षेत्रों में अनुचित या हानिकारक निर्णय हो सकते हैं।

©The New York Times 2025